खंड 2

वेतन

पाठ्यक्रम परिचय

पिछले खण्ड में आपने मूल परिभाषाओं, आवासीय स्थिति और आयों से प्राप्त छूट के बारे में सीखा है। आप जानते हैं कि करदाता की अपनी आवासीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आय पर कर लगाया जाता है। इस खण्ड में तीन इकाइयाँ हैं और वे वेतन से प्राप्त आय के कराधान के कई पहलुओं के बारे में जानकारी देती है।

इकाई 5 वेतन-1

इस इकाई में वेतन से प्राप्त आय की परिभाषा और वर्णनीयता पर चर्चा की गई है जिसमें वेतन, बोनस, पेंशन, जैसे वेतन से प्राप्त आय के विभिन्न घटकों जैसे वार्षिकी और सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण पर प्रकाश डाला गया है। यह इकाई मृत्यु तथा अवकाश ग्रेच्युटी, अग्रिम वेतन से संबंधित प्रावधान, वेतन के और भत्ते और लाभ।

इकाई 6 वेतन-II

यह इकाई अनुलाभ की अवधारणा से संबंधित है और इसके विभिन्न प्रकार हैं, सभी कर्मचारी और विशिष्ट कर्मचारी और उन पर मूल्य निर्धारण का तरीका एवं करचयोग्य वेतन के बारे में बताती हैं। इस इकाई में विभिन्न कर मुक्त अनुलाभों पर भी प्रकाश डालती है। यह भी वेतन आय से कटौती और बचतों जैसे जीवन बीमा की भी चर्चा करती है।

इकाई 7 वेतन-III

यह इकाई भविष्य निधि योजनाओं के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है जीवन बीमा एवं सार्वजनिक भविष्य निधि और उनका कर उपचार के बारे में बताती हैं। तथा धारा 80C के अन्तर्गत योग्यता व्ययों की चर्चा करता है।

इकाई 5 वेतन-I

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 वेतन का तात्पर्य

5.2.1 वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें

5.2.2 विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेतन की परिभाषा

5.3 वेतन में सम्मिलित होने वाली मुख्य मदे

5.3.1 वेतन या मजदूरी

5.3.2 सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण

5.3.3 बोनस, फीस, कमीशन, वेतन के स्थान पर लाभ

5.3.4 पेंशन

5.3.5 वार्षिकी (Annuity)

5.3.6 ग्रेच्युटी

5.3.7 सेवा से छँटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति

5.3.8 स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि

5.3.9 अग्रिम वेतन

5.3.10 भत्ते

5.3.11 वेतन के बदले लाभ

5.4 सारांश

5.5 शब्दावली

5.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.7 स्वपरख प्रश्न तथा अभ्यास

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- वेतन शब्द की परिभाषा दे सकेंगे;
- वेतन शीर्षकों के अंतर्गत शामिल होने वाली मदो का उल्लेख कर सकेंगे; और
- उपरोक्त मदो के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की व्याख्या कर सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

एक करदाता को गत वर्ष में उपार्जित आय पर निवास स्थिति के आधार पर आयकर देना पड़ता है –

"वेतन से आय" विभिन्न शीर्षको में से एक मुख्य शीर्षक है। इस इकाई में आप वेतन की परिभाषा वेतन में शामिल होने वाली विभिन्न मदो तथा कराधान के उद्देश्य से वेतन से आय की गणना के बारे में अध्ययन करेंगे।

5.2 वेतन का तात्पर्य

किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसकी सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप में जो भुगतान किया जाता है, उसे वेतन कहते हैं। वेतन के अंतर्गत केवल मौद्रिक पारिश्रमिक ही शामिल नहीं होता, बल्कि इससे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त उन सुविधाओं तथा लाभों का भी मूल्य शामिल होता है, जो कर योग्य है। वेतन के अंतर्गत निम्न प्रकार की आय कर योग्य होती है :

1) गत वर्ष में वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त वेतन चाहे वह प्राप्त हुआ हो या नहीं;

2) कर्मचारी को अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्य होने से पूर्व प्राप्त हुआ या स्वीकृत हुआ वेतन अर्थात अग्रिम वेतन(advance salary)

3) कर्मचारी को अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से गत वर्ष में प्राप्त या स्वीकृत हुआ बकाया वेतन (Arrears of salary) की राशि।

4) गत वर्ष में वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त मजदूरी

5) गत वर्ष में नियोक्ता से प्राप्त कोई पेंशन

सकल वेतन	=	नकद प्राप्तियाँ जैसे नकद वेतन या मजदूरी बोनस कमीशन भत्ता इत्यादि	+	सुविधाओं : जैसे मकान नौकर गैस बिजली का मौद्रिक मूल्य पानी शिक्षा इत्यादि का मौद्रिक मूल्य	+	वेतन के स्थान पर लाभ

(I) वेतन (Salary)

आय कर अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार 'वेतन' शब्द में निम्नलिखित को साम्मिलित किया जाता हैः

i) मूल वेतन या मजदूरी (Basic Salary or Wages);

ii) बोनस (Bonus);

iii) कमीशन, फीस एवं अन्तरिम राहत (Commission, Fee and Interim Relief);

iv) अभिसमय भुगतान (Overtime Payments);

v) वार्षिकी (Annunity);

vi) अग्रिम तथा अवशिष्ट वेतन (Advance Salary and Arrears of Salary);

vii) कर्मचारी के प्रमाणित प्रवीडेण्ट फण्ड में वार्षिक वृद्धि (Annual accretion in employee's recognized provident fund);

viii) हस्तान्तरित शेष का कर योग्य अंश (Taxable part of Transferred Balance);

ix) धारा 80CCD के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गत वर्ष में अनुसचित पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के खाते में दिया गया अंशदान (Contribution made by the Central Government in the previous year, to the account of an employee under a notified pension acheme referred to in Section 80CCD);

x) कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त राशि (Encashment of Earned Leave);

xi) ग्रेच्युइटी या अनुग्रह राशि (Gratuity);

xii) पेंशन (Pension);

xiii) सेवा से छँटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति (Compensation on Retrenchment);

xiv) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि (Amount received on Voluntary Retirement)

5.2.1 वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें

वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको इस शीर्षक के अंतर्गत किसी व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं:

i) **वेतन तथा मजदूरी (Salaries and Wages)** – आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन तथा मजदूरी में कोई अंतर नहीं है बल्कि एक अधिकारी का वेतन या एक मजदूर की मजदूरी दोनों ही इस शीर्षक के अंतर्गत आती है

ii) **नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध (Relationship of employer and employee)** – "वेतन" शीर्षक की आय होने के लिए आवश्यक है कि भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध हो। एक व्यक्ति किसी पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के बीच में नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध हो। एक व्यक्ति किसी पद पर कार्य करते हुए भी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है जैसे किसी कंपनी का निदेशक।

iii) **वेतन तथा पेशे से आय (Salaries and Professional Income)** – एक पेशे मे अलग–अलग व्यक्तियों की सेवा की बात होती है क्योंकि पेशेवर को अलग–अलग व्यक्तियों से आय प्राप्त होती है अतः ऐसी आय को वेतन शीर्षक के अंतर्गत नहीं बल्कि धारा 28 के अंतर्गत व्यापार या पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य किया जाता है उदाहरण के लिए यदि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी कंपनी के लिए 1 वर्ष के लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है तो ऐसे अनुबंध की आय पेशे से आय मानी जाएगी परंतु यदि ऐसी कंपनी में निरंतर लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त कर लिया जाता है तो उसकी आय वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी।

iv) **सेवा समाप्ति के पश्चात भुगतान (Payment made after cessation of employment)** – एक कर्मचारी जब अपनी नौकरी से निवृत होता है तो नियोक्ता द्वारा उसे कई प्रकार के भुगतान किए जाते हैं जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन आदि। इस प्रकार के भुगतान को भी वेतन शीर्षकों के अंतर्गत कर योग्य बनाया गया है क्योंकि वह कर्मचारी को उसकी पूर्व सेवा के कारण मिलता है।

v) **करमुक्त वेतन (Tax-free salary)** – यदि नियोक्ता कर्मचारी के वेतन पर स्वयं आयकर का भुगतान करता है तथा उसे बिना आयकर की कटौती के कुल वेतन का भुगतान करता है तो ऐसी दशा में कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में प्राप्त वेतन तथा नियोक्ता द्वारा उसके वेतन पर भुगतान किया गया आयकर भी शामिल होंगा।

vi) **नियोक्ता द्वारा की गई कटौतिया (Deductions by employer)** – नियोक्ता कर्मचारी के कुल वेतन से कुछ अनिवार्य कटौती कर देता है जैसे भविष्य निधि के संबंध में कटौती आवास के संबंध में कटौती इत्यादि तथा कर्मचारी के शेष वेतन का

भुगतान किया जाता है परंतु ऐसी कटौतियों को कर्मचारी द्वारा वेतन का प्रयोग मानकर वेतन में शामिल कर लिया जाता है।

vii) **महंगाई वेतन (Dearness Pay)** – महंगाई वेतन मूल वेतन का ही एक भाग माना जाता है क्योंकि इसे सेवा की शर्तों के अंतर्गत भुगतान किया जाता है किंतु निशुल्क आवास का मूल्यांकन करने के लिए एवं मकान किराए भत्ते, ग्रेच्युटी (ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत देय ग्रेच्युटी को छोड़कर) अवकाश वेतन, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड एवं गैस, बिजली एवं पानी आदि के लिए महंगाई वेतन मूल वेतन का भाग तभी होगा जबकि इस सुपरएनुएशन अथवा अवकाश ग्रहण सुविधाओं की गणना में जोडा जाएगा अर्थात यह सेवा की शर्तों के अंतर्गत है।

viii) **वेतन के देय होने की तिथि Due date of salary** – इस संबंध में निम्नलिखित नियम है–

a) सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में वेतन उपार्जित होने के अगले महीने की पहली तारीख को देय माना जाता है उदाहरण के लिए फरवरी महीने का वेतन मार्च में देय होता है अतः गत 1 मार्च से फरवरी तक का वेतन ही कर योग्य वेतन में जोड़ा जाता है।

b) बैंकों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की स्थिति में वेतन, उसी माह को अंतिम तिथि पर देय होता है उदाहरण के लिए फरवरी महीने का वेतन 28 अथवा 29 फरवरी को देय होगा अतः गत वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वेतन कर योग्य होगा।

ix) **महंगाई भत्ता (Dearness allowance)** – यदि यह रोज़गार की शर्तों के तहत भुगतान किया जाता है – निम्नलिखित दो मामलों में महगाई भत्ते को रोज़गार की शर्तों के तहत माना जाता है।

a) जब यह प्रमाणित प्रोवीडेण्ट फण्ड में वार्षिक योगदान की गणना के उद्देश्य से वेतन में शामिल है;

b) जब किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना के उद्देश्य से इसे वेतन में शामिल किया जाता है।

x) **स्वेच्छा पूर्वक भुगतान (Voluntary payments)** – नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवाओं के प्रतिफल में किया गया प्रत्येक भुगतान वेतन अनुलाभ एवं भत्ते चाहे वह नियोक्ता ने अनुबंध के अंतर्गत किया हो अथवा स्वेच्छा से, वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। कोई भी भुगतान केवल इस कारण कि इसका भुगतान नियोक्ता ने स्वेक्षा से किया है, वेतन शीर्षक में जोड़ने से नहीं छोड़ा जा सकता।

xi) **वेतन का त्याग या समर्पण (Salary foregoing or surrendering)** – आयकर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, वेतन पर देय कर आधार पर लगाया जाता है। अर्थात वेतन के देय होते ही उस पर कर देने का दायित्व उत्पन्न हो जाता है यदि कोई कर्मचारी अपने वेतन को त्याग देता है और नियोक्ता से भुगतान प्राप्त नहीं करता है तो भी वह अपने कर दायित्व से नहीं बच सकता

xii) **वेतन में से की गई कटौतिया (Deduction from salary)** – नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से की गई कटौतियाँ को आय का प्रयोग माना जाता है। अतः कर्मचारी की कुल आय में करदाता को प्राप्य (Receivable) वेतन (कटौती से पूर्व की

राशि) ही जोड़ा जाएगा। प्राप्त (Received) वेतन नहीं। नियुक्त ने यह कटौतियाँ चाहे किसी प्रसंविदे के अंतर्गत की हो अथवा स्वेच्छा से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता।

xiii) **वेतन उपार्जित होने का स्थान (Place of accrual of salary)** – धारा 9 के अनुसार, वेतन उस स्थान पर उपार्जित माना जाता है जहां पर उस वेतन के लिए सेवा प्रदान की गई है भारत में उपार्जित वेतन भारत में अर्जित तथा उदित माना जाता है भले इसका भुगतान भारत के बाहर हो।

5.2.2 विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेतन की परिभाषा (Definition of Salary for Different Purposes)

विभिन्न उद्देश्यों के अनुकूल वेतन की परिभाषा भी बदली रहती है निम्न परिस्थितियों में वेतन का अर्थ भिन्न होता है।

i) वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना

ii) धार10 (13A) के अंतर्गत कर मुक्त मकान किराए भत्ते की गणना

iii) किराया मुक्त आवास के मूल्य या रियायती किराए पर आवास के मूल्य की गणना

iv) भविष्य निधि के कटौती योग्य अंशदान की गणना

v) वेतन में कटौती योग्य मनोरंजन भत्ते की राशि की गणना

vi) करमुक्त ग्रेच्युटी तथा कर मुक्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण के कुछ भाग की गणना

vii) गैस, बिजली तथा पानी की मुफ्त आपूर्ति के मूल्य की गणना

viii) धारा 17(2)(iii) (C) (विशिष्ट कर्मचारी) के अंतर्गत कर योग्य अनुलाभो के निर्धारण के लिए 50,000 रुपए वेतन की गणना

ix) धारा 10 (10 b) के अंतर्गत सेवा से छटनी (Retrenchment) करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति (Compensation) की कर मुक्त राशि की गणना

विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेतन का आशय सारिणी 5.1 में देखा जा सकता है।

प्रशंसा पत्र तथा व्यक्तिगत उपहार (Testimonials and personal gets)

यदि किसी नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी को बिल्कुल व्यक्तिगत स्नेह या अन्य व्यक्तिगत कारणों से कोई प्रशंसा पत्र या व्यक्तिगत उपहार दिया जाता है तो उसे वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं किया गया है।

परंतु यहां यह ध्यान रखने योग्य बात है कि उपरोक्त निर्धारण प्रत्येक दशा में परिस्थितियों के अनुसार होगा साधारणतया यदि प्रशंसा पत्र या उपहार सामान्य नियम के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को उपलब्ध होता है तो उसे वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं किया जाएगा परंतु यदि नियोक्ता यह सुविधा स्वेच्छा से केवल कुछ चुने हुए कर्मचारियों को देता है तो ऐसे उपहार का मूल्य प्राप्तकर्ता के लिए वेतन शीर्षक के अंतर्गत रुपए 5,000 तक कर मुक्त होगा वह इससे ऊपर की राशि कर योग्य होगी।

सारिणी 5.1: विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेतन का आशय

वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना के लिए	किराए से मुक्त रहने का मकान अथवा किराए से रियायत का मूल्यांकन करने के लिए	मकान किराया भत्ता की छूट निकालने के लिए	प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान की कटौती योग्य राशि	मनोरंजन भत्ता की छूट की सीमा के लिए	धारा 16 (1) के अंतर्गत वैधानिक कटौती की राशि की गणना के लिए	ग्रेच्युटी के लिए	धारा 17(2) (iii) (C) अंतर्गत अनुलाभ के कर योग्य होने के संबंध में 50000रु. के वेतन का निर्धारण	गैस बिजली तथा पानी अथवा पानी धारा 10(10B) अंतिम प्राप्त मूल वेतन	धारा 10 के अंतर्गत क्षति पूर्ति के लिए
1. मूल वेतन अथवा मजदूरी 2. अग्रिम वेतन 3. वेतन का बाकी 4. वार्षिकी अथवा पेंशन 5. ग्रेच्युटी 6. फीस कमीशन बोनस 7. भत्ते महंगाई भत्ते सहित 8. वेतन के बदले लाभ 9. अनुलाभ 10. प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता द्वारा वेतन के 12% से अधिक अंशदान 11. प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से मिला ब्याज (9.5% की दर अधिक ब्याज की राशि) 12. प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कर योग्य हस्तांतरित शेष	1. मूल वेतन (पेशगी प्राप्त वेतन छोड़कर) 2. कर योग्य भत्ते 3. बोनस 4. कमीशन 5. कोई अन्य नकद भुगतान परंतु निम्न को छोड़कर: i) महंगाई भत्ता यदि यह सेवानिवृत्त लाभों की गणना करने में शामिल नहीं किया ii) कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में नियम का अंशदान iii) कर मुक्त भत्ते iv) मनोरंजन बच्चे की कटौती योग्य राशि तथा v) अनुलाभों का मूल्य	1. मूल वेतन 2. महंगाई भत्ता आदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयोजन हो अर्थात निवृत्त संबंधी लाभ की गणना करने में यह शामिल किया जाता हो अथवा महंगाई वेतन अन्य किसी प्रकार से के भत्ते बोनस निम्न (3) में वर्णित कमीशन के अतिरिक्त कमीशन अनुलाभों और समस्त अन्य प्राप्तियों को छोड़कर कर 3. कर्मचारी द्वारा दी गई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो	मकान किराए भत्ते के संदर्भ में जो वेतन का अभिप्राय है वही यहां भी लागू होगा	मूल वेतन जिसमें कोई भत्ता लाभ या अन्य किसी प्रकार के अनु लाभ शामिल ना हो	कुल कर योग्य वेतन अर्थात सकल कुल वेतन	वेतन महंगाई भत्ता या वेतन सेवा की शर्तों के अंतर्गत, बिक्री निश्चित प्रतिशत पर कमिशन यदि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं	(i) मूल वेतन, (ii) महंगाई भत्ता, (iiii) अन्य प्रकार के भत्ते (iv) बोनस, कमीशन आदि तथा अन्य सभी मौद्रिक प्राप्ति या जो सकल वेतन में शामिल हो परन्तु धारा 16 के अंतर्गत कटौतिया घटने के बाद इस आशय के लिए वेतन में अनुलाभ शामिल नहीं होंगे क्योकि यह मुद्रा में प्राप्त नहीं होते है।	महंगाई भत्ता यदि सेवा की शर्तों के अधीन है बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन	वेतन भत्ते रहने की सुविधा तथा रोशनी पानी या अन्य सुविधाओं का मूल्य तथा यात्रा सहायता परंतु बोनस ग्रेच्युटी तथा सेवानिवृत्ति के संबंध में श्रमिक के हित के लिए किसी कोष में नियोक्ता का अंशदान शामिल नहीं होगा

5.3 वेतन में सम्मिलित होने वाली मुख्य मदे (Main Items Included In Salary)

5.3.1 वेतन या मजदूरी (Salary or Wages)

आइए अब हम वेतन शीर्षक के मंदों को एक-एक कर विश्लेषण करेंगे।

वेतन का आशय साधारणतया उस भुगतान से होता है जो उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को देय होता है जैसे कार्यालय सहायक अधिकारी इत्यादि जबकि मजदूरी आकस्मिक मजदूरों को देय मानी जाती है आयकर में मजदूरी तथा वेतन में कोई अंतर नहीं माना गया है तथा दोनों ही वेतन शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य है।

कर योग्य वेतन की गणना प्रक्रिया का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षको के अंतर्गत किया जा सकता है–

a) सकल वेतन की गणना कर (Computation of gross salaries)

b) सकल वेतन में से कटौतिया घटाना (Deduction out of gross salaries)

c) कर योग्य वेतन की गणना करना (Computation of taxable salaries)

चार्ट 5.1: सकल वेतन की गणना (Computation of gross salary)

i) वेतन (देय अथवा प्राप्त अथवा बकाया वेतन)	ii) भत्ते	iii) अनुलाभ	iv) वेतन के स्थान पर लाभ
वेतन में शामिल हैं : i) मजदूरी ii) वार्षिकी या पेंशन iii) ग्रेच्युटी iv) फीस कमीशन अनुलाभ अथवा वेतन के स्थान पर लाभ v) अग्रिम वेतन vi) छुट्टियों का नगदीकरण vii) प्रमाणित प्रा फंड में वार्षिक वृद्धि viii) हस्तांतरित शेष ix) स्वैच्छिक भुगतान x) केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी की पेंशन योजना (धारा 80 CCD के अंतर्गत) में अंशदान	i) पूर्णतः कर योग्य ii) अंशतः कर–योग्य iii) पूर्णतः कर मुक्त भत्ते	i) सामान्य अनुलाभ ii) विशिष्ट अनुलाभ iii) कर मुक्त अनुलाभ धनराशि	i) सेवा समाप्ति पर अथवा सेवा की शर्तों से परिवर्तन होने पर देय हरजाना) ii) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सेवाओ के पुरस्कार स्वरूप दी गई कोई भी धनराशि iii) प्रोविडेंट अथवा अन्य किसी अन्य फंड से प्राप्त राशि

चित्र 5.1: सकल वेतन

वेतन व मजदूरी (Salary and wages) वेतन शब्द का प्रयोग ऊंचे स्तर के कर्मचारियों जैसे सहायक, ऑफिसर आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि मजदूरी शब्द का

प्रयोग निम्न स्तर के कर्मचारियों जैसे– आकस्मिक मजदूर आदि के लिए किया जाता है परंतु आयकर में वेतन व मजदूरी दोनों को ही वेतन शीर्षक में शामिल किया जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा (17) 1 के अनुसार 'वेतन' शब्द में निम्नलिखित प्राप्तयाँ शामिल की जाती है।

(I) वेतन
(Salary)

आय कर अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार 'वेतन' शब्द में निम्नलिखित प्राप्तियाँ शामिल की जाती हैं:

i) मूल वेतन या मजदूरी (Basic Salary or Wages);

ii) बोनस (Bonus);

iii) कमीशन, फीस एवं अन्तरिम राहत (Commission, Fee and Interim Relief);

iv) अभिसमय भुगतान (Overtime Payments);

v) वार्षिकी (Annunity);

vi) अग्रिम तथा अवशिष्ट वेतन (Advance Salary and Arrears of Salary);

vii) Annual accretion in employee's recognized provident fund;

viii) हस्तान्तरित शेष का कर योग्य अंश (Taxable part of Transferred Balance);

ix) धारा 80CCD के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गत वर्ष में अनुसचित पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के खाते में दिया गया अंशदान (Contribution made by the Central Government in the previous year, to the account of an employee under a notified pension scheme referred to in Section 80CCD);

x) कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त राशि (Encashment of Earned Leave);

xi) ग्रेच्युइटी या अनुग्रह राशि (Gratuity);

xii) पेंशन (Pension);

xiii) सेवा से छँटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति (Compensation on Retrenchment);

xiv) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि (Amount received on Voluntary retirement)

उदाहरण 1: श्री शंकर दयाल 1 अप्रैल 2019 से 3,600 रु प्रति माह की दर से वेतन प्राप्त कर रहे है। 1 अगस्त 2019 को उन्हें 200 रुपए की वेतन वृद्धि स्वीकृत हुई है। मूल वेतन की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कीजिए।

हल

आधारभूत वेतन का करनिर्धारण वर्ष 2020–21	
विवरण	**रु.**
अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 (3600 × 4)	14,400
अगस्त 2019 से मार्च 2020 (3800×8)	30,400
मूल वेतन	44,800

5.3.2 सेवानिवृति पर अर्जित अवकाश का नकदी करण (Encashment of Earned Leave on Retirement)

एक कर्मचारी अपने सेवाकाल में या सेवानिवृत्त होते समय अपने अर्जित अवकाश का नकदीकरण करा सकता है सेवा काल में कराई गई नकदीकरण की राशि वेतन के रूप में पूर्णतया कर योग्य होती है। यद्यपि करदाता को धारा 89(1)के अंतर्गत कर राहत पाने का अधिकार है।

परंतु सेवानिवृत्ति (Retirement) के समय अर्जित अवकाश का नकदीकरण धारा 10(10AA) के अंतर्गत निम्न सीमा तक कर मुक्त है :

सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण (Encashment of Earned Leave)

कर्मचारियों को नौकरी के दौरान तरह–तरह के अवकाश या छुट्टियां दी जा सकती है जैसे चिकित्सा अवकाश (Medical Leave) आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) एवं अर्जित अवकाश (Earned Leave)। किसी–किसी संस्था में अर्जित अवकाश के ना लेने पर इसके बदले में नकद पैसा दिया जाता है। इसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण, छुट्टियों का भुगतान या अवकाश वेतन (Leave Salary) भी कहते हैं। यदि कर्मचारी अपनी छुट्टियों को नहीं लेता है जिसका कि वह अधिकारी है तो उसको उन छुट्टियों के बदले में वेतन के बराबर भुगतान किया जाता है इस भुगतान को अर्जित अवकाश का नकदीकरण माना जाता है। यदि कर्मचारियों द्वारा सेवा में रहते हुए अर्जित छुट्टियों को भुना लिया जाता है तो उसे प्राप्त संपूर्ण रकम प्रत्येक प्रकार के कर्मचारियों (सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी) के लिए कर योग्य होगी। इस दशा में कर्मचारी धारा 89 (1) के अंतर्गत राहत (Relief) की मांग कर सकता है।

सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु के समय कर्मचारी द्वारा ना ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त राशि

जब कर्मचारी अपनी सेवा से निवृत होता है या अपने नौकरी से त्यागपत्र देता है उस समय उसके खाते में अर्जित अवकाश है तो उसके बदले में वेतन दिया जाता है इसको अर्जित अवकाश के स्थान पर प्राप्त अर्जित वेतन या अवकाश वेतन कहते हैं। कभी–कभी अवकाश वेतन का कुछ भाग कर योग्य होता है तथा कुछ भागकर मुक्त होता है। कर मुक्त तथा कर योग्य संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित हैं।

1) **सरकारी कर्मचारी (Government Employee):** केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उनके सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र ग्रहण के समय पूर्णतया कर मुक्त होता है। यह कर मुक्त की सुविधा उन को स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के समय भी लागू होती है, परंतु यदि किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं से निकाल (Termination) दिया जाता है उस समय यह सुविधा उसको प्राप्त नहीं होती है। एक मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को प्राप्त अवकाश वेतन की संपूर्ण रकम कर मुक्त होगी।

2) **गैर सरकारी कर्मचारी (Non-Government Employee) (स्थानीय सप्ताह वैधानिक निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी सहित)**

निम्नलिखित चार मदो में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी शेष रकम वेतन में शामिल की जाएगी।

i) अर्जित अवकाश की वास्तविक प्राप्त रकम अथवा

ii) अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व 10 माह के औसत वेतन के आधार पर अधिक से अधिक 10 माह का वेतन अथवा

iii) सेवाकाल मैं न लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर गणित राशि इसमें प्रति संपूर्ण वर्ष के लिए अधिकतम 30 दिन की अवधि अर्जित अवकाश के लिए मान्य है।

अथवा

iv) सरकार द्वारा घोषित राशि रुपए 3,00,000

नोटः i) वेतन का आशय=[मूल वेतऩ + महंगाई वेतऩ + महंगाई भत्ता (यदि सेवाओं के शर्तों के अंतर्गत है) + कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन]

ii) अवकाश वेतन की गणना के समय सेवा के संपूर्ण वर्ष लिए जाएंगे वर्ष की आंशिक अवधि को छोड़ दिया जाएगा।

उदाहरण 2

श्री एक्स एक स्टील कंपनी में विक्रय प्रबंधक है उनका मासिक वेतन रुपए 5,500 हैं। वह कंपनी की 26 वर्ष तथा 11 माह की सेवा के पश्चात 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए। वे 20 माह का अवकाश ले चुके हैं। उनको कार्य के पूरे वर्षों के एक महीना प्रतिवर्ष की दर से अर्जित अवकाश मिलता है। उन्होंने 1,00,000 रुपए अर्जित अवकाश के प्राप्त किए। सेवा के दौरान उन्होंने अवकाश का नकदी करण सेवानिवृत्त की तारीख पर अंतिम वेतन के दर से लिया है। श्री एक्स के लिए अवकाश की नकदी करण की कर–योग्य राशि की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कीजिए।

हल

श्री एक्स का करयोग्य अर्जित अवकाश का निर्धारण वर्ष 2020–21 की गणना

A) अवकाश (1 माह का अर्जित अवकाश पूरे वर्ष के लिए	26 माह
B) अर्जित अवकाश	20 माह
C) अर्जित अवकाश (26 माह – 20 माह)	6 माह
D) निम्न में सबसे छोटी रकम करमुक्त होगी	

विवरण		रु.
1)	वास्तविक प्राप्त राशि	1,00,000
2)	10 माह का औसत वेतन रु. 5500×10	55,000
3)	औसत आय की 6 माह की राशि 5500 × 6	33,000
4)	अधिकतम कर मुक्त सीमा	3,00,000
	कर मुक्त अर्जित अवकाश	33,000

करयोग्य अर्जित अवकाश की राशि = वास्तविक प्राप्त राशि – सबसे कम मूल्य की राशि
= रु. 1,00,000 – 33,000 = रु. 67,000

करयोग्य अर्जित अवकाश = रु. 67,000

सकल आय = मूल वेतन + अर्जित अवकाश का कर योग्य भाग =
= [रु. 5,500 × 09 (अप्रैल, 2019 – दिसम्बर 2019] + 67,000
= रु. 49,500 + रु. 67,000
= रु. 1,16,500

उदाहरण 3

श्री ओमकार नारायण एक कंपनी में सेवारत थे उन्होंने 25 वर्ष वहां सेवा करने के पश्चात स्वेच्छा से 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त ले ली। 1 जनवरी 2019 को वार्षिक वृद्धि जोड़कर उनका वेतन 8,000 रु. मासिक हो गया था। इस कंपनी में प्रत्येक वर्ष 2 माह का अवकाश अर्जित होता था यदि उनका अन्य विवरण निम्न प्रकार हो तो अर्जित अवकाश के संबंध में नकदीकरण की कर मुक्ति राशि की गणना कीजिए।

	A	B	C
सेवा काल में ली गई कुल छुट्टियाँ	10 माह	शून्य	30 माह
वास्तविक प्राप्त राशि	रु. 2,40,000	रु. 300,000	रु. 1,20,000

हल

औसत वेतन प्रतिमान रु. 8000

अर्जित अवकाश जोकि मान्य है

(30 दिन के आधार पर प्रति वर्ष)

निम्नलिखित में जो सबसे कम राशि है वह कर मुक्त होगी

	A	B	C
	रु.	रु.	रु.
i) 10 माह का वेतन (औसत वेतन के आधार पर)	80,000	80,000	80,000
ii) बचे हुए वर्षों का वेतन	(15×8000)	(25×8000)	(शून्य)
	1,20,000	2,00,000	Nil
iii) अधिकतम सीमा	(3,00,000)	(3,00,000)	(3,00,000)
iv) वास्तविक प्राप्त राशि	2,40,000	3,00,000	1,20,000
कर मुक्त राशि	80,000	80,000	शून्य

उदाहरण 4

निम्नलिखित विवरण से अवकाश के नकदीकरण की कर मुक्ति राशि की गणना कीजिए जबकि कर्मचारी ने 31 दिसंबर 2019 को अवकाश ग्रहण किया है।

	A	B	C
अवकाश के समय वार्षिक वेतन	25000	25000	25000
सेवा अवधि	30वर्ष	30वर्ष	30 वर्ष
सेवा के दौरान छुट्टियां ली	–	20माह	32माह
(अर्जित छुट्टियां पाने का अधिकार प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 1.5 माह था)			
अवकाश के समय कर्मचारी की बकाया छुट्टियां	45 माह	25 माह	13 माह
अवकाश के समय अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण राशि	6,75,000	3,75,000	1,95,000

हल

विवरण	A रु.	B रु.	C रु.
i) वास्तविक प्राप्त रकम	6,75,000	3,75000	1,95,000
ii) 10 माह का वेतन 10 × 25000	2,50,000	2,50,000	2,50,000
iii) प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह का वेतन	(30 वर्ष 0 माह)	(30 वर्ष - 20 माह)	(30 वर्ष- 32 माह)
	30×25,000	10×25000	शून्य
	7,50,000	2,50,000	शून्य
iv) अधिकतम रकम की कर मुक्त राशि	3,00,000	3,00,000	3,00,000
कर मुक्त राशि	2,50,000	2,50,000	शून्य

उदाहरण 5

श्री आर, एक कम्पनी ए.डी.वी. से 31.11.2019 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ती के समय उनके अपने नियोक्ता से 2,88,000 रु. अर्जित अवकाश का वेतन के रूप में प्राप्त हुए। कर्मचारी द्वारा अन्य निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाती है।

सेवानिवृत्ति के समय प्रतिमाह	रु. 18,000
सेवा की अवधि	20 वर्ष 8 माह
अर्जित अवकाश	रु. 2,88,000
सेवाकाल के दौरान लिया गया अवकाश	14 माह
बची हुई अवकाश जोकि सेवाकाल के दौरान नहीं लिया गया	16 माह
औसत वेतन फरवरी 2019 से नवम्बर 2019 तक	रु. 17,600
अवकाश मान्य	प्रत्येक वर्ष में पूरे हुए सेवकाल में 1½ माह अवकाश

हल

निम्न में से चार को जो राशि सबसे कम है वह कर मुक्त होगी।

विवरण	रु.
1) वास्तविक प्राप्त अर्जित अवकाश की राशि	2,88,000
2) 10 माह का औसत वेतन जोकि रु. 17,600 ×10	1,76,000
3) 6 माह का अर्जित अवकाश वेतन @ रु. 17,600 प्रति माह	1,05,600
4) सरकार द्वारा अनुमोदित राशि	3,00,000

करयोग्य अर्जित अवकाश राशि = वास्तविक प्राप्त राशि – सबसे कम राशि

= 2,88,000 – 10,5600

कर योग्य राशि = रु. 1,82,400

अतः उपरोक्त में सबसे कम राशि 105,600 रु. कर मुक्त होगी और बाकी रु. 1,82,400 सकल कुल आय में जोड दिया जायेगा।

नोटः

1) यद्यपि आर. सेवा के प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए 1 माह का अवकाश के हकदार है, ऊपर दिये गये तीसरे बिन्दु में अधिकतम राशि की गणना के लिए अधिकतम 30 दिनों के आधार पर एक वर्ष के सेवाकाल में अवकाश माना जायेगा। अतः बिन्दु 3 के लिए अधिकतम 30 दिन स्वीकार्य है यानि 30 दिन × 20 = 600 दिन यानी 20 माह।

2) कर्मचारी द्वारा पहले से प्राप्त अवकाश 14 महीने हैं अतः सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिनों की छुट्टी के आधार पर गणना की गई अनुपलब्ध अवकाश 6 माह है।

5.3.3 बोनस, फीस, कमीशन, वेतन, के स्थान पर लाभ (Bonus, Fees, Commission, Profit in Lieu of Salary)

एक कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त बोनस, कमीशन, फीस, वेतन के स्थान पर लाभ, अंतरिम राहत आदि को वेतन में सम्मिलित किया जाता है बोनस मासिक, वार्षिक या विक्रय के कुछ प्रतिशत या किसी अन्य आधार पर आधारित हो सकता है। बोनस उस गत वर्ष में कर योग्य होता है, जिसमें प्राप्त हुआ हो। यदि कर्मचारी को बोनस की बकाया राशि (arrears) बाद वाले वर्षों में मिली हो तो वह धारा 89(1) के अंतर्गत राहत पाने का अधिकारी है।

5.3.4 पेंशन

सेवा की शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी होता है पेंशन सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी को प्रतिमाह जो पेंशन प्राप्त होती है, वह वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। पेंशन यदि उपार्जित हो जाती है तो कर योग्य हो जाती है यद्यपि प्राप्त ना हुई हो अर्थात इसका कर योग्य आधार उपार्जन है ना की प्राप्ति चाहे यह स्वैच्छिक रूप से प्राप्त हुई हो या अनुबंध के आधार पर पेंशन सेवानिवृत्त होने के बाद नियोक्ता से मिलने वाली नियत कालीन या एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त भुगतान है। यह वह वेतन की ही तरह कर योग्य है किंतु यदि कर्मचारी को प्राप्त वेतन कर मुक्त था तो उसको या उसकी विधवा को प्राप्त पेंशन भी करमुक्त होगी। यही नियम उस पेंशन पर भी लागू है जो विदेशी सरकार द्वारा भारत में सेवारत अपने कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कर मुक्त रूप में प्राप्त होता है लेकिन साधारण निकासी की स्थिति में प्राप्त पेंशन कर योग्य होती है। UNO से प्राप्त वेतन तथा पेंशन भारत में देय नहीं है। भारत में कर के लिए प्रभावी पेंशन स्कीम, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केन्द्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी के मामले में एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है। यह योजना प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। पेंशन से संबंधित नियम इस प्रकार है।

i) गैर सारांशी कृत पेंशन (नियत कालीन) Uncommuted Pension

समयान्तरो जैसे, मासिक, वार्षिक पर प्राप्त पेंशन की राशि सभी कर्मचारियों सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन की भांति वेतन शीर्षक में कर योग्य है।

ii) **एकीकृत (सरांशी कृत पेंशन) (Commuted Pension) : कर्मचारी मासिक, वार्षिक पेंशन के स्थान पर एकमुशत पेंशन लेना चाहते हैं**

कभी–कभी कर्मचारी प्रतिमाह पेंशन लेने के स्थान पर पेंशन की एकमुश्त राशि (Lumpsum) लेना चाहता है जिसे सारांशीकृत मूल्य (Commuted value) कहा जाता है। पेंशन के सारांशीकृत मूल्य के संबंध में निम्न प्रावधान है।

$$\text{कुल पेंशन (Total Pension)} = \frac{\text{पेंशन की एक मुश्त राशि या पेंशन का सारांशीकृत मूल् (Commuted Value of Pension)}}{\text{पेंशन का एकीकृत भाग (Commuted part of Pension)}}$$

iii) **पेंशन का सारांशीकरण (Commuted Pension): धारा 10 (10-A)**

यदि कर्मचारी को अपनी पेंशन की एकमुश्त राशि मिलती है तो ऐसा सारांशीकृत मूल्य कर्मचारी के लिए वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है परंतु धारा 10 (10) के अंतर्गत इस संबंध में निम्नलिखित छूट दी जाती है–

क) केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को मिला पेंशन का सारांशीकृत मूल्य पूर्णतया कर मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सरकारी कर्मचारी स्वतः त्यागपत्र देकर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में नियुक्त होता है तो ऐसे कर्मचारी को मिली पेंशन की एकमुश्त राशि भी पूर्णतया कर मुक्त होती है।

ख) गैर सरकारी कर्मचारियों की दशा में –

i) यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिली हो तो कुल पेंशन के एकीकृत मूल्य का एक तिहाई 1/3 भागकर मुक्त होता है

ii) अन्य दशा में कुल पेंशन के एकीक्रत मूल्य का आधा भाग (1/2) एक बटे दो कर मुक्त होता है।

उपरोक्त करमुक्त राशि से अधिक प्राप्त पेंशन की एकमुश्त राशि वेतन के शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है परंतु करदाता उसी कर की दर से राहत के लिए धारा 89(1) के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र दे सकता है। पेंशन की राशि देय योग्य होने पर कर योग्य होती है चाहे वह मिली हो या ना मिली हो।

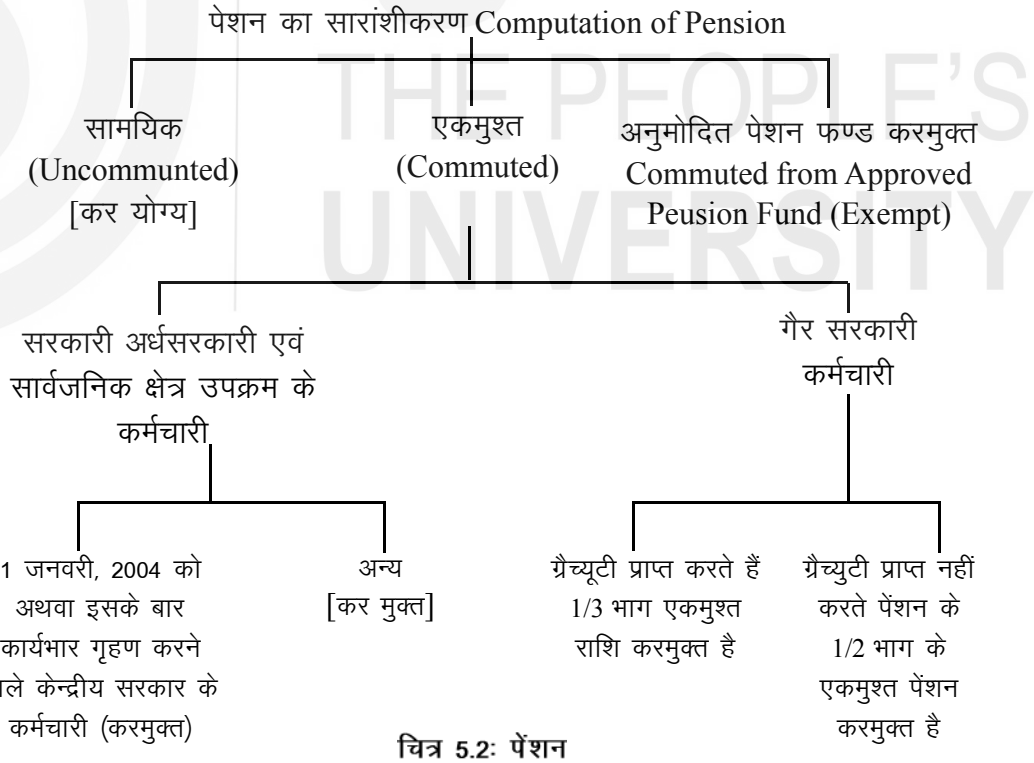

चित्र 5.2: पेंशन

उदाहरण 6

श्री मधुर एक कंपनी से 4,000 रु. प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करते हैं। पिछले वर्ष उन्होंने अपनी पेंशन का 2/3 पेंशन की एकमुश्त राशि के 1,86,000रु. प्राप्त किए। पेंशन की एकमुश्त राशि की कर मुक्त राशि की गणना कीजिए यदि

अ) वह ग्रेच्युटी प्राप्त करता है

ब) वह ग्रेच्युटी नहीं प्राप्त करता है।

हल

श्री मधुर गैर सरकारी कम्पनी में कार्यरत है, इस स्थिति में करमुक्त साराशीकृत पेंशन निम्नलिखित है

विवरण	रु.
a) ग्रेच्युटी प्राप्त किया	
साराशीकृत 2/3 भाग पेंशन	1,86,000
साराशीकृत पूरा भाग पेंशन = $1,86,000 \times \frac{3}{2}$	2,79,000
साराशीकृत $\frac{1}{3}$ भाग पेंशन = $2,79,000 \times \frac{1}{3}$	93,000
अतः करमुक्त पेंशन रु. 93,000 होगा और बची हुई राशि (1, 86,000 – 93,000) = रु. 93,000 करयोग्य होगी।	
कर योग्य	**93,000**
b) जब श्री मधुर को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया पेंशन को 2/3 साराशीकृत करने पर	
$1,86,000 \times \frac{3}{2}$	2, 79,000
साराशीकृत $\frac{1}{2}$ भाग पेंशन करने पर = $2,79,000 \times \frac{1}{2}$	1, 39,500
अतः करमुक्त भाग पेंशन होगा रु. 1, 39,500 और शेष भाग (1, 86,000 – 1, 39,500) = रु. 46,500 कर योग्य होगा।	
कर योग्य	**46,500**

उदाहरण 7

निम्न दशा में कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए पेंशन की कर योग्य राशि की गणना कीजिए।

i) श्री शांतनु एबीसी लिमिटेड से 30 जून 2019 को रिटायर हुए उन्हें 30, नवंबर 2019 तक रु.15,000 प्रतिमाह पेंशन मिली एवं 1 दिसंबर 2019 को 60% पेंशन के एकमुश्त राशि के रूप में रु. 1,50,000 मिले यदि उसने ग्रेच्युटी भी प्राप्त की है तो करयोग्य पेंशन की गणना कीजिए।

ii) श्री हर्षित ने केंद्रीय सरकार की सेवा से 30 जून 2019 को अवकाश प्राप्त किया उन्होंने फरवरी 2020 तक 2000 रु. प्रतिमाह पेंशन के प्राप्त किए वह 1 मार्च 2020 को अपनी पेंशन का एक चौथाई भाग एकमुश्त (Commute) करा लिया एवं 1,00,000 रु. प्राप्त किए कर योग्य पेंशन की गणना कीजिए।

iii) एक व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में 5,000 रु. एलआईसी (L.I.C.) पेंशन फंड के प्राप्त किए गए जो कि अनुमोदित पेंशन योजना के अंतर्गत आता था

iv) श्री सतीश को हौंडा लिमिटेड से रु. 18,00 प्रतिमाह पेंशन के मिलते हैं यह कंपनी निजी क्षेत्र की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है।

हल :

i) श्री शान्तानु एक गैर सरकारी कर्मचारी है। उनके द्वारा प्राप्त की गई ग्रेर साराशीकृत पेंशन कर योग्य होगी। उनके द्वारा प्राप्त की गई साराशीकृत पेंशन अंशतः कुरमुक्त तथा अशतः करयोग्य होगी। अतः पेंशन की गणना दो भाग में करेंगे।

क) गैर सराशीकृत पेंशन के कर की गणना रु. 7,500 निम्न प्रकार से है : रु. 1500 प्रतिमाह जुलाई 11, 1,2019 से नवम्बर 30, 2019 तक जोकि 5 माह के लिए

पेंशन @ 600 प्रतिमाह [रु. 1,500-60% of 1,500]
दिसम्बर 1, 2019 से मार्च 31, 2019 तक जोकि 4
माह के लिए

	रु.
[1500-900] 600 × 4	2,400
कुल गैर साराशीकृत पेंशन जोकि कर योग्य है	9,900

ख) साराशीकृत करयोग्य पेंशन की गणना निम्न तरह से की जायेगी

60% पेंशन का साराशीकृत भाग	1,50,000
पेंशन के पूरे भाग का साराशीकृत $\left[1,50,000 \times \frac{100}{60}\right]$	2,50,000

i) जब श्री शान्तानु से ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया पेशन का ½ भाग कर मुक्त होगा

कर मुक्त $\left[\frac{2,50,000}{2}\right]$	1,25,000
कर योग्य राशि (1,50,000 – 1,25,000)	25,000

ii) जब श्री शन्तनु को ग्रेच्यूटी प्राप्त होती है और पूरे पेंशन का 1/3 कर मुक्त होगा

$\left[\frac{2,50,000}{3}\right]$	83,333
कर योग्य राशि (1,50,000– 83,333)	66,667

अतः जब श्री शान्तनु को ग्रेच्यूटी मिलती है तो कर योग्य राशि (रु. 66,667 साराशीकृत + 9,900 गैर साराशीकृत)

जब श्री शान्तनु की ग्रेच्यूटी नहीं मिलती है अतः कर योग्य राशि रु. 34,900 (रु. 25000 साराशीकृत + 9,900 गैर साराशीकृत)

ii) श्री हर्षित केन्द्र सरकार में कर्मचारी है। धारा 10 (10-A) के अन्तर्गत साराशीकृत पेंशन पूर्णतः करमुक्त है अतः साराशीकृत पेंशन रु. 100,000 पूर्णतः कर मुक्त है।

गैर साराशीकृत पेंशन की कर योग्य गणना निम्न प्रकार है–

	रु.
8 माह का पेंशन जोकि 1, जुलाई 2019 से 28 फरवरी 2020 तक @ रु. 2000 प्रतिमाह	16,000

पेंशन, मार्च 2020 साराशीकृत पेंशन की कटौती के बाद रु. 2000	1,500
साराशीकृत पेंशन जोकि 2,000 – ¼ कर योग्य पेंशन की राशि	17,500

iii) साराशीकृत पेंशन एल.आई.सी. (LIC) पेंशन फण्ड से प्राप्त किया पूर्णतः करमुक्त है। अतः रु.50,000 पूर्णतः कर मुक्त होगा।

iv) श्री सतीश गैर सरकारी कर्मचारी और उनको सामयिक पेंशन जोकि रु. 1,800 × 12 – रु. 21,600 कर योग्य राशि है।

5.3.5 वार्षिकी (Annuity)

जब नियोक्ता अपने कर्मचारी की सेवा के बदले में एक निश्चित अवधि तक या जीवन पर्यन्त एक निश्चित राशि का भुगतान करता रहता है उसे वार्षिकी कहते हैं इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है।

a) किसी कर्मचारी को अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त वार्षिकी वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है।

b) किसी भूत पूर्व नियोक्ता से प्राप्त वार्षिकी भी वेतन की तरह वेतन शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य होती है।

ब) यदि वार्षिकी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से प्राप्त होती है जैसे एल.आई.सी. (LIC) या किसी बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत उसे अन्य स्रोतों से आय (income from other sources) शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य किया जाता है।

5.3.6 ग्रेच्युटी (Gratuity) [धारा 10(10)]

ग्रेच्युटी या उपदान का तात्पर्य उस भुगतान से है जो कर्मचारी की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उपहार स्वरूप दी जाती है ग्रेच्युटी का भुगतान सामान्य वेतन के अतिरिक्त किया जाता है और यह कर्मचारी की लंबी तथा उत्कृष्ट सेवा के बदले में दिया जाता है। इस सिद्धांत को ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में भी मान्यता दी गई है, परंतु जहाँ ग्रेच्युटी अधिनियम लागू नहीं होता, वहां भी नियोक्ता सेवा की शर्तों के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करते हैं।

ग्रेच्युटी का भुगतान अवकाश प्राप्ति के समय किया जाता है परंतु यदि वह जीवित नहीं रहता है तो उसकी पत्नी, बच्चों या कोई वैधानिक उत्तराधिकारी को दिया जाता है। ग्रेच्युटी के करारोपण संबंधी निम्न प्रावधान है। ग्रेच्युटी वेतन के रूप में कर योग्य है, परंतु धारा 10 (10) के अंतर्गत इस संबंध में छूट का प्रावधान है जो निम्न है–

क) सरकारी कर्मचारी के सन्दर्भ में (In case of Govt. Employee) [धारा 10 (10) (i)]

केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को मृत्यु तथा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त ग्रेच्युटी पूर्णतया कर मुक्त होती है।

ख) ऐसे कर्मचारी जो Payment of Gratuity Act 1972) के अन्तर्गत आते हैं के सन्दर्भ में [धारा 10 (10) (ii)]

ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो Payment of Gratuity Act, 1972 के अंतर्गत आते हैं [धारा 10(10) (ii)] उनको प्राप्त ग्रेच्युटी उक्त अधिनियम में प्रदत्त निम्न सीमा तक कर मुक्त है

i) प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन तथा मौसमी (Seasonal) संस्थाओं में 7 दिन का वेतन (यहां पर 6 माह से अधिक की सेवा अवधि को 1 वर्ष माना जाता है।) अन्तिम आहरित वेतन के आधार अतः 15 दिन का वेतन सेवा की अवधि

ii) रु. 20,00,000

iii) प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि

(इन तीनों में जो भी राशि सबसे कम है)

यदि कर्मचारी को कर मुक्त राशि से अधिक ग्रेच्युटी मिलती है तो वह कर योग्य होगी।

कर योग्य ग्रेच्युटी=प्राप्त ग्रेच्युटी(–)उपयुक्त में सबसे कम राशि

ग्रेच्युटी की गणना हेतु वेतन से आशय = वेतन अंतिम माह का वेतन + महंगाई वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अंतर्गत हो अथवा नहीं)

नोटः 1) बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, अधिक समय कार्य वेतन और किसी प्रकार के अन्य भत्ते शामिल नहीं किया जाएगा।

2) 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी।

$$15 \text{ दिन का वेतन} = \frac{\text{अंतिम माह का वेतन}}{26} \times 15$$

3) कार्य दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जाती है।

(अंतिम 3 माह की मासिक औसत मजदूरी)

$$15 \text{ दिन का वेतन} = \frac{\text{अधिकतम मजदूरी सहित}}{26} \times 15$$

4) एक माह को 26 दिन का माना जाएगा।

5) व छह माह या अधिक को पूरा वर्ष मान लेंगे तथा अंतिम माह के प्राप्त वेतन को लेंगे।

तालिका 5.2: ग्रेजुएटी के नियम संक्षेप में

सरकारी (कर्मचारी अर्थात केंद्रीय राज्य एवं स्थानीय सत्ता के सभी कर्मचारी) धारा 10 (10) (i)	ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी धारा 10(10)(ii)	ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारी धारा 10(10)(iii)
प्राप्त राशि पूर्णतया कर मुक्त है।	निम्न में सबसे कम राशि कर मुक्त है। i) प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन या 7 दिन (मौसमी संस्था के लिए) का वेतन जोकि 6 माह या उससे अधिक का हो ii) रु. 20,00,000 iii) वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी **नोटः** a) वेतन = सबसे अंत में प्राप्त वेतन + महंगाई भत्ता b) 15 दिन के वेतन की गणना = $\frac{\text{अंतिम माह का वेतन} \times 15}{26}$	निम्न में सबसे कम वाली राशि कर मुक्त है। i) प्रत्येक संपूर्ण वर्ष की सेवा के लिए) ii) माह का औसत वेतन 20,00,000 iii) वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी **नोटः** a) वेतन= मूल वेतन + महंगाई भत्ता/वेतन (सेवा की शर्तों के अंतर्गत). बिक्री पर कमीशन (यदि यह कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत है यह वेतन अवकाश ग्रहण करने वाले माह से पूर्व के 10 माह का औसत वेतन होगा। b) संपूर्ण वर्ष = पूरे 1 वर्ष की सेवा की अवधि,1 वर्ष की आंशिक सेवा छोड़ दी जाएगी।

उदाहरण 8

श्री शकील एक्सेस लिमिटेड कंपनी में सेवारत है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उन्होंने ग्रेच्युटी के 5,00,000 रु. प्राप्त किए। उन्होंने 31 मार्च 2020 को 27 वर्ष 9 माह सेवा के पश्चात अवकाश ग्रहण किया। अवकाश प्राप्ति के समय उनका मासिक वेतन रु. 17,000 था। श्री शकील के करयोग्य ग्रेच्युटी की राशि करनिर्धारण वर्ष 2020–21 की गणना कीजिए।

हल

i) 15 दिन का वेतन प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए

सेवा के पूर्ण का 28 वर्ष क्योंकि महीना और दिन को माना नहीं जायेगा।

$$17{,}000 \times \frac{15}{26} = 9808$$ रु.

9,808 × 28 — 2, 74,624

ii) अधिकतम राशि 20,00,000

iii) वास्तविक प्राप्त राशि 5,00,000

उपरोक्त तीनों में से सबसे कम राशि 2,74,624 कर मुक्त है और बाकी राशि (5, 00,000 – 2, 74,624) = रु. 2, 25,376 कर योग्य ग्रेच्यूटी होगी।

उदाहरण 9

श्री आशुतोष एक भारतीय कंपनी में 34 वर्ष 4 माह सेवा करने के पश्चात 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए कंपनी ने उन्हें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत रु. 8,00,000 भुगतान किए उनका अवकाश प्राप्ति के समय मासिक वेतन व महंगाई भत्ता क्रमशः रु. 58,000 व रु. 5,800 था। ग्रेच्युटी प्राप्ति की कर मुक्त राशि की गणना धारा 10 (10) (ii) के अनुसार कीजिए।

हल

कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना

विवरण	रु.
i) 15 दिन का वेतन पूरे सेवा काल के लिए वेतन = $58,000 + 5,800 = 63,800 \times \frac{15}{26}$ $= 36,808 \times 34$	12, 51,472
ii) अधिकतम राशि	20,00,000
iii) वास्तविक प्राप्त राशि	8, 00,000.

उपरोक्त तीनों में से सबसे कम राशि रु. 8, 00,000 कुल राशि में वास्तविक प्राप्त राशि को घटा देगें जो कि कर मुक्त है।

iii) अन्य कर्मचारियों जो धारा 10(10)(iii) के अन्तर्गत आते हैं (Employees covered under sec 10(10)(iii)

उपरोक्त (A) और (B) के अतिरिक्त कर्मचारी के सेवा में निवृत्त होने पर या उसके पूर्व ही काम करने में असमर्थ हो जाने पर सेवा समाप्त किए जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा पत्नी संतान अथवा आश्रितों को मिली हुई ग्रेच्युटी की राशि, जो सबसे कम राशि की सीमा तक कर मुक्त होती है।

a) ग्रेच्युटी की वास्तविक प्राप्त राशि या

b) अधिकतम राशि रु. 20,00,000

c) सेवा में पूरे किए गए वर्षों के प्रति वर्ष आधे महीने 1/2 का औसत वेतन।

नोटः 1) ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन से आशय = मूल वेतन + महगाई भत्ता + महगाई वेतन (यदि सेवा की शर्तों के आधीन है) + कमीशन (यह निश्चित बिक्री के आधार पर होगा।

2) इसके लिए वेतन का तात्पर्य कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने वाले महीने से ठीक पूर्व के 10 महीनों के औसत वेतन से है।

3) उपरोक्त में पूरे वर्ष का तात्पर्य सेवा की 12 महीनों की अवधि से है तथा सेवा के आंशिक अवधि जैसे 10 महीना 11 महीना इत्यादि को ध्यान नहीं दिया जाएगा

4) उपरोक्त के लिए वेतन का तात्पर्य मूल वेतन तथा ऐसे महंगाई भत्ते से जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा देय हो। इसके अतिरिक्त वेतन में कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्य कमीशन भी शामिल किया जाता है परंतु यदि कर्मचारी को कंपनी की कुल बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन मिलता है और कमीशन के लिए कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री का ध्यान नहीं दिया जाता है तो ऐसे कमीशन को कर्मचारी के वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा।

5) कर मुक्त राशि से अधिक प्राप्त की गई ग्रेच्युटी कर योग्य वेतन में शामिल की जाएगी, परंतु इसके अंतर्गत करदाता को धारा 89(1) के अंतर्गत कर राहत प्राप्त करने का अधिकार है।

6) यदि किसी कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से गत वर्ष में या उसके पूर्व के वर्षों में ग्रेच्युटी प्राप्त हुई हो तो कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा रुपए 20,00,000 से अधिक नहीं होंगे। चूंकि ग्रेच्युटी की कर योग्य राशि को वेतन में शामिल किया जाता है इसलिए कर्मचारी तथा नियोक्ता का संबंध होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंटों को दी गई ग्रेच्युटी की राशि को उपरोक्त कर छूट नहीं दी जाती।

उदाहरण 10

रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में 33 वर्ष 9 माह नौकरी करने के उपरान्त मिस्टर 'A' जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, ने 30 अप्रैल 2019 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। कम्पनी ने उन्हें रु. 85,000 ग्रेच्युटी का भुगतान किया। उनका मासिक वेतन अवकाश ग्रहण करके समय रु. 4,500 था। आय कर विधान की धारा 10(10) के अन्तर्गत आयकर से मुक्त ग्रेच्युटी की राशि की गणना कीजिए।

हल

इस प्रश्न में कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत आता है। कर्मचारी की सेवा की अवधि 33 वर्ष 9 माह है। अतः सेवा के 34 वर्ष लिये जायेंगे। इसके लिए 15 दिन के वेतन की गणना करने के लिए सबसे अनत में प्राप्त वेतन लिया जायेगा और उसका 15/26 किया जायेगा।

15 दिन का वेतन = $4,500 \times 15/26$ = रु. 2,596

निम्नलिखित सबसे कम ग्रेच्युटी की राशि कर मुक्त होगी	रु.
क) वास्तविक राशि	85,000
ख) रु. $2,596 \times 34$	88,264
ग) अधिकतम प्राप्त ग्रेच्युटी	20, 00,000
करमुक्त ग्रेच्युटी	85,000

उदाहरण 11

श्री विशेष ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत नहीं आते हैं, 34 वर्ष 9 माह 23 दिन की सेवा के उपरान्त 23 जून, 2018 को सेवानिवृत्त होने पर रु. 5,76,000 ग्रेच्युटी के प्राप्त करते हैं। उन्होंने सबसे अन्त में निम्नलिखित कुल वेतन प्राप्त किया मूल वेतन रु. 30,000 प्रतिमाह मंहगाई भत्ता रु. 7,200 प्रति माह (स्थायी)

मूल वेतन में रु. 1,200 प्रति माह की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष 1 जनवरी की होती है। कर निर्धारण 2020–21 में ग्रेच्युटी की कितनी राशि कर मुक्त होगी।

हल

श्री विशेष के सेवानिवृत्ति से पहले के 10 माह की औसत मूल वेतन

विवरण	रु.
i) 5 माह का वेतन (अगस्त 2018 से दिसम्बर 2018) @ रु. 28,800 प्रति माह	1,44,000
ii) 5 माह का वेतन (जनवरी 2019 से मई 2019) @ 30,000 प्रति माह	1,50,000
iii) कुल 10 माह का वेतन	2, 94,000
10 माह का औसत वेतन (रु. 2, 94,000/10)	29,400
आधे माह का औसत वेतन (रु. 29,400/ 2)	14,700

निम्नलिखित में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी –

1) वास्तविक प्राप्त राशि 5,76,000

2) प्रत्येक वर्ष पूरे हुए ½ माह का Rs 14,700 × 34 4, 99,800

3) रु. 20,00,000 (अधिकतम सीमा) 20,00,000

ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि 4,99,800

कर योग्य ग्रेच्युटी = वास्तविक प्राप्त राशि – सबसे कम राशि

(रु. 5, 76,000 – 4, 99,800)

कर योग्य ग्रेच्युटी = रु. 76,200

5.3.7 सेवा से छँटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति (Compensation on Retrenchment) [धारा 10(10B)]

एक कर्मचारी की औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) के अन्तर्गत सेवा से हटाया जा सकता है। उसकी छँटनी के अन्तर्गत निम्नलिखित दो बातें ध्यान देने योग्य हैं :

i) व्यापार के बन्द होने पर कर्मचारी का सेवा से हटना;

ii) एक व्यवसाय के सेवारत कर्मचारी को दूसरे व्यवसाय में स्थानान्तरित करना।

किसी कर्मचारी को उपर्युक्त प्रकार से छँटनी के कारण नियोक्ता से मुआवजे (Compensation) के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होती है। यद्यपि यह क्षेतिपूर्ति पूंजीगत प्रकृति की है, फिर भी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इसे सरकार वेतन में शामिल किया जाता है। क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण प्राप्त रकम कर योग्य नहीं होती है। कुछ सीमा तक यह कर मुक्त भी होती है निम्नलिखित तीन रकमों में से जो सबसे कम रकम होगी, वह कर्मचारी के लिए कर मुक्त होगी। प्राप्त रकम में से इस राशि को घटा देने पर जो रकम बचती है, उसे सकल वेतन में शामिल किया जायेगा :

a) प्राप्त क्षतिपूर्ति वास्तविक रकम;

b) लगातार नौकरी की अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण कलेण्डर वर्ष के लिए 15 दिन के आधार पर गणना की गई अवधि का औसत वेतन (6 माह या इससे अधिक अवधि को पूरा एक वर्ष मान लेंगे)।

c) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में घोषित रकम रु. 5,00,000

d) एक माह को 26 दिन का माना जायेगा।

e) 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार करेंगे :

$$\frac{\text{तीन माह का औसत वेतन (महँगाई भत्ता सहित)} \times 15}{26}$$

नोट :

1) औसत वेतन का आशय (i) वेतन का आशय = [मूल वेतन + महँगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अनतर्गत है अथवा नही) + महँगाई वेतन।

2) श्रमिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आता है। इसमें प्रबन्धक, प्रशासक, सुपरवाइजर जिनका वेतन रु. 1,600 प्रति माह से अधिक है तथ जो प्रबन्धकीय कार्यों के लिए अपनी सेवाएँ देते हैं, सेना में कार्यरत व्यक्ति, पुलिस सेवा, जल सेवा के कर्मचारी, सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

3) उपर्युक्त वर्णित कर मुक्त सीमा से अधिक क्षतिपूर्ति की रकम के सम्बन्ध में श्रमिक या कर्मचारी द्वारा आय–कर अधिनियम की धारा 89(1) के अन्तर्गत राहत (relief) की माँग की जा सकती है।

5.3.8 स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि (Sum Received on Voluntary Retirement) [धारा 10(10C)]

यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी (Public sector company) या अन्य किसी कम्पनी अथवा किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित किसी सत्ता अथवा केन्द्रीय या प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम, सहकारी समिति या विश्वविद्यालय अथवा भारतीय तकनीकी संस्थान अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रबन्ध संस्थान अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रबन्ध संस्थान (notified management institute) का कोई भी कर्मचारी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी स्वयं अपनी इच्छा से किसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति ले ले तो उसे इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त या प्राप्य राशि अधिकतम रु. 5,00,000 तक कर–मुक्त होती है। इस कर–मुक्त का अधिकतम रु. 5,00,000 का लाभ ऐसी संस्था के कर्मचारियों को भी मिलेगा जिन्हें किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचित किया है। कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति की कर मुक्त रकम निम्नलिखित चार में से सबसे कम रकम होगी।

i) क्षतिपूर्ति की प्राप्त रकम

ii) प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 3 माह का वेतन

iii) सेवा के शेष माह × अवकाश ग्रहण के समय का वेतन

iv) अधिकतम रु. 500,000

वेतन का आशय = [मूल वेतन + महँगाई वेतन + महँगाई भत्ता (यदि सेवाशर्तों के अन्तर्गत है तो) + बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर कमीशन]

5.3.9 अग्रिम वेतन (Advance Salary)

अग्रिम वेतन का अर्थ उस वेतन से है जो प्राप्त तो कर लिया गया है परंतु अभी अर्जित नहीं हुआ है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को कुछ परिस्थितियों में वेतन का अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है। धारा 15 के अनुसार वेतन में (a) गत वर्ष के लिए प्राप्त वेतन शामिल किया जाता है चाहे वह प्राप्त ना हुआ हो तथा (b) गत वर्ष के अंतर्गत प्राप्त वेतन चाहे वह प्राप्य ना हुआ हो। इस उपरोक्त प्रावधान के कारण कर्मचारी द्वारा गत वर्ष में नियोक्ता से प्राप्त अग्रिम वेतन भी शीर्षक की आय में शामिल कर लिया जाता है यद्यपि अग्रिम वेतन कर्मचारी को प्राप्य नहीं होता।

वेतन में भुगतान योग्य अग्रिम (Advance against salary)

कर्मचारी कभी–कभी नियोक्ता से ऋण लेता है जो कर्मचारी द्वारा अपने वेतन से किस्तों में ब्याज सहित या बिना ब्याज के नियोक्ता को वापस कर दिया जाता है ऐसे ऋण को वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा।

कर राहत

उपरोक्त से स्पष्ट हो गया कि अग्रिम वेतन को शामिल कर लेने पर करदाता कि उस गत वर्ष में 12 महीने से अधिक वेतन पर कर देने का दायित्व होता है और अधिक आय के साथ आयकर की दर बढ़ने के कारण करदाता को अधिक कर देना पड़ता है ऐसी स्थिति में कर में राहत के लिए कर्मचारी धारा 89 के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकता है।

5.3.10 भत्ते (Allowance)

भत्ते का आशय कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से वेतन के अतिरिक्त प्राप्त अन्य राशि से है। यह कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं से संबंधित होते हैं जो कि निश्चित, पूर्व निर्धारित एवं नियमित होते हैं :

1) जैसे महंगाई भत्ता, नगर पूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता इत्यादि।
2) यह कभी–कभी वास्तविक व्ययो की प्रतिपूर्ति के रूप में भी दिए जाते हैं और कभी–कभी वास्तविक व्ययों को अनदेखा कर दिया जाता है। भत्तो को चाहे जिस नाम से भुगतान किया गया हो, उन्हें कर्मचारी के करयोग्य वेतन में शामिल किया जाता है।

कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा देय भत्ते करारोपण की दृष्टि से निम्न तीन प्रकार के होते हैं।

1) पूर्णतया कर योग्य भत्ते
2) अंशतया कर योग्य भत्ते
3) पूर्णतया कर मुक्त भत्ते

उपरोक्त को निम्न चार्ट संख्या 5.5 में समझाया जा सकता है जिसमें तीनों प्रकार के विभिन्नभत्तो की सूची दी गई

सारणी 5.3: भत्तो की सूची

पूर्णतया कर योग्य भत्ते	अंशतया कर योग्य भत्ते	पूर्णतया कर मुक्त भत्ते
1) महंगाईभत्ता अथवा महंगाई वेतन	1) मकान किराया भत्ता।	1) वाहन भत्ता
2) चिकित्सा भता	2) मनोरंजन भत्ता	2) विदेश सेवा भत्ता
3) टिफिन भत्ता	3) यात्रा भत्ता	3) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भत्ता
4) नौकर भत्ता	4) धारा 10(14) (ii) के अंतर्गत करमुक्त विशेष भत्ते	4) संयुक्त राष्ट्र संघ से भत्ता
5) प्रैक्टिस ना करने का भत्ता।	कर मुक्त विशेष भत्ते	5) धारा 10(14)(1) के अंतर्गत अधिसूचित भत्ते
6) वार्डन भत्ता	i) बाल शिक्षा भत्ता	i) यात्रा भत्ता
8) प्रतिनियुक्ति भत्ता	ii) हॉस्टल भत्ता	ii) दैनिक भत्ता
7) समयोपरि भत्ता	iii) संयुक्त पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता	iii) सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए वाहन भत्ता
8) जीवन यापन भत्ता	iv) जनजाति क्षेत्र भत्ता	iv) सहायक भत्ता
9) नगर क्षतिपूरक भत्ता	v) परिवहन संस्था के कर्मचारी को वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में किए गए निजी व्यय पूर्ति के लिए भत्ता	v) ज्ञान उपार्जन भत्ता
10) अन्य भत्ते	vi) सीमावर्ती क्षेत्र दूरस्थ और कठिन क्षेत्र तथा अशांत क्षेत्र भत्ता	vi) वर्दी भत्ता
i) मैदान भत्ता		
ii) पाली भत्ता		
iii) विवाह का भत्ता		
iv) प्रोजेक्ट भत्ता		
v) आरक्षित भत्ता		
vi) बच्चों के लिए भत्ता		
v) कपड़ों का भत्ता		

5.3.10.1 पूर्णतया कर योग्य भत्ते (Fully Taxable Allowances)

चार्ट में प्रदर्शित पूर्णतया कर योग्यभत्ते जो कि नियोक्ता से प्राप्त किए जाते हैं कर योग्य वेतन की गणना करने में पूर्ण रूप से शामिल किए जाते हैं।

5.3.10.2 अंशतया कर योग्य भत्ते (Partially Exempted Allowances)

इस श्रेणी में उन भत्तों को शामिल किया जाता है जिनका कुछ भाग करमुक्त होता है और शेष भाग कर योग्य होता है जिसे कर योग्य वेतन की गणना में शामिल किया जाता है

A) मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) – धारा 10(13A)

सामान्यत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से मकान किराए के व्यय को पूरा करने के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है मकान किराया भत्ता नियम निम्न सीमाओं तक का कर मुक्त होता है :

i) गत वर्ष में संबंधित अवधि के लिए कर्मचारी द्वारा किराए भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि या

ii) संबंधित अवधि के लिए करदाताओं द्वारा अपने आवास के लिए दिए गए किराए का उसके वेतन के 10% से अधिक होना या

iii) यदि कर्मचारी का आवास कोलकाता मुंबई, चेन्नई, तथा दिल्ली में हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 50%

अथवा

iv) यदि आवास किसी अन्य स्थान पर स्थित हो तो कर्मचारी की संबंधित अवधि के वेतन का 40%

कर मुक्त राशि वह होगी जो उपरोक्त (i), (ii) तथा (iii) में से सबसे कम हो तथा कर मुक्त राशि के बाद शेष मकान किराया भत्ता कर योग्य वेतन में शामिल कर लिया जाता है।

	दिल्ली, मुम्बई, कोलकता और चेन्नई	अन्य किसी शहर
1.	मकान किराया भत्ते की वास्तविक रकम	मकान किराया भत्ते की वास्तविक रकम
	सम्बन्धित अवधि के लिए चुकाये गये किराये का वह भाग जो उसी अवधि के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक है।	सम्बन्धित अवधि के लिए चुकाये गये किराये का वह भाग जो उसी अवधि के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक है।
3.	वेतन का 50 प्रतिशत	वेतन का 40 प्रतिशत

नोट : वेतन से आशय=मूल वेतन + महंगाई वेतन + महंगाई भत्ता (यदि सेवा की शर्तों में हो) बिक्री पर एक निश्चित दर से प्राप्त कमीशन

उदाहरण 12

श्री वरुण चेन्नई में रहते हैं वह रु. 3,80,000 मूल वेतन के प्राप्त करते हैं नियोक्ता उन्हें रु. 1,20,000 मकान किराया भत्ता के देते हैं श्री वरुण रु. 95,000 किराए का भुगतान करते हैं मकान किराए भत्ते की कर योग्य व कर मुक्त राशि की गणना कीजिए।

हल

निम्न में से जो राशि सबसे कम है वह कर मुक्त होगी। रु.

i) वास्तविक प्रापत मकान किराया भत्ता 1, 20,000.

ii) वेतन के 10% से अधिक किराया देय (95,000 – 38,000) 57,000

iii) वेतन का $\frac{1}{2}\ \frac{3,\ 80,000}{2}$ 1, 90,000

सबसे कम राशि रु. 57,000 है अतः कर मुक्त आवास किराया भत्ता = रु. 1,20,000 – 57,000 = रु. 63,000.

उदाहरण 13

श्री राकेश गत वर्ष 2019–20 के लिए निम्न सूचना प्रेषित करते हैं। वह एक निजि कंपनी में कार्यरत है। (1) वेतन रु. 8000 प्रतिमाह; (2) महंगाई भत्ता वेतन का 20% (1/2 सेवा की शर्तों के अधीन है); (3) बोनस रु. 20,000; (4) बिक्री पर 5% की दर से कमीशन (बिक्री रु. 2,50,000); (5) मकान किराया भत्ता रु. 2,000 प्रति माह की दर से निम्न परिस्थितियों में कर योग्य मकान किराया भत्ता की गणना कीजिए

क) आगरा में रुपए 2,200 प्रतिमाह किराए के मकान में निवास करते हैं।

ख) दिल्ली में रु. 3,000 प्रतिमाह किराए के मकान में निवास करते हैं।

ब) अपनी मां के मकान में निवास करते हैं जिसके लिए उसने कोई भी किराया नहीं दिया है मकान का उचित किराया मूल्य रु. 4,000 प्रति माह घ्है।

हल

वेतन से आशय = वेतन + मंहगाई भत्ता (सेवा की शर्तों में शामिल) + विक्रय पर कमीशन = रु. 96,000 (8000 ×12) + 9600

$$+12{,}500\left(\text{Rs. } 2{,}50{,}000\times\frac{5}{100}\right) = 1{,}18{,}100 \text{ रु.}$$

क) जब वह आगरा में रहता है रु. 2,200 प्रति माह
जो राशि सबसे कम होगी वह कर मुक्त होगी रु.

i)	वास्तविक प्राप्त भत्ता रु. 2000 × 12	24,000
ii)	(किराया देय – वेतन का 10%) रु. 26,400 – 11,810	14,590
iii)	40% वेतन का	47,240

अतः रु. 14,590 कर मुक्त है

कर योग्य मकान किराया भत्ता = रु. 24,000 – रु. 14,590	9,410

ख) जब वह दिल्ली में रहता है 3,000 रु. प्रतिमाह
निम्न में से सबसे कम रकम कर मुक्त है रु.

i)	वास्तविक प्राप्त राशि रु. 2,000 × 12	24,000
ii)	(किराया भुगतान – वेतन का 10%) रु. 36,000 – रु.11,810	24,190
iii)	वेतन का 50%	59,050

4,000 रु., वास्तविक प्राप्त रकम पूर्णतः करमुक्त

ग) उसको कोई भी राशि मकान किराया सम्पत्ति में करमुक्त नहीं होगा क्योंकि वो किसी तरह का किराया का भुगतान नहीं कर रहा है।

अ) मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance)

मनोरंजन भत्ता पूर्ण रूप से वेतन से आय शीर्षक में शामिल किया जाता है परंतु वास्तविकता यह है कि व्यापारिक क्रियाकलापों को सुधारने के लिए कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते का अधिक भाग ग्राहकों पर व्यय करना पड़ता है इस सत्यता को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम में मनोरंजन भत्ते को पहले तो वेतन में जोड़ दिया जाता है वह बाद में कुल वेतन से कटौती कर दी जाती है जिस का विस्तृत वर्णन वेतन से कटौती शीर्षक के अंतर्गत इकाई 6 में दिया गया है

ब) परिवहन भत्ता (Transport Allowance)

सामान्य व्यक्ति के लिए यह भत्ता कर निर्धारण वर्ष 2019 – 20 से कर योग्य हो गया है परंतु दिव्यांग (अंधे एवं अपंग) कर्मचारियों को रु. 3,200 प्रतिमाह तक कर मुक्त होगा

स) विशेष कर मुक्त भत्ता (Special Allowances) धारा 10(14) (ii) के अंतर्गत कर मुक्त विशेष भत्ते जोकि अधिसूचना संख्या 259(5) दिनांक 27.3.1990 को निम्नलिखित अधिसूचति किया गया है।

i) **संयुक्त पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता** या अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता या असम प्रकृति के जलवायु का भत्ता या बर्फ से ढके क्षेत्र का भत्ता पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरे स्थान का भत्ता (हिमस्खलन भत्ता) अधिकतम 300 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त है। यदि कर्मचारी समुद्र तल से 1000 मीटर व इससे अधिक की ऊंचाई वाले स्थान पर कार्यरत है, इन भत्तो की करमुक्त होने के निर्धारित सीमा क्षेत्र के अनुसार प्रति माह रुपए 800, रुपए 7,000 तथा रुपए 300 है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सियाचिन क्षेत्र के लिए रुपए 7,000 व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रुपए 800 हैं (9000 फीट से अधिक वाले स्थान)

ii) **सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता** या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता या अशांत क्षेत्र भत्ता इस संबंध में कर मुक्त होने के निर्धारित सीमा प्रतिमाह 1,300 रुपए; 1,100 रुपए; रुपए 1,050; रुपए 750; रुपए 300; रु. 200 है जो सेवा के क्षेत्र के आधार पर बनाई गई है।

iii) **जनजाति क्षेत्र भत्ता** यह भत्ता रु. 200 प्रतिमाह की दर से नौ राज्य में कर मुक्त होता है वे राज्य हैं (i)मध्य प्रदेश (ii)तमिलनाडु (iii) उत्तर प्रदेश (iv)कर्नाटक (v) त्रिपुरा (vi) असम (vii)पश्चिम बंगाल (viii) बिहार (ix)तथा उड़ीसा

iv) **परिवहन सेवा में लगे कर्मचारी को वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के समय कार्य करते हुए** किए गए निजी व्यय पूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया विशिष्ट भत्ता कुल भत्ता राशि का 70% या रु. 10,000 प्रतिमाह दोनों से जो भी कम हो करमुक्त होता है।

v) **बाल शिक्षा भत्ता यह भत्ता** रु. 100 प्रति माह प्रति बच्चे की दर से केवल 2 बच्चों तक के लिए कर मुक्त होता है।

vi) **हॉस्टल भत्ता यह भत्ता रु. 300** प्रतिमाह बच्चे की दर से केवल दो बच्चों तक के लिए कर मुक्त होता है।

vii) **मैदानी क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता अधिकतम** घोषित कर मुक्त राशि रुपए 2,600 प्रतिमाह(जम्मूकश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ विशिष्ट क्षेत्र)

viii) **बागी प्रतिरोधक भत्ता** अधिकतम घोषित कर मुक्त राशि रु. 3,900 प्रतिमाह शस्त्र सेनाओं को प्रदत्त भत्ता जो 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए अपने स्थायी पड़ाव से दूर कार्यरत हैं।

ix) **भूमिगत भत्ता** कोयले की खानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए रु. 800 प्रतिमाह कर मुक्त होगा

x) **उँचाई भत्ता** जो 9,000 फीट से 15,000 फीट के लिए सेना के सदस्यों को दिया जाता है – रु. 1,060 प्रति माह 15,000 फीट से अधिक उँचाई की दशा में 1,600 रु. प्रति माह।

xi) **विशिष्ट क्षतिपूरक** उच्च क्रिया क्षेत्र भत्ता, जो सेना के सदस्यों को दिया जाता है– रु. 4,200 प्रति माह सीमा तक कर मुक्त है।

xii) **टापू ड्यूटी भत्ता,** जो सेना के सदस्यों को अण्डमान एवं निकोबार तथा टापुओं के लक्षद्वीप समूह– रु. 3,250 प्रति माह की सीमा तक।

xiii) **संशोधित मैदान क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता** – रु. 1,000 प्रति माह (पंजाब के कुछ क्षेत्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पंश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्र)

5.3.11 वेतन के बदले लाभ (Profits in Lieu of Salary)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है वेतन के बदले लाभ भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल होता है धारा 17 (3) के अनुसार इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैंः

i) **कर्मचारी द्वारा अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा सेवा से हटाए जाने पर या सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने पर, प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।**

क्षतिपूर्ति की राशि वस्तुतः पूंजीगत प्राप्ति मानी जाएगी क्योंकि यह आय के स्रोत के बदले में प्राप्त होती है परंतु एक कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि को धारा 17 (3) के आधार पर आय की भांति वेतन में शामिल किया जाता है।

इसी प्रकार, सेवा की शर्तों में परिवर्तन होने पर कर्मचारी को भविष्य में कम वेतन मिलने के कारण नियोक्ता द्वारा ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है ऐसे क्षतिपूर्ति की राशि भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है।

ii) **अप्रमाणित भविष्य निधि से भुगतान**

अप्रमाणित भविष्य निधि या किसी अन्य निधि से किया गया भुगतान (जो अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड ना हो) केवल नियोक्ता के अंशदान तथा नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज की राशि तक ही कर योग्य होगा।

करमुक्त (Exemptions) – धारा 17(3) (ii) के अनुसार निम्न प्राप्तियां यद्यपि नियोक्ता से ही प्राप्त होती हैं यह वेतन के स्थान पर लाभ में शामिल नहीं की जाएंगीः

i) मृत्यु तथा अवकाश ग्रेच्युटी का कर मुक्त भाग [धारा 10(10)]

ii) पेशन की एकमुश्त राशि (Commuted Pension) का कर–मुक्त भाग [धारा 10(10)A]

iii) सेवा से छटनी की क्षतिपूर्ति राशि का कर–मुक्त भाग [धारा 10(10)B]

iv) वैधानिक तथा सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड से भुगतान [धारा 10(11)]

v) प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से भुगतान [धारा 10(12)]

vi) अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड से भुगतान [धारा 10(13)]

vii) मकान किराया भत्ता का कर मुक्त भाग [धारा 10(10-A)]

ये कर मुक्त आये हैं। जिनमें से कुछ आय जैसे मृत्यु तथा अवकाश ग्रेच्युटी पेंशन की एकमुश्त राशि, प्राप्त क्षतिपूर्ति और मकान किराया भत्ता आदि की कुछ राशि करमुक्त है तथा कुछ कर योग्य [इन सभी का विस्तृत विवरण इसी अध्याय में दिया जा चुका है।]

बोध प्रश्न क

1) आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार 'वेतन' शब्द की परिभाषा बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

2) श्री अ एक गैर सरकारी कर्मचारी हैं, जिसका मासिक वेतन रु. 6,000 है 25 वर्ष 8 माह सेवा करने के बाद वह रिटायर हो गए। उन्हें ग्रेच्युटी के रु. 4,00,000 प्राप्त हुए। वह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ग्रेच्युटी भुगतान की कर मुक्त राशि की गणना कीजिए।

3) श्री राठौर एक प्राइवेट नौकरी से 30 अप्रैल 2019 को रिटायर हुए उनकी पेंशन रु. 6,000 प्रति माह निश्चित हुई। उन्होंने अपनी आधी पेंशन साराशीकृत Commute करा ली एवं रु. 3,00,000 प्राप्त किए उन्होंने रुपए 1,50,000 ग्रेच्युटी के भी प्राप्त किए उन्होंने अपनी पेंशन जनवरी 2020 में साराशीकृत (Commute) कराई। पेंशन हर माह 1 तारीख को मिलती है। करयोग्य पेंशन की गणना कीजिये।

4) श्री कौशिक 31 दिसंबर 2019 को सेवा से निवृत हुए। उनकी पेशन रु. 6,000 प्रति माह निर्धारित हुई। उन्होंने अपनी आधी पेंशन साराशीकृत (Commute) करा कर रु. 2,70,000 प्राप्त किए। निम्न स्थितियों में साराशीकृत (Commuted) पेंशन की कर योग्य राशि निकालिए।

   i) वह एक सरकारी कर्मचारी हैं

   ii) वह एक निजी कर्मचारी हैं तथा ग्रेच्युटी भी प्राप्त करते हैं

   iii) वह एक निजी कर्मचारी हैं और ग्रेच्युटी नहीं प्राप्त करते हैं।

5) बताइए कि निम्न विवरण सत्य है अथवा असत्य

   i) धारा 10 (10AA) के अंतर्गत अधिकतम 10 महीने का अर्जित अवकाश वेतन कर मुक्त होता है।

   ii) किसी मृतक कर्मचारी की पत्नी द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है।

   iii) किसी निजी क्षेत्र के कर्मचारी द्वारा प्राप्त ग्रेच्युटी की अधिकतम अधिसूचित कर मुक्त सीमा रुपए 20,00,000 है

   iv) मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि निर्धारित करने के लिए वेतन में सभी भत्ते शामिल किए जाते हैं।

   v) अंप्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है।

   vi) सरकारी कर्मचारियों के लिए मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम राशि रु. 5,000 है

   vii) विदेशी भत्ता कर मुक्त होता है

   viii) सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता कर मुक्त होता है।

   ix) वेतन में वेतन और मजदूरी दोनों शामिल होते हैं।

   x) ग्रेच्युटी की अधिकतम कर मुक्त सीमा रु. 20,00,000 है।

5.4 सारांश

वेतन से आय कुल आय का एक मुख्य शीर्षक है। वेतन का तात्पर्य उस पारिश्रमिक से है जो कर्मचारी अपनी सेवा के बदले में उसके नियोक्ता से प्राप्त होता है करारोपण के उद्देश्य

से वेतन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है वेतन के अंतर्गत कर्मचारी की केवल मौद्रिक आय को ही नहीं लिया जाता बल्कि उसके पद से जुड़े हुए अनुलाभों के मूल्य को भी शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत वेतन या मजदूरी, बोनस, पेंशन ,कमीशन, वार्षिकी, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नकदी करण अग्रिम वेतन फीस तथा वेतन के बदले मिले हुए लाभ को शामिल किया जाता है। कर योग्य वेतन की गणना के लिए उपरोक्त सभी पदों के कर योग्य अंश को जोड़ा जाता है वेतन का अर्थ विस्तृत ही नहीं बल्कि विभिन्न उद्देश्यों के संदर्भ में वेतन का अर्थ भिन्न–भिन्न होता है उदाहरण के लिए अर्जित अवकाश के नकदी करण के संदर्भ में वेतन का आशय मूल वेतन सेवा की शर्तों के अंतर्गत प्राप्त महंगाई भत्ता तथा कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित दर से प्राप्त कमीशन से है इसी प्रकार ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि निकालने के लिए तथा मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि के संदर्भ में भी वेतन का आशय उपरोक्त वेतन से ही होता है।

5.5 शब्दावली

वेतन से भुगतान योग्य अग्रिम (Advance against salary) : यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया ऋण है जिसका कर्मचारी द्वारा किस्तों में भुगतान किया जाता है इसे वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा।

अग्रिम वेतन (Advance salary) : ऐसा वेतन जो प्राप्य होने से पहले ही कर्मचारी को प्राप्त हो गया हो इसे प्राप्ति वाले गत वर्ष के वेतन में शामिल किया जाता है।

भत्ते (Allowances) : ऐसा मौद्रिक लाभ जो किसी नौकरी या मद से जुड़ा होता है जैसे वाहन भत्ता मकान किराया भत्ता इत्यादि। यह कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

वार्षिकी (Annuity) : ऐसे वार्षिक भत्ते की राशि या आए जो कर्मचारी को जीवन भर या लगातार मिलती रहती है।

वेतन की बकाया राशि (Arrears of salary) : गत वर्ष में कर्मचारी द्वारा प्राप्त ऐसा वेतन जो गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में प्राप्य हो गया हो।

पेंशन का सारांशीकरण (Commutation of salary) : एक सेवा मुक्त कर्मचारी यदि चाहे तो भविष्य में पेंशन लेने के बजाय नियोक्ता से एकमुश्त राशि प्राप्त कर सकता है इसे पेंशन का सारांशीकरण कहते हैं सारांशीकृत मूल्य एक सीमा तक कर मुक्त होता है।

अर्जित अवकाश का नकदी करण (Encashment of earned leave) : सामान्यतया एक कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा पर 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है कर्मचारी ऐसे अर्जित अवकाश का नकदी करण अपनी सेवा काल के दौरान या सेवा से निवृत होते समय करा सकता है सेवा काल की अवधि में अर्जित अवकाश तथा नकदी करण पूर्णतया कर योग्य होता है जबकि सेवा से निवृत होते समय अर्जित अवकाश का नकदी करण एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होता है।

ग्रेच्युटी (Gratuity) : कर्मचारी की लंबी तथा उत्कृष्ट सेवा के सम्मान के रूप में सेवा होते समय नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई एकमुश्त राशि ग्रेच्युटी होती है ग्रेच्युटी को भी एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त किया जाता है

पेंशन (Pension) : कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद नियोक्ता द्वारा मासिक भुगतान पेंशन कहा जाता है पेंशन की राशि वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है।

वेतन के बदले लाभ (Profits in lieu of salary) : कर्मचारी को सेवा से हटाने पर दी गई क्षतिपूर्ति की राशि तथा कर्मचारी की प्रमाणित भविष्य निधि से भुगतान इत्यादि वेतन के बदले लाभ माना जाता है यह वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है

5.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 2) रुपए 90,000

3) रुपए 1,54,000

4) A) पूर्णतया करमुक्त B) रुपए 90,000 C) शून्य

5) i) सत्य ii) सत्य iii) सत्य iv) असत्य v) असत्य vi) सत्य vii) सत्य viii) असत्यix) सत्य x) सत्य

5.7 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) पैंशन के सरांशीकरण के संबंध में आयकर अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान हैं?

2) मकान किराए भत्ते से संबंधित आयकर के प्रावधान को बताइए?

3) "वेतन के बदले लाभ" से आप क्या समझते हैं?

अभ्यास

4) श्री अजय उत्तर प्रदेश सरकार में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं उनका वेतनमान 1 जून 2019 से 10,000 – 500– 16,000 है। 2020–21 कर निर्धारण वर्ष के लिए वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर – $10,000 \times 2 + 10,500 \times 10 =$ रुपए 1,25,000

5) श्री अभिषेक रुपए 8000 प्रतिमाह एक निजी कंपनी से पेंशन पाते हैं गत वर्ष में उन्होंने अपनी तीन चौथाई पेंशन को साराशीकृत (Commute) करा ली और रुपए 7,20,000 प्राप्त की। कर मुक्त राशि की गणना कीजिए यदि वह ग्रेच्युटी भी प्राप्त करते हैं।

उत्तर – रुपए 3,20,000

6) श्री संजीव एक संस्था में कार्यरत हैं उनका मूल वेतन रुपए 6,000 प्रतिमाह तथा महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है पूरे वर्ष के लिए बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन आधारित है जो कि रुपए 25,000 है उन्हें रु. 1200 प्रतिमाह मकान किराया भत्ता मिलता है तथा वह रुपए 1,000 प्रतिमाह किराए का भुगतान करते हैं मकान लखनऊ में है कर योग्य मकान किराए भत्ते की राशि की गणना कीजिए।

उत्तर – रुपए 12,100

7) निम्न सूचनाओं से श्री जगदीश की अवकाश के नकदी करण की कर योग्य राशि की गणना कीजिए।

मूल वेतन	8,000 रू प्रतिमाह
महंगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अधीन)	800 रू प्रतिमाह
अवकाश के समय 31, मार्च 2019 को नकदी करण की प्राप्त वास्तविक राशि	2,00,000 रू
सेवा की अवधि	20 वर्ष

बची हुई शेष छुट्टियां	5 माह

उत्तर रुपए 2,00,000– रुपए 44,000 = रुपए 1,56,000

8) निम्न सूचनाओं से श्री आशीष की कर निर्धारण वर्ष 2020 – 21 के लिए सकल कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

मूल वेतन	रु. 10,000 प्रतिमाह
महंगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अधीन)	रु. 5,000 प्रति माह
बोनस	रु. 25,000
प्राप्त ग्रेच्युटी की कर योग्य राशि	रु. 3,00,000
सेवा अवधि	35 वर्ष
सेवाकाल में ली गई छुट्टियां	28 माह
अर्जित अवकाश के नकदी करण की वास्तव में प्राप्त राशि	रु. 1,50,000

उत्तर – सकल आय रु. 3,85,000

9) निम्न सूचनाओं से श्री घनश्याम दास की ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि निकालिए वह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते है।

अवकाश प्राप्त की तिथि	30 जून 2019
ग्रेच्युटी कि वास्तव में प्राप्त राशि	रु. 5,00,000
सेवा अवधि	30 वर्ष 11 माह
मूल वेतन	रु. 10,000 प्रतिमाह
महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन)	रुपए 3,000 प्रतिमाह
बिक्री पर कमीशन	2%
बिक्री	रु. 3,80,000

उत्तर – कर मुक्त राशि (रु. 2,04,495)

10) श्री नागराज जो ग्रेच्युटी भुगतान के अंतर्गत नहीं आते हैं। 25 दिसंबर 2019 को ABC लिमिटेड से 36 वर्ष 9 माह सेवा करने के बाद रिटायर हुए और ग्रेच्युटी का रु. 5,00,000 प्राप्त किया उनका वेतन 30 जून 2019 तक रु. 6,000 प्रति माह तथा उसके बाद जुलाई 2019 से रु. 7,000 प्रति माह हो गया उन्हें महंगाई भत्ता भी रु. 10,000 प्रति माह की दर से मिलता था जिसका 70% सेवा की शर्तों के अधीन था कर निर्धारण वर्ष 2020–21 ग्रेच्युटी की कर योग्य राशि की गणना कीजिए।

उत्तर – रु. 3,70,400

11) श्री आजाद विजया एंड स्टील कंपनी में दिल्ली में कार्यरत हैं। उन्हें रु. 12000 मूल वेतन प्रतिमाह तथा रु. 8000 प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलता है। जो कि अवकाश प्राप्त की सुविधाओं के लिए लिया जाता है उन्हें बिक्री पर 3% की दर से कमीशन भी मिलता है वित्तीय वर्ष 2019 में उनके द्वारा की गई बिक्री रु. 8,00,000 है। उन्हें रु. 8,000 मासिक मकान किराया भत्ता मिलता है और वह रु. 8,000 रू प्रतिमाह मकान का किराया देता है कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसके सकल वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर [1,44,000 + 96,000 + 24,000] = 2,64,000 + Taxable H.R.A.]

= रु. 2,90,400

12) श्री अमर चेन्नई में एक कंपनी में कार्यरत हैं। वह निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करते हैं।

1) मूल वेतन रु. 7,000 रू प्रतिमाह

2) महंगाई भत्ता रु. 1,000 प्रतिमाह (सेवा शर्तों के अधीन)

3) मकान किराया भत्ता रु. 1,200 प्रतिमाह

4) वास्तव में चुकाया गया किराया रु. 1,500 प्रतिमाह

5) वह 1 जनवरी 2019 को 25 वर्ष सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कंपनी ने उन्हें रु. 4,50,000 ग्रेच्युटी के भुगतान करें। वह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आतेहैं। कंपनी उन्हें रु. 5,000 प्रति माह पेंशन देती है

6) वेतन व पेंशन प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को उपार्जित माना जाता है।

7) श्री अमर का सकल वेतन निकालिए।

उत्तर कर योग्य मकान किराया भत्ता = (रु. (10,800 – रु. 6,300) = 4,500

कर योग्य ग्रेच्युटी = रु. (4,50,000–1,00,000) = रु. 3,50,000

सकल वेतन = रु. (63,000 + 9,000 + 15,000 + 4,500 + 3,50,000)

= रु. 4,41,500

नोटः यह प्रश्न एवं अभ्यास आपको इस इकाई का अध्ययन करने में सहायक होंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयत्न कीजिए। किंतु उत्तरों को विश्वविद्यालय न भेजिए। यह प्रश्न आप के अभ्यास के लिए हैं।

इकाई 6 वेतन II

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 अनुलाभ

6.2.1 अनुलाभ की परिभाषा

6.2.2 अनुलाभ के प्रकार [धारा 17(2)]

6.3 कर योग्य अनुलाभ का मूल्यांकन

6.3.1 किराया मुक्त आवास

6.3.2 रियायती किराए पर अवास

6.3.3 फ्रिन्ज लाभ

6.4 विशिष्ट कर्मचारियों के लिए अनुलाभ का मूल्यांकन

6.4.1 कार की सुविधा का मूल्यांकन

6.4.2 होटल के कर्मचारियों को रहने व खाने की सुविधा

6.4.3 गैस, बिजली और पानी की मुफ्त आपूर्ति – नियम 3(4)

6.4.4 किसी भी कर्मचारी के सदस्य को मुफ्त या रियायती शिक्षा सुविधाएं नियम

6.4.5 सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माली तथा अन्य घरेलू नौकर की मुफ्त सेवा

6.5 पूर्णतः कर मुक्त अनुलाभ

6.6 वेतन से कटौतियां

6.6.1 मानक या प्रमाणित कटौती

6.6.2 मनोरंजन भत्ता

6.6.3 रोज़गार पर कर

6.7 सारांश

6.8 शब्दावली

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.10 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अनुलाभ शब्द को परिभाषित करें;
- वेतनभोगी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई विभिन्न प्रकार की अनुलाभ सूची
- ऐसे अनुलाभ के मूल्य की गणना करें; और
- एक वेतनभोगी कर्मचारी को उपलब्ध वैधानिक कटौती की व्याख्या करें।

6.1 प्रस्तावना

इकाई 5 में, आपने प्रमुख वेतन के तहत शामिल की जाने वाली वस्तुओं के बारे में जान लिया है, आप उन भत्तों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो नकद में प्राप्त होने वाले कुछ भी नहीं हैं। इस इकाई में आप कुछ निश्चित अनुलाभ के बारे में जानेंगे जो कि वस्तु प्रकार में प्राप्त होते हैं और नकदी में परिवर्तित हो सकते हैं। आप इन अनुलाभों के मूल्यांकन और वेतन से उपलब्ध कटौती के बारे में भी जानेंगे।

6.2 अनुलाभ

अनुलाभ का तात्पर्य किसी भुगतान, फीस अथवा लाभ से है जो किसी कर्मचारी के लिए उपलब्ध है। अनुलाभ किसी कर्मचारी को वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं अनु लाभ मुद्रा के रूप में नगद या वस्तु अथवा सेवा के रूप में दिया जा सकता है। सामान्य रूप से अनु लाभ वस्तु या सेवा के रूप में ही दिया जाता है। अनुलाभों को कर योग्य बनाने के पीछे मूलभूत सिद्धांत यह है कि इससे कर्मचारी को व्यक्तिगत लाभ होता है।

जैसाकि आप जानते हैं कि अनुलाभ वेतन में आए शीर्षक का एक भाग है अतः अनुलाभों को वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य बनाने के लिए नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच संबंध होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को कर्मचारी और नियोक्ता के सम्बन्ध के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से अनुलाभ प्राप्त होता है तो उसे अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। जैसे– किसी होटल के वेटर को ग्राहकों से मिलने वाली टिप की धनराशि की अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है।

इस संबंध में यह महत्वपूर्ण बात है कि कर्मचारी को नियोक्ता से अर्जित लाभ वैधानिक होना चाहिए। किसी कर्मचारी द्वारा अवैधानिक तरीके से लिया गया लाभ अनुलाभ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता [C.I.T. v A.R. Addaikkappa Chettiar (1973) 19 ITR 90 (Mad) and C.I.T. v Kulandaivelu Konar (1975) 100 ITR 629 (Mad).] जैसे किसी कंपनी ने अपने महाप्रबंधक को आवास के लिए बंगला दिया हो जिसमें वह नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात् भी 1 वर्ष तक रह रहा हो तो यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे आवास की सुविधा को उस महाप्रबंधक के वेतन में अनुलाभ के रूप में शामिल किया जाएगा? तथ्य यह है कि ऐसा आवास कर्मचारी के अधिकार में है तथा ऐसे आवास की लागत कंपनी द्वारा वाहन की जाती है फिर भी कर्मचारी तथा नियोक्ता के संबंध में अभाव के कारण इस अनुलाभ के मूल्य को वेतन शीर्षक के अंतर्गत नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ स्थितियों में यदि कर्मचारी नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को स्वीकार नहीं करता उसे कर्मचारी के वेतन में लाभ के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।

6.2.1 अनुलाभ की परिभाषा [धारा 17(2)]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार ''अनुलाभ में शामिल हैं''

i) किराए का मूल्य – उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान किए गए मुफ्त आवास।

ii) अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान किए गए किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य;

iii) निम्नलिखित मामलों में किसी भी लाभ या सुविधा का मूल्य मुफ्त या रियायती दर पर प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक को पूरा करने वाले को निर्दिष्ट कर्मचारी कहा जाता है–

a) एक कंपनी द्वारा एक कर्मचारी जो उसके निदेशक हैं।

b) कोई भी कर्मचारी जिसके पास नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% मताधिकार वाले समता अंश है अर्थात् नियोक्ता कम्पनी में साखान हित रखता है।

c) किसी भी नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी जिसे ऊपर (a) और (b) एक के प्रावधान लागू नहीं होता है, लेकिन जिनकी आय वेतन के तहत है (चाहे एक या अधिक नियोक्ताओं द्वारा भुगतान या अनुमत हो) मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान नहीं किए गए सभी लाभों या सुविधाओं का मूल्य रु. 50,000 से अधिक है। दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी जिसका मौद्रिक वेतन रुपये 50,000 से अधिक है।

iv) किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि, जो इस तरह के भुगतान के लिए, करदाता द्वारा देय होगी 17(2)(iv)

v) कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम अथवा वार्षिकी अनुबध के अन्तर्गत है जो कि किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, या जमा लिंक्ड इंश्योरेंस फंड के अलावा देय राशि, चाहे वह सीधे हो या वार्षिक अनुबंध धारा के अन्तर्गत हो।

vi) नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या करदाता को रियायती दर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तांतरित या हस्तांतरित किसी निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्यिूटी शेयरों का मूल्य;

vii) करदाता के संबंध में नियोक्ता द्वारा अनुमोदित सुपरनेशन फंड में किसी भी अंशदान की राशि उस सीमा से अधिक हो सकती है जब वह रु. से अधिक हो 1,50,000;

viii) करदाता किए गए किसी भी अन्य लाभ या मूल्य का लाभ हो सकता है।

6.2.2 अनुलाभ के प्रकार [धारा 17(2)]

कराधान के आधार पर अनुलाभ को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

a) सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए कर योग्य (सामान्य अनुलाभ)

b) विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य (विशिष्ट अनुलाभ)

c) सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ

d) सीमान्त या अतिरिक्त लाभ

आइए अब हम उपर्युक्त चार प्रकार के अनुलाभों की सूची का अध्ययन निम्नवत करेंगे।

a) वर्ग के चार कर्मचारियों के लिए कर योग्य (सामान्य अनुलाभ)

ये अनुलाभ नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार के कर्मचारी (सरकारी, अर्थ–सरकारी या निजी उपक्रमों में कार्यरत) या किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के अनुलाभ नीचे किए गए हैं :

1) किराया–मुक्त आवास की सुविधा

अपने नियोक्ता द्वारा करदाता को प्रदान किए गए किराए–मुक्त आवास का मूल्य प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य है। नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया आवास उसके

स्वामित्व का हो सकता है या अपने कर्मचारी को प्रदान करने के लिए नियोक्ता ने किराए पर कुछ आवास ले कर कर्मचारी को प्रदान किया है।

2) रियायती किराए पर मुफ्त आवास

नियोक्ता अपने कर्मचारियों को किराए की कम राशि वसूल कर सकता है या उनके वेतन से किराए की कुछ राशि काट सकता है। इसे रियायती किराया मुक्त घर कहा जाता है।

3) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान

इस तरह के दायित्व का भुगतान दो तरह से किया जा सकता है, पहला, नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के पक्ष में दूसरा, कर्मचारी पहले स्वयं भुगतान कर सकता है और फिर नियोक्ता द्वारा इनकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

इस तरह के भुगतान की वास्तविक राशि कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है और उसे वेतन में उसकी आय में शामिल करते हैं। ऐसे दायित्व निम्न प्रकार के हो सकते हैं :

i) कर्मचारी के व्यक्तिगत ऋण का भुगतान

ii) कर्मचारी के होटल या क्लब के बिलों का भुगतान, लेकिन अगर कोई कर्मचारी क्लब का सदस्य बन जाता है या अपने नियोक्ता के लाभ के लिए किसी होटल में खर्च करता है; यह कर्मचारी के हाथों अनुलाभ के यप में नहीं माना जाएगा।

iii) कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा शुल्क या अन्य व्यय का भुगतान।

iv) कर्मचारी के वेतन पर आयकर का भुगतान

v) किसी कर्मचारी द्वारा लगे घरेलू नौकरों को वेतन का भुगतान।

vi) कर्मचारी के व्यक्तिगत और कानूनी खर्चों का भुगतान।

vii) यदि कनेक्शन कर्मचारी के नाम पर है तो घरेलू गैस, बिजली या पानी की भुगतान।

viii) रुपये 15,000 से अधिक में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होती है।

ix) जीवन बीमा या कर्मचारी की वार्षिक के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम।

x) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के रोज़गार कर या पेशा कर का भुगतान।

नोटः कोई भी अनुलाभ, लाभ या सुविधा, जिसका बिल कर्मचारी के नाम पर जारी किया जाता है और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, इस श्रेणी में आएगा, अर्थात् कर्मचारी के दायित्व का भुगतान यदि नियोक्ता करता है, तो यह उसके वेतन में जोड़ा जाएगा।

4) कर्मचारी के जीवन बीमा व वार्षिकी प्रीमियम का भुगतान

नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम या फिर किसी वार्षिकी के अनुबंध के प्रभाव से किया गया भुगतान कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ होगा। यह प्रीमियम नियोक्ता द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर निम्नलिखित निधियों के अतिरिक्त किसी और निधि द्वारा भुगतान किया जाता है।

i) प्रमाणित भविष्य निधि

ii) अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड

iii) जमा सहित बीमा निधि– जिसे धारा 3G के अनुसार coal mines provident fund and miscellaneous provision act 1948 के अंतर्गत स्थापित किया गया हो।

लेकिन नियोक्ता द्वारा राज्य बीमा योग्य के तहत किसी भी प्रीमियम कर भुगतान या देय कर्मचारी के लिए अनुलाभ नहीं होगा और कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होगा क्योंकि यह योजना कर्मचारी के हित में हो। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह राशि जैसे ही भुगतान के लिए उपर्जित होगी वैसे ही कर योग्य हो जाएगी। गत वर्ष में वास्तविक भुगतान आवश्यक नहीं है।

5) कर्मचारी को स्वेट समता अंशों व विशिष्ट प्रतिभूतियों का आवंटन व हस्तांतरण

यदि कर्मचारी को उसके वर्तमान या पिछले नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वेट समता अंशों व विशिष्ट प्रतिभूतियों का आवंटन एवं हस्तांतरण मुफ्त या रियायती दरों पर होता है तो यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा और उसकी आय के वेतन में शामिल किया जाएगा।

6) नियोक्ता का अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में अंशदान

कर्मचारी के अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में नियोक्ता का 1,50,000 रु. से अधिक का अंशदान अनुलाभ की तरह कर योग्य होगा। धारा 17(2)(vii)]

7) सीमान्त लाभ

निर्धारित फ्रिंज लाभ या सुविधाएं इस प्रकार है :

i) कर्मचारी को ब्याज रहित या रियायती ब्याज दर पर ऋण नियम [3(7)(i)]

ii) कर्मचारी या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा यात्रा व अन्य व्ययों का भुगतान जिनकी प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की गई है।

iii) मुफ्त भोजन, गैर-मादक पेय या जलपान की सुविधा नियम [3(7)(iii)]

iv) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई भेद उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्य नियम [3(7)(iv)]

v) क्रेडिट कार्ड की सुविधा नियम [3(7)(v)]

vi) क्लब सम्बन्धित व्यय नियम [3(7)(vi)]

vii) कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा नियोक्ता की चल संपत्ति का प्रयोग नियम [3(7)(vii)]

viii) नियोक्ता द्वारा किसी चल सम्पत्ति का कर्मचारी का या उनके घर के सदस्य का हस्तान्तरण नियम [3(7) (viii)]

ix) नियोक्ता द्वारा प्रदत्त कोई अन्य लाभ, सुविधायें, सेवा, अधिकार या विशेषाधिकार [नियम 3(7)(ix)]

b) विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ [धारा 17(2) (iii)]

अधिनियम की धारा 17(2) (iii) के अनुसार, वे अनुलाभ जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं, विशिष्ट करयोग्य अनुलाभ कहलाते हैं।

विशिष्ट कर्मचारी का अर्थ

एक व्यक्ति जो निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करता है, उसे एक विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा :

i) यदि कर्मचारी नियोक्ता की कंपनी में निदेशक है – पूर्णकालिक या अंशकालिका।

ii) कर्मचारी ने नियोक्ता की कंपनी में कम से कम 20% या अधिक समता अंशों को प्राप्त किया है या कर्मचारी को नियोक्ता की कंपनी में सारकन हित रखता है।

iii) किसी कर्मचारी की कुल मौद्रिक प्राप्ति रुपये 50,000 से अधिक होनी चाहिए। एक कर्मचारी जो उपरोक्त (दोनों में से किसी भी श्रेणियों) में शामिल नहीं है। जिसकी कर योग्य मौद्रिक आय शीर्षक के अन्तर्गत (गैर–मौद्रिक) अनुलाभ के मूल्य को छोड़कर 50,000 रुपये से अधिक एक विशिष्ट कर्मचारी है। यदि किसी कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से वेतन मिलता है, तो उसे विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा, यदि सभी नियोक्ताओं से कुल मौद्रिक वेतन रु. 50,000 से अधिक है।

'मौद्रिक वेतन आय' में सभी कर योग्य नकद प्राप्तियां शामिल हैं, जैसे, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, कमीशन, कर योग्य भत्ता, नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए कर्मचारियों के दायित्व, जैसे – आयकर, रोज़गार कर, गैस, बिजली और पानी का भुगतान और भी प्राप्त सेवानिवृत्ति के समय, उदाहरण के लिए, कर योग्य ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का योग या भविष्य निधि से प्राप्त राशि, आदि।

विशिष्ट कर्मचारियों के हाथों में कर योग्य विशिष्ट अनुलाभ

1) मोटर कार की सुविधा।

2) घरेलू नौकरों की सुविधा

(सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार, या व्यक्तिगत सहायक) नियोक्ता द्वारा नियुक्त और कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्यों के लिए और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो।

3) मुफ्त गैस, बिजली और पानी की सुविधा

4) नियोक्ता के विधालय या अन्य किसी और विद्यालय में कर्मचारी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था।

5) किसी कर्मचारी या उसके घर के सदस्य को मुफ्त या रियायती दर पर व्यक्तिगत या निजी यात्रा प्रदान की जाती।

6) नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य लाभ सुविधा, सेवा, अधिकार या विशेषाधिकार का मूल्य।

c) सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क अनुलाभ

i) चिकित्सा सुविधा

ii) जलपान की सुविधा

iii) परिवहन सुविधा या वाहन सुविधा

iv) नियोक्ता का योगदान

v) नियोक्ता के लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग

vi) मनोरंजन की सुविधा

vii) दूरस्थ क्षेत्र में आवास

viii) भारत के बाहर उपलब्ध कराए गए अनुलाभ

ix) टेलीफोन की सुविधा

x) रिफ्रेशर कोर्स या प्रशिक्षण की सुविधा

xi) आकस्मिक बीमा प्रीमियम का भुगतान

xii) कर्मचारी के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधा

xiii) गैर–मौद्रिक अनुलाभ पर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया कर

xiv) अवकाश यात्रा रियायत

xv) यातायात व्यवसाय में संलग्न उपक्रमों द्वारा कर्मचारी की निःशुल्क परिवहन की सुविधा।

xvi) संसद के मंत्री आदि को मुफ्त आवास की सुविधा (रखरखाव सहित)

6.3 कर योग्य अनुलाभ का मूल्यांकन

अनुलाभों का मूल्यांकन – सभी कर्मचारियों के लिए ''वेतन शीर्षक'' के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना के लिए हमें उन अनुलाभों का मूल्यांकन करना आवश्यक है जो कर्मचारियों को मुद्रा के रूप में ना मिलकर सुविधाओं के रूप में प्राप्त होता है उन अनुलाभों का मूल्यांकन आयकर नियम 1962 के नियम 3 के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

6.3.1 किराया मुक्त आवास

नियम 3(1) के अनुसार किराए से मुक्त मकान के मूल्यांकन के लिए कर्मचारियों को निम्न दो वर्ग में विभक्त करते हैं

1) **क) सरकारी कर्मचारी** : निम्नलिखित को सरकारी कर्मचारी में शामिल किया जाता है।

a) केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारी

b) ऐसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी सेवायें सरकार द्वारा नियन्त्रित संस्थाओं या निकायों को उधर दे दी गई हैं के वर्ग में आते हैं। किन्तु विदेशी सरकार के कर्मचारी इस वर्ग में नहीं आते, इन्हें दूसरी श्रेणी में शामिल किया जाता है।

ख) गैर सरकारी कर्मचारी : इस वर्ग में वे सभी कर्मचारी आते हैं जो उपरोक्त वर्णित वर्ग 'अ' में नहीं आते अर्थात् केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा सभी कर्मचारी निजी क्षेत्र के कर्मचारी माने जाते हैं।

किराया मुक्त आवास के प्रकार : नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिया गया आवास निम्नलिखित दो श्रेणी में से एक हो सकता है।

i) ***असुसज्जित मकान (Unfurnished Accommodation)*** वह आवासीय मकान जिसमें किसी प्रकार का कोई भी फर्नीचर तथा साजसज्जा का अन्य सामान नहीं लगा है उसे असुसज्जित मकान कहा जाता है

ii) ***सुसज्जित मकान (Furnished accommodation)*** वह आवास जो फर्नीचर या अन्य सुविधाओं जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयरकंडीशनिंग संयत्र या उपकरण और अन्य घरेलू उपकरणों से सुसज्जित है को सुसज्जित कहा जाता है।

ऐसी सुविधा दो प्रकार से हो सकती है

a) किराया मुक्त या

b) रियायती दरों पर

2) **सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई निवास सुविधा**

i) **यदि असुसज्जित निवास स्थान हो** : सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऐसे निवास स्थान का मूल्य केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस में से कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए को घटाने पर प्राप्त राशि मानी जाएगी।

मूल्यांकन = केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा आवास के संबंध में निर्धारित लाइसेंस फीस जो उसी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है (–) कर्मचारी द्वारा वास्तव में चुकाया गया किराया।

ii) **सुसज्जित निवास स्थान की दशा में**– अनुलाभ का मूल्य पहले उस स्थान को असुसज्जित उपरोक्त (1) की तरह मानकर निर्धारित कर लेंगे इसमें (फर्नीचर, टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यन्त्र व अन्य उपकरणों) की लागत का 10% और जोड़ देंगे। यदि वह फर्नीचर किराए पर लिया गया हो तो नियोक्ता द्वारा तृतीय पक्षकार को देय या दिया गया किराया व्यय, दिया जाएगा। गत वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा ऐसे फर्नीचर के लिए भुगतान या देय किसी भी शुल्क से फर्नीचर का मूल्यांकन कम किया जाएगा।

मूल्यांकन = केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस + फर्नीचर की मूल लागत का 10% (यदि फर्नीचर सरकार का है)

अथवा

फर्नीचर का सरकार द्वारा देय वास्तविक किराया (यदि फर्नीचर किराए का है।)

नोट :

1) मूल वेतन देय (अग्रिम एवं अवशिष्ट वेतन को छोड़कर) + मंहगाई वेतन + मंहगाई भत्ता (यदि यह सेवा शर्तों के अंतर्गत हो) + फीस + बोनस + कमीशन + समस्त कर योग्य भत्ते (उन भत्ते को छोड़कर जो कर योग्य नहीं है) + अन्य कोई मौद्रिक भुगतान (जो किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।) किंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होगा।

a) मंहगाई भत्ता या मंहगाई वेतन बशर्ते कि यह सेवा कि शर्तों के अंतर्गत ना हो

b) कर्मचारी के प्रविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान

c) आयकर से कर मुक्त समस्त भत्ते

d) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) में उल्लेखित किसी अनुलाभ का मूल्यांकन

e) किसी भी भुगतान या व्यय को विशेष रूप से कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प योजना या योजना से सम्बन्धित खंड (2) के उपखंड (14) के तहत बाहर रखा

गया है यह धारा 17 के खंड (2) (चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा का प्रतिपूर्ति) से सम्बन्धित है।

f) सेवा की समाप्ति के समय या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त किसी भी एकमुश्त भुगतान जैसे ग्रेच्युटी, नकदीकरण, साराशीकृत पेशन आदि।

2) 'आवास' में एक घर, फ्लैट, फार्महाउस, या उसका हिस्सा या होटल, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल घर, जहाज या अन्य फ्लोटिंग संरचना शामिल है।

3) उच्च एवं उच्चतम न्यायलय के जजों को रहने के मकान की सुविधा।

4) संसद के मन्त्री आदि को किराया मुक्त आवास की सुविधा।

उदाहरण 1

श्री Y गृह मंत्रालय में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में नई दिल्ली में रहते हैं। उनका मूल वेतन रु. 12,000 प्रतिमाह तथा मंहगाई भत्ता रु. 1200 प्रतिमाह है। उन्हें ज़ारबाग में किराया मुक्त आवास की सुविधा दी गई है। जिसका उचित किराया रु. 72,000 प्रति वर्ष है। बोनस 3 माह मूल वेतन का शिक्षा भत्ता रु. 6,000 प्रतिमाह, नगरक्षतिपूरक भत्ता (City Compensatory allowance) रु. 6,000 प्रतिमाह, फर्नीचर का मूल्य रु. 50,000 सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस रु.12,000 प्रति वर्ष है। किराया मुक्त आवास का मूल्यांकन कीजिए यदि आवास (i) असुसज्जित हो (ii) सुसज्जित हो तथा फर्नीचर का वास्तविक किराया रु. 2000 प्रतिवर्ष हो।

हल

1) श्री Y सरकारी कर्मचारी – (असुसज्जित मकान)

किराया मुक्त आवास का मूल्यांकन =

सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस रु.12,000

नोट :

i) सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेन्स फीस रु.12,000 प्रति वार्षिक अतः रु. 12,000 को किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन होगा

ii) आवास का उचित किराया मूल्यांकन और कर्मचारी का वेतन अमान्य होगा क्योंकि यह आवास सरकारी मकान का है और इसका लाइसेन्स फीस दिया हुआ है। अतः लाइसेन्स फीस ही मान्य है।

B) अन्य किसी स्वामी द्वारा दिया गया निवास स्थान

कर्मचारी को मुफ्त या रियायती किराए पर दिए गए रिहायशी मकान को मालिक द्वारा लीज या किराए पर लेने पर।

इस वर्ग में निम्नलिखित कर्मचारी शामिल है।

सरकारी कर्मचारी को छोड़कर अन्य कर्मचारियों में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, वैधानिक निगमों निजी क्षेत्र की कंपनियों, साझेदारी फर्म तथा आद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं आदि में सेवारत कर्मचारी आते हैं। श्रेणी में आने वाले कर्मचारी को प्रदान की गई सुविधा का मूल्य निम्नलिखित होगा।

1) यदि निवासी स्थान असुसज्जित है।

निवासी स्थान की प्रकृति	अन्य किसी शहर में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक ना हो प्रदान किया गया निवास स्थान	25 लाख से कम परन्तु 10 लाख (2001 जनगणना आधार पर से अधिक) जनसंख्या वाले शहर में दिए गए निवास स्थान	25 लाख (2001 जनगणना आधार पर) से अधिक जनसंख्या वाले शहर में दिए गए निवास स्थान
a) यदि निवासी स्थान का मालिक नियोक्ता हो	गत वर्ष में कर्मचारी को दिए गए निवास स्थान हेतु वेतन का 7.5%	गत वर्ष में कर्मचारी को दिए गए निवास स्थान हेतु वेतन का 10%	गत वर्ष में कर्मचारी को दिए गए निवास स्थान हेतु वेतन का 15%
b) जब नियोक्ता द्वारा निवास स्थान किराए पर या लीज पर लिया गया हो।	नियोक्त द्वारा दिया गया वास्तविक किराया या लीज वेतन का 15% जो भी दोनों में कम हो।	नियोक्त द्वारा दिया गया वास्तविक किराया या लीज राशि या वेतन का 15% जो भी दोनों में कम हो।	नियोक्त द्वारा दिया गया वास्तविक किराया या लीज राशि या वेतन का 15% जो भी दोनों में कम हो।

स्पष्टीकरण

1) यदि मकान रियायती दर पर प्रदान किया जाता है, तो उपरोक्त 'अ' या 'ब; के अनुसार निर्धारित मूल्य यदि वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाता है, तो चुकाया गया वास्तविक किराया घटा दिया जाता है।

2) **जहाँ आवास सुसजिज्त है** : अनुलाभ का मूल्य निर्धारित किया जाएगा जैसे कि यह एक अपूर्ण आवास है (अर्थात् ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार निर्धारित मूल्य। इस तरह के मूल्य को फर्नीचर की लागत के 10% तक बढ़ाया जाएगा। टेलीविजल, रेडियो सहित, रेफ्रिजरेटर, अन्य हाउस होल्ड उपकरण, एयर कंडीशनिंग प्लांट या उपकरण या अन्य गैजेट्स) या यदि इस तरह के फर्नीचर को किसी तीसरे पक्ष से किराये पर लिया जाता है, तो वास्तविक किराया उसी के लिए देय है। फर्नीचर का ऐसा मूल्यांकन किसी भी तरह से कम किया जाएगा। गत वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा ऐसे फर्नीचर के लिए भुगतान या देय कर्मचारी को करना होगा।

मूल्यांकन = गत वर्ष में असुसज्जित मकान के रूप में मूल्यांकन + फर्नीचर की लगात का 10%

या

असुसज्जित मकान के रूप में मूल्यांकन + नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए फर्नीचर का वास्तविक किराया या किराया प्रभार (यदि फर्नीचर लीज या किराए पर लिया गया है)

C) जब नियोक्त सरकार या अन्य द्वारा निवास सुविधा होटल में दी गई है।

निवास स्थान का मूल्यांकन होगा :

i) गत वर्ष में देय वेतन का 24% भाग या

ii) होटल में देय या चुकाया गया वास्तविक व्यय, जो दोनों में कम हो। उस अवधि के लिए जितने समय के लिए निवास स्थान दिया गया हो यदि कर्मचारी ने कोई किराया चुकाया हो तो उसे मूल्यांकन में से हटा दिया जाता है।

होटल में दी गई निवास सुविधा का कोई अनुलाभ नहीं

निम्नलिखित दो शर्तों की पूर्ति पर होटल में दी गई सुविधा का कोई भी मूल्य कर योग्य नहीं होगा।

a) यदि यह सुविधा 15 दिनों से अधिक के लिए नहीं दी गई हो।

b) यह सुविधा कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण मिली हो।

मूल्यांकन = गत वर्ष की संबंधित अवधि में भुगतानित अथवा देय वेतन का 24% अथवा नियोक्ता द्वारा ऐसे होटल को वास्तविक शुल्क का भुगतान या देय (जो दोनों में कम हो)

(इस तरह के आवास को सुसजिज्त माना जाता है।)

नोट : बिना किराए के मकान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न के विशेष अर्थ हैं :

1) वेतन (Salary) – किराए से मुक्त मकान के मूल्यांकन के लिए वेतन से तात्पर्य करदाता को दे मूल वेतन तथा उन सभी भत्तों के योग से है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मासिक अथवा अन्य प्रकार से दिए गए जाते हैं जैसे फीस, बोनस, कमीशन, मंहगाई भत्ता या मंहगाई वेतन (यदि वह सेवा को शर्तों के अंतर्गत है) तथा अन्य सभी भत्तो अन्य कोई मौद्रिक भुगतान जो किसी नाम से पुकारा जाता हो। किन्तु इसमें निम्न राशियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

a) मूल वेतन

b) महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन (Dearness (Allowance or Dearness pay) बशर्ते कि यह सेवा की शर्तों के अंतर्गत ना हो यदि महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन सेवा की शर्तों के अंतर्गत है तो इसे भी वेतन में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

c) बोनस

d) कमीशन

e) कोई अन्य मौद्रिक भुगतान

परन्तु निम्न वेतन में शामिल नहीं है।

i) मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई वेतन (यदि यह सेवा की शर्तों में शामिल नहीं है)

ii) कर्मचारी के भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान।

iii) आयकर से मुक्त समस्त भत्ते

iv) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) में उल्लेखित किसी अनुलाभ का मूल्यांकन

2) 'निवास स्थान' में एक मकान, फ्लैट, फार्म हाउस या उसका हिस्सा, होटल के स्थान पर गेस्ट हाउस, मोटल कारवा, मोबाइल घर, जहाज या अन्य चलते–फिरते ढ़ांचे शामिल हैं।

3) होटल में होटल सेवा अपार्टमेंट या गेस्ट हाउस की प्रकृति में लाइसंस प्राप्त आवास शामिल है

4) निवास स्थान की गणना करने में वेतन देय को आधार माना जाता है जो कर्मचारी को देय हो जैसे यदि किराया मुक्त आवास 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक दिया हो तो केवल जनवरी – फरवरी–मार्च का वेतन ही गणना हेतु लेंगे।

5) यदि कर्मचारी को दो नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त हो तो अनुलाभ की गणना करने हेतु दोनों नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन लिया जाएगा, भले ही निवास सुविधा एक ही नियोक्ता से प्राप्त हुई हो।

उदाहरण 2

एयर इंडिया में एक चालक के रूप में नियुक्त है उसका वेतन रु. 72,000 प्रति वर्ष महंगाई भत्ता रु. 12,000 प्रति वर्ष (निवृत्त लाभों की गणना के लिए शामिल किया जाता है) बोनस रु. 6,000 तथा शिक्षा भत्ता रु. 6,000 प्रति वर्ष है उसके दो बच्चे पास के विद्यालय में पढ़ते हैं उसे मुंबई सांता क्रुज में किराया मुक्त आवास की सुविधा प्राप्त है उसका उचित किराया रु. 30,000 प्रति वर्ष है। आवास की सुविधा का मूल्यांकन कीजिए।

i) यदि मकान असुसजिज्त है;

ii) मकान सुसजिज्त हो तथा फर्नीचर की मूल लागत रु. 100,000 है।

हल

मूल्यांकन

i) मूल्यांकन सुसजिज्त की तरह

मूल्यांकन = वेतन का 15%

कुल वेतन = रु. 93,600

15% वेतन का (जब कि मुम्बई की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है = रु. 14,040

नोट :

1) वेतन का आशय = 72,000 (मूल वेतन) + 12,000 (मंहगाई भत्ता) + 6,000 (बोनस) + 3,600 (शिक्षा भत्ता) = रु. 93,600

2) महंगाई भत्ता अनिवृत्त लाभों में शामिल है अतः यह वेतन में भी शामिल किया जाएगा।

3) शिक्षा भत्ता रु. 100 प्रति बच्चा अधिकतम दो बच्चों तक कर मुक्त है जो कि रु. 24,000 अतः कर योग्य राशि तथा अन्य भत्ते भी वेतन में शामिल किए जाएंगे।

सुसजिज्त मकान

मूल्यांकन = वेतन का 15% + फर्नीचर की लागत 10%

= 14,040 + 10,000 = 24,040

नोट :

वेतन = रु. 93,600 (15% of रु. 93,600 = रु. 14,040)

फर्नीचर की लागत = रु. 1, 00,000

उदाहरण 3

मिस्टर अजय दुबे एक कंपनी के महाप्रबंधक हैं उन्हें रु. 25,000 प्रति माह वेतन रु. 15,00 प्रतिमाह विवाह भत्ता रु. 2,000 प्रतिमाह बच्चों का भत्ता तथा 15 सौ रुपए प्रतिमाह महंगाई भत्ता (जिसका आधा प्रोविडेंट फंड अंशदान की गणना हेतु वेतन में जोड़ा जाता है) मिलता है उन्हें निवास से कार्यस्थल तक आने जाने हेतु प्रदत्त आवागमन भत्ता रु. 400 प्रति माह भी मिलता है उन्हें 3 माह के मूल वेतन के बराबर बोनस भी मिलता है। उन्हें किराए से मुक्त एक बंगला कंपनी की ओर से प्राप्त है, जिसमें कंपनी की ओर से वातानुकूलित संयंत्र, रेफ्रिजरेटर, रेडिया सेट तथा अन्य फर्नीचर जिसकी लागत रु. 16,00,000 है भी लगा है कंपनी इस बंगले का रु. 7000 प्रतिमाह किराया देती है सुसजिज्त बंगले का मूल्यांकन कीजिए।

हल

यद्यपि बंगला कम्पनी के नियोक्ता का नहीं है अतः किराये से मुक्त मकान की गणना निम्न प्रकार होगी।

मूल्यांकन = लीस या किराये का भुगतान या वेतन का 15% (तीनों के जो सबसे कम हो) + फर्नीचर की कीमत का 10%

= [रु.84,000 या रु. 4,30,800 का 15%]

+ रु. 1,60,000 का 10%

= [रु.84,000 या रु. 64,620] + रु. 16,000

= [रु.64,620] + रु. 16,000

= रु. 80,620

नोट :

1) वेतन से आशय = मूल वेतन + (वेतन का ½ भाग महंगाई भत्ता क्योंकि ये सेवा की शर्ते में शामिल है)

अतः वेतन में शामिल है

= रु. 4,30,800 [300,000 (वेतन) + रु.18,000 (विवाह भत्ता) +

= रु. 24,000 (बच्चों का भत्ता) + रु. 9000 (महंगाई भत्ता)

+ रु. 4,800 (यात्रा भत्ता) + रु. 75,000 (बोनस)]

2) बच्चों का भत्ता और विवाह भत्ता पूर्णतः करयोग्य भत्ता है।

6.3.2 रियायती किराए पर आवास

जब किराए की रियायती दर पर कर्मचारी को आवास प्रदान किया जाता है, तो ऐसे आवास का मूल्य निर्धारित किया जाता है जैसे कि आवास मुफ्त प्रदान किया गया था।

उस मूल्य से, गत जिस वर्ष कर्मचारी ने मकान सम्पत्ति पर अधिकार किया था, उस अवधि के लिए भुगतान या देय किराया, घटाया जाना चाहिए। परिणामी राशि को रियायत

के मूल्य के रूप में वेतन में जोड़ा जाएगा। यदि कर्मचारी को नियोक्त द्वारा रियायती किराए पर एक आवास प्रदान किया गया है, आम तौर पर, नियोक्ता अपने कर्मचारी के वेतन से उसे प्रदान किए गए आवास के किराए की एक निश्चित राशि कांट लेता है। किराए के रूप में उसे प्रदान किए गए आवास के वास्तविक उचित किराये मूल्य से कम कर देते है। यदि कर्मचारी आवास का उचित किराया देता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किराए के मामले में कोई रियायत प्राप्त कर रहा है। ऐसे मामले में कोई अनुलाभ नहीं होगा। लेकिन जब उनके द्वारा भुगतान किया गया किराया या उनके वेतन से कटौती आवास के उचित किराये मूल्य से कम है तो उन्हें किराए के मामले में रियायत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। यह एक अनुलाभ होगा। आम तौर पर, वेतन का 20% या वेतन का 15% जैसा भी मामला हो, आवास का उचित किराया लिया जाता है। रियायती किराए पर एक कर्मचारी को प्रदान किया गया आवास या तो सुसजिज्त या पूर्ण हो सकता है। किराए में रियायत का मूल्यांकन नीचे दिया जाएगा।

क) गैर सरकारी नियोक्ता द्वारा प्रदत असुसजिज्त आवास (unfurnished accommodation provided by an employer other than the Central Govt. or any State Government):

a) यदि आवास का स्वामित्व नियोक्ता है (If the accommodation is owned by the employer:

किराए में रियायत का मूल्यांकन = वेतन का 15% अथवा 10% अथवा 7.5% जैसी भी स्थिति हो – करदाता से प्राप्त अथवा करदाता द्वारा देय किराया।

b) यदि आवास नियोक्ता ने किराए या पट्टे पर लिया है (If the accommodation is taken on lease or hire by the employer):

किराए में रियायत का मूल्यांकन = वास्तव में चुकाया गया किराया या वेतन का 15% (जो भी दोनों में कम हो) करदाता से प्राप्त अथवा करदाता द्वारा

ख) सरकार (केंद्रीय अथवा राज्यीय) द्वारा प्रदत असुसज्जित आवास (unfurnished accommodation provided by the Central or any State Government)

किराए में रियायत का मूल्यांकन = निर्धारित लाइसेंस फीस – करदाता से प्राप्त या करदाता द्वारा देय (Value of concession in rent) किराया

ग) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुसजिज्त आवास (furnished accommodation provided by the Central or any State Government)

किराए में रियायत का मूल्यांकन = निर्धारित लाइसेंस फीस + फर्नीचर की लागत का 10% – (करदाता से प्राप्त या करदाता द्वारा दे फर्नीचर का किराया हेतु भुगतान सहित)

घ) गैर सरकारी नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सुसजिज्त आवास (furnished accommodation provided by an employer)

i) यदि आवास का स्वामित्व नियोक्ता का है (if the accommodation is owned by the employer)

किराए में रियायत का मूल्यांकन = असुसज्जित की भांति मूल्यांकन + फर्नीचर की लागत का 10% (करदाता से प्राप्त या करदाता पर देय फर्नीचर किराया है तो भुगतान सहित)

ii) नियोक्ता द्वारा पट्टे या किराये पर आवास लिया जाता है (If the accommodation is taken on lease or rent by the employer)?

कराए में रियायत का मूल्यांकन = असुसज्जित की भांति मूल्यांकन + फर्नीचर की लागत का 10% – करदाता से प्राप्त या करदाता द्वारा देय किराया (फर्नीचर हेतु भुगतान सहित)

ङ) नियोक्ता द्वारा होटल में प्रदत्त आवास (accommodation provided by the employer in a hotel)

किराए में रियायत का मूल्यांकन = वेतन का 24% अथवा होटल का भुगतान वास्तविक राशि (जो भी दोनों में कम है) – करदाता से प्राप्त किराया।

नोट :

1) यदि करदाता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने पर होटल में केवल 15 दिन के लिए आवास दिया जाता है तो इस सुविधा का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा यह कर मुक्त होगी।

2) आवास में लगे फर्नीचर की सुविधा का मूल्यांकन फर्नीचर की लागत का 10% होगा (यदि फर्नीचर नियोक्ता का है) अथवा फर्नीचर का वास्तविक किराया होगा (यदि फर्नीचर किराए का है)

संक्षेप में किराए में रियायत का मूल्यांकन का निम्न सूत्र से होगा।

रियायती आवास का मूल्यांकन असुसज्जित या सुसजिज्त	=	निशुल्क आवास की भांति मूल्यांकन	–	कर्मचारी द्वारा दे अथवा चुकाया या कर्मचारी के वेतन से काटा गया किराया

सारिणी 6.2: किराए मुक्त आवास का मूल्यांकन

असुसजिज्त	सरकारी कर्मचारी	निजी क्षेत्र के कर्मचारी	
	सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क	**नियोक्ता द्वारा स्वमित्व वाले आवास :** a) वेतन का 15% (25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में) या b) वेतन का 10% (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं या c) वेतन का 7.5% (अन्य शहरों में)	**नियोक्ता द्वारा किराया पर लिया गया आवास:** किराया या देय या वेतन का 15 प्रतिशत (जो भी कम हो) (सभी शहरों के संबंध में)
सुसजिज्त (सभी कर्मचारियों के लिए	असुसजिज्त की तरह मूल्यांकन + फर्नीचर के मूल्य का 10% या वास्तविक किराया या नियोक्ता द्वारा किराये पर लिया गया फर्नीचर का मूल्य		

6.3.3 फ्रिंज लाभ

फ्रिंज लाभ या सुविधाएं निम्न प्रकार निर्धारित हैं :

1) एक कर्मचारी को ब्याज मुक्त ऋण या रियायती ऋण [नियम 3(7)(i)]

निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

i) ऋण कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य (पति/पत्नी, बच्चों और उनके पति, माता–पिता, नौकर और आश्रित) को उसके नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से गत वर्ष में दिया गया हो।

ii) ब्याज की गणना अधिकतम बकाया मासिक शेष राशि पर की जाएगी।

iii) श्री अमित के हाथ में कुछ भी कर योग्य नहीं है क्योंकि ऋण की राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं है।

iv) कार लोन के लिए अप्रैल 2019 को एसबीआई उधार दर 8.90% है, लेकिन श्री अमित से केवल 2.90% ब्याज वसूल किया जाता है, यानी एक वर्ष के लिए 45,000 रुपये पर 2,700@ ब्याज 6% (8.90% ब्याज 20,00,000 रुपये पर 1 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक यानी 8 महीने के लिए होगी।

उदाहरण 4

करनिर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए निम्नलिखित दशाओं में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान की गई रियायती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए करयोग्य व्याज का मूल्य निर्धारण कीजिए।

i) एक नियोक्ता अम्बानी लिमिटेड ने अपने कर्मचारी मि. अमित को ब्याज रहित ऋण की 10,000 की धनराशि बच्चों की शिक्षा के लिए तथा रु. 6,000 की धनराशि एक कपड़े धोने की मशीन क्रय करने के लिए दी। इसके अतिरिक्त अमित को कोई भी ऋण प्रदान नहीं किया गया है। कर योग्य व्याज का मूल्य ज्ञात कीजिए।

ii) अंबानी लि. ने अपने कर्मचारी मि. अमित को कार क्रय करने हेतु ऋण के लिए धनराशि। अप्रैल, 2019 को प्रदान की। अंबानी लि. मि. अमित से 2.90% वार्षिक की दर से ब्याज लिया है। करयोग्य ब्याज का मूल्य ज्ञात कीजिए।

हल

करनिर्धारण वर्ष 2020–21, के लिए ब्याज सहित ऋण की सुविधा का मूल्यांकन

i) ऋण का मूल्य रु. 20,000 से ज़्यादा नहीं होने के कारण मि. अमित के लिए यहां ऋण करयोग्य नहीं होगा।

ii) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अप्रैल 2019 के लिए कार ऋण 8.90% कर दिया। लेकिन बैंक ने मि. अमित से 2.90% से वसूल किया। अतः ब्याज 6.35% जोकि (9.25–2.90%) 3,175 रु. एक वर्ष के लिए मि. अमित के लिए करयोग्य होगा।

2) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य के लिए यात्रा, भ्रमण और किसी अन्य खर्च के लिए भुगतान या वहन या प्रतिपूर्ति की गई हो [नियम 3(7)(iii)]।

कभी–कभी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य द्वारा अवकाश भ्रमण के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

सारिणी 6.3 : करयोग्य भ्रमण एवं यात्रा की शर्तें

शर्तें	कर योग्य मूल्य
यदि सभी कर्मचारियों को समान प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।	नियोक्ता द्वारा ऋण से उत्पन्न (–) कर्मचारी से वसूल किया गया
यदि सभी कर्मचारियों को समान प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं।	अन्य एजेंसियों द्वाार प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का मूल्य (–) कर्मचारी से वसूल किया गया।
यदि कर्मचारी आधिकारिक दौरे के काम पर है और इन खर्चों का भुगतान उसके घर के किसी सदस्य के लिए किया जाता है जो उसके साथ गया था।	मूल्य का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया है।
यदि कर्मचारी अधिकारिक दौरे पर है और इस दौरे को छुट्टियों के रूप में बढ़ाया जाता है।	विस्तारित अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गये खर्च।

नोट :

i) उपरोक्त सभी स्थितियों में, यदि कर्मचारी से कोई भी राशि वसूल की जाती है, तो उसे फ्रिंज लाभ के कर योग्य मूल्य से काट लिया जाएगा और शेष राशि को फ्रिंज लाभ मूल्य के रूप में ही माना जाएगा।

ii) शेष मूल्य तभी कर योग्य होगा जब यह सकारात्मक हो।

3) मुफ्त भोजन, गैरमादक पेय या जलपान की सुविधा। नियम 3(7) (iii)]

निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

सारणी 6.4: भोजन एवं पेय पदार्थ के लिए शर्तें एवं करयोग्य मूल्य

शर्तें	कर योग्य मूल्य
यदि कार्यालय समय के दौरान मुफ्त चाय और नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है।	शून्य
यदि दूरस्थ क्षेत्र या समुद्रगामी स्थान में कार्यालय समय के दौरान मुफ्त भोजन और गैर मादक पेय प्रदान किए जाते हैं।	शून्य
यदि कार्य के स्थान पर मुफ्त भोजन और गैर मादक प्रेय कार्यालय समय के दौरान प्रदान किए जाते हैं।	i) यदि भोजन की दर 50 रु. प्रति भोजन है तो कर योग्य मूल्य शून्य होगा। ii) यदि भोजन की दर 50 रुपये प्रति भोजन से अधिक है तो यह अतिरिक्त मूल्य कर योग्य होगा।
यदि गैर हस्तांतरणीय सशुल्क वाउचर के माध्यम से कार्य के स्थान पर कार्यालय समय के दौरान मुफ्त भोजन दिया जाता है।	कर योग्य मूल्य 50 रुपये प्रति भोजन से अधिक होना चाहिए।
किसी अन्य मामले में	नियोक्ता से ऋण का वास्तविक व्यय (–) कर्मचारी से वसूल की गई राशि

नोट :

i) कार्यालय समय में, समय के अधिक काम और छुट्टी के काम करना शामिल है।

ii) मुफ्त भोजन में भोजन, चाय और नाश्ते शामिल हैं।

iii) दोपहर का भोजन और मुफ्त भोजन अलग अलग है, लंच भत्ता, रात्रि भत्ता, जलपान भत्ता का मूल्य कर योग्य होगा।

उदाहरण 5

एक नियोक्ता अपने कर्मचारी मि. राजीव को कार्यालय के समय में चाय/काफी देता है जिसमें नियोजक का व्यय रु.5,500 प्रति वर्ष होता है। इसके अतिरिक्त वह कार्यालय समय से मुक्त दोपहर के भोजन की सुविधा प्रदान करता है। इस भोजन की लागत वर्ष में रु. 300 कार्य दिवसों के लिए रु. 100 प्रति भोजन थाली है। नियोक्ता कर्मचारी से रु. 40 प्रति भोजन वसूल कर लेता है। इस सुविधा का कर योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए।

हल

विवरण	रु.	रु.
i) नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई चाय/काफी की सुविधा का मूल्य शून्य होगा क्योंकि यह सुविधा कार्यालय में कार्य अवधि के दौरान प्रदान किया जा रहा है।		शून्य
ii) भोजन का करयोग्य मूल्य (300 × 100)		30,000
घटाइए : i) करमुक्त मूल्य (300 × 50)	15,000	
ii) मि. राजीव से वसूल की गई राशि (300×40)	12,000	27,000
भोजन की करयोग्य मूल्य		**3,000**

4) कोई उपहार या वाउचर या टोकन [नियम 3 (7) (iv)]

निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

i) उपहार नकद या किसी वस्तु का हो सकता है।

ii) नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उपहार दिया जा सकता है।

iii) यदि उपहार की लागत (किसी भी समारोह के अवसर पर) रुपये 5,000 से अधिक है तो यह कर योग्य होगा।

iv) नकद उपहार या कोई भी उपहार जिसे पैसे में परिवर्तित किया जा सकता है (जैसे– चेक, जो कर मुक्त नहीं है, लेकिन इसका मूल्य कर्मचारी के वेतन में शामिल किया जाएगा, यदि इसका मूल्य रुपये 5,000 से कम हो तब भी।

v) सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया कोई भी उपहार (जैसे– दीपावली, क्रिसमस, नया साल, होली आदि) यदि यह किसी वस्तु के रूप में दिया जाता है तो यह उपहार करमुक्त होगा और यह कर्मचारी के वेतन में शामिल नहीं है जबकि इसका मूल्य प्रति वर्ष रुपये 5,000 से अधिक नहीं है। यदि उपहार का मूल्य रु. 5,000 से अधिक है तो यह अतिरिक्त मूल्य कर्मचारी के लिए करयोग्य होगा और उसकी वेतन में शामिल किया जायेगा।

5) क्रेडिट कार्ड की सुविधा [नियम 3 (7)(v)]

इसका करयोग्य मूल्य निम्न प्रकार होगा।

नियोक्ता द्वारा किए गए कुल खर्च

घटाइए : i) कार्यालय या कर्तव्य के संबंध में व्यय

ii) कर्मचारी से वसूला गई रकम

आधिकारिक उपयोग के लिए क्रेडिट कार्ड पर खर्च :

इन खर्चों में कटौती के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना है :

i) नियोक्ता द्वारा इन खर्चों के संबंध में पूरा विवरण रखा जायेगा। उदाहरण के लिए व्यय की तिथि, व्यय की प्रकृति आदि।

ii) नियोक्ता इस उद्देश्य के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा कि ये खर्च आधिकारिक उद्देश्य के लिए भुगतान किए गए हैं।

नोट :

i) नियोक्ता कर्मचारी को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को क्रेडिट कार्ड देता है तो या क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित खर्च नियोक्ता के द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

ii) क्रेडिट कार्ड पर खर्च में सदस्यता शुल्क और अन्य शुल्क या व्यय शामिल नहीं होंगे जो कर्मचारी या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा घरेलू उद्देश्य के संबंध में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए हैं।

6) क्लब व्यय [नियम 3 (7)(vi)]

इसका कर योग्य मूल्य निम्न प्रकार है :

क्लब की सुविधा पर किए गए खर्च या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति

घटाइए : i) क्लब की सुविधा पर खर्च या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति

ii) कर्मचारी से वसूली गई रकम

नोट :

i) हेल्थ क्लब और स्पोर्टस क्लब सुविधाएं नियोक्ता द्वारा कंपनी में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाती है, इन मूल्यों को कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगी।

ii) यदि इस तरह की क्लाब सुविधाएं आधिकारिक उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा उस पर भुगतान किए गए खर्च कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होंगे लेकिन इस छूट के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ये स्थितियाँ वहीं हैं जिनका उल्लेख पहले के अंक में किया गया है (क्रेडिट कार्ड पर व्यय)।

iii) क्लब सदस्यता शुल्क : आरम्भ में कॉरपोरेट सदस्यता के लिए एकमुश्त जमा अथवा शुल्क जहाँ उसका लाभ कर्मचारी के लाभ के साथ उसके अवकाश ग्रहण के पश्चात् नहीं रहता है वह कर मुक्त नहीं है।

7) एक कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा नियोक्ता की चल संपत्ति का उपयोग [नियम 3 (7) (vii)]

यदि कोई कर्मचारी नियोक्ता की चल संपत्ति का उपयोग करता है तो उसके द्वारा की गई सम्पत्ति के कर योग्य मूल्य की गणना निम्नानुसार की जाती है :

तालिका 6.5: चल सम्पत्ति का करयोग्य मूल्य

चल संपत्ति	अनुलाभ का कर योग्य मूल्य
i) कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग	शून्य
ii) उपरोक्ता (i) के अलावा अन्य कोई चल संपत्ति a) यदि नियोक्ता मालिक है। b) यदि नियोक्ता ने संपत्ति को किराये पर लिया है।	परिसंपत्ति की लागत का 10% प्रति वर्ष हर साल नियोक्ता द्वारा दिया गया किराया।

नोट :

चल संपत्ति के संबंध में कर्मचारी से प्राप्त किसी भी राशि को उपरोक्त मूल्य से घटाया जाएगा।

8) किसी कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य के लिए नियोक्ता की चल–अचल संपत्ति का हस्तांतरण [नियम 3(7) (viii)]

इस अनुलाभ का कर योग्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा :

तालिका 6.6: नियोक्ता के चल अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण का करयोग्य मूल्य

संपत्ति	अनुलाभ का कर योग्य मूल्य
i) कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु	प्रत्येक पूर्ण वर्ष में नियोक्ता द्वारा उपयोग की गई सम्पत्ति का ह्रास मूल्य 50%
(ii) मोटर कार	नियोक्ता द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए कार के अपलिखित मूल्य में से 20% ह्रास घटाकर शेष मूल्य (ह्रास की गणना का आधार क्रमागत ह्रास पद्धति
(iii) उपर्युक्त (i) एवं (ii) के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति	नियोक्ता द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए सम्पत्ति के लागत मूल्य में 10% ह्रास घटाकर शेष मूल्य (ह्रास की गणना का आधार सीधी रेखा पद्धति)

नोट :

i) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं या बिजली के उपकरणों में डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर शामिल है, इसमें घरेलू विद्युत उपकरण, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर शामिल नहीं हैं।

ii) उपर्युक्त चार्ट बिन्दु (iii) में अन्य सम्पत्तियों में सम्पत्तियाँ शामिल हैं जो उपर्युक्त बिन्दु (i) के अतिरिक्त है जैसे फ्रिज, वीडियो कैमरा

iii) उपर्युक्त प्रकार से गणना किये गये मूल्य में से उस रकम को घटा दिया जायेगा जिस रकम का भुगतान कर्मचारी ने नियोक्ता को किया है। शेष रकम कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ माना जायेगा।

9) नियोक्ता द्वारा प्रदत्त कोई अन्य लाभ, सुविधा, सेवा, अधिकार या विशेषाधिकार [नियम 3 (7) (ix)]

यदि नियोक्ता कर्मचारी को कोई अन्य लाभ, अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है, तो इसका मूल्य नियोक्ता की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, इन लाभों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को इसे कर योग्य मूल्य से घटा दिया जाएगा।

उदाहरण 6

कंपनी ने सचिन को मकान खरीदने के लिए रु.10,00,000, 01.10.2019 को ऋण @6% वार्षिक व्याज पर दिया वित्तीय वर्ष के अंत तक सारा ऋण बकाया है। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य ब्याज की राशि की गणना यह मानते हुए करिए कि ऐसे ऋण पर भारतीय स्टैंट बैंक 10% वार्षिक दर से ब्याज लेता है।

हल

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया ब्याज 10% p.a.

$$= \quad 10,00,000 \times \frac{10}{100} \times \frac{6}{12} = \text{रु. } 50,000$$

कंपनी द्वारा लगया गया ब्याज $= \text{रु. } 10,00,000 \times \frac{6}{100} \times \frac{6}{12}$

$= \text{रु. } 30,000$

लिया गया ब्याज $= \text{रु.. } 50,000 - \text{रु. } 30,000 = \text{रु. } 20,000$

नोट : यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा लिया गया ब्याज 10% माना हुआ है।

उदाहरण 7

श्री वाई एक निजी कॉलेज में रु. 1,50,000 के मासिक वेतन पर कार्यरत हैं। उन्होंने रु. 20,000 (पुरानी) कार खरीदने के लिए कॉलेज से 20,000 का ऋण लिया। अनुलाभ का मूल्य निकालें।

हल

मूल्यांकन = शून्य – क्योंकि ऋण की राशि रु. 20,000 है।

उदाहरण 8

श्री एक्स ने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए अपने नियोक्ता से रु. 50,000 कर ऋण लिया। उन्होंने अपने पुराने ऋणों को चुकाने के लिए इस ऋण का उपयोग किया। अनुलाभ का मूल्य क्या है?

हल

मूल्यांकन – 'शून्य' होगा क्योंकि ब्याज का प्रतिशत दिया नहीं हुआ है। और यहां माना गया है कि कर्मचारी ने पूरा ब्याज का प्रतिशत का भुगतान किया है। अतः यह अनुलाभ नहीं माना जायेगा।

बोध प्रश्न क

1) विशिष्ट कर्मचारी कौन है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ में क्या शामिल है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i) वेतन की बकाया धनराशि ..... शीर्षक के अन्तर्गत आती है।

ii) कर्मचारी को प्राप्त कर मुक्त वेतन का आशय है कि कर का भुगतान .... द्वारा किया जायेगा।

iii) टेलीफोन की सुविधा कर्मचारी के लिए ..... अनुलाभ है।

iv) लैपटॉप, कम्प्यूटर के अलावा चल सम्पत्ति जिसका मालिक नियोक्ता है, का कर योग्य मूल्य ..... प्रति वर्ष सम्पत्ति की लागत है।

v) जब एक होटल में ..... दिन का आवास प्रदान किया जाता है तो इसका मूल्य कर योग्य नहीं होगा।

6.4 विशिष्ट कर्मचारियों के लिए अनुलाभ का मूल्यांकन

अनुलाभ जो कि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं उन्हें विशिष्ट अनुलाभ कहा जाता है इससे संबंधित नियम निम्न प्रकार हैं :

6.4.1 कार की सुविधा का मूल्यांकन [नियम 3(2)]

मोटर का या यातायात का कोई अन्य साधन जो नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया है उसे विशिष्ट अनुलाभ माना जाता है अतः यह केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होता है। निजी उद्देश्य के लिए निदेशक द्वारा कम्पनी की कार का अनाधिकृत उपयोग अपने हाथों में अनुलाभ के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इस नियम के प्रावधान निम्न प्रकार हैं।

I) यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराए पर ली है

जब कार नियोक्ता की हो या उसने किराए पर लेकर अपने कर्मचारी को दी हो तो इसका मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा।

क) जब कार के चलाने रख–रखाव के व्यय या तो नियोक्ता द्वारा किए जाते हैं या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूरित किए जाते हैं :

i) यदि कार पूर्णतः कार्यालय के प्रयोग के लिए है तो यह अनुलाभ नहीं माना जाएगा अतः अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

ii) यदि कार का प्रयोग कर्मचारी के केवल निजी कार्यों के लिए है तो नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय अनुलाभ माना जायेगा।

मूल्यांकन = कार के चलाने व रखरखाव के लिए नियोक्ता द्वारा किए व्यय + ड्राइवर का वेतन यदि हो तो + कार की घिसावटलागत का 10% या किराया – कर्मचारी द्वारा वसूल की गई राशि।

iii) यदि कार अंशतः कार्यालय और अंशतः निजी प्रयोग में आती हो उसका मूल्यांकन निम्नवत होगा।

मूल्यांकन = यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक है तो 1800 प्रति माह

= यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 प्रतिमाह 900 प्रति माह ड्राइवर की सुविधा के लिए

ख) जब कार चलाने एव रख रखाव के व्यय कर्मचारी वहन करता है :

i) यदि कार पूर्णतया कार्यालय के प्रयोग के लिए है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

ii) यदि कार पूर्णतया कर्मचारी के निजी प्रयोग में के लिए है तो इसका मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा।

मूल्यांकन = नियोक्ता द्वारा वहन किए गए व्यय या किराया तथा कार की घिसावटकार की लागत मूल्य के 10% + ड्राइवर का वेतन यदि भुगतान किया गया हो – कर्मचारी द्वारा वसूल की गई राशि।

iii) यदि कार आंशिक निजी और आंशिक कार्यालय के प्रयोग में आती है तो मूल्यांकन निम्न प्रकार होगाः

मूल्यांकन = यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक है तो 600 प्रतिमाह

= यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 900 प्रतिमाह ड्राइवर की सुविधा के लिए 900 प्रतिमाह।

II) जब कार कर्मचारी की हो –

i) जब कार चलाने वाला व रखरखाव के व्यय कर्मचारी वहन करता हो यह अनुलाभ नहीं माना जाएगा अतः अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

ii) जब कार चलाने वाला व रख रखाव के व्यय नियोक्ता वहन करता है

i) यदि कार पूर्णता कार्यालय के प्रयोग में हो इसे अनुलाभ नहीं माना जएगा अतः लाभ का मूल्य शून्य होगा।

ii) यदि कार पूर्ण रूप से निजी प्रयोग में हो : नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय अनुलाभ माने जाएंगे इसे सामान्य अनुलाभ माना जाता है इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा।

iii) यदि कार अंशतः निजी व अंशतः कार्यालय

मूल्यांकन = नियोक्ता द्वारा वहन किए गए व्यय – रु. 1800 प्रतिमाह (यदि कार 1.6 लीटर तक की क्षमता की है) या रु. 2400 प्रतिमाह यदि कार 1.6 लीटर से अधिक क्षमता की है तथा रु. 900 प्रतिमाह ड्राइवर का वेतन – कर्मचारी से वसूल की गई कोई राशि

III) नियोक्ता द्वारा एक से अधिक मोटर कार की सूविधा का मूल्यांकन

यदि नियोक्ता एक से अधिक मोटर कार का मालिक है या किराए पर लेकर उसे कर्मचारी को देता है तथा कर्मचारी उसे अंशतः निजी व अंशतः कार्यालय में प्रयोग करता है तो उसका मूल्यांकन निम्न प्रकार से होगा।

मूल्यांकन = नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि + ड्राइवर का वेतन यदि हो तो + कार की घिसावट कार की लागत मूल्य का 10%

तालिका 6.7: मोटर कार का मूल्यांकन

<table>
<tr><td colspan="3">उठाया गया व्यय</td></tr>
<tr><td>कार्यालय प्रयोग के लिए</td><td colspan="2">कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय</td></tr>
<tr><td>व्यक्तिगत प्रयोग के लिए</td><td colspan="2">पेट्रोल, डीजल, ड्राइवर का वेतन और कार पर 10 प्रतिशत मूल्यह्रास जैसे कार से संबंधित सभी खर्च पूरी तरह से कर योग हैं (यदि 1 से अधिक कार दी गई है तो दूसरी कार को निजी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए माना जायेगा।</td></tr>
<tr><td>आंशिक कार्यालय के प्रयोग और आंशिक निजी प्रयोग में कार (कुछ राशि करयोग्य)</td><td>1.6 लीटर तक 600 रु. + 900 रु. प्रतिमाह यदि ड्राइवर नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है।</td><td>1.6 लीटर से अधिक रु. 900 + रु. 900 प्रतिमाह (यदि ड्राइवर नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">जब नियोक्ता द्वारा किया गया व्यय</td></tr>
<tr><td>कार्यालय के लिए</td><td colspan="2">कर योग्य नहीं</td></tr>
<tr><td>व्यक्तिगत प्रयोग के लिए</td><td colspan="2">कार की टूट फूट पर लगने वाली वास्तिविक राशि + ड्राइवर का वेतन + 10 प्रतिशत प्रतिमाह संपत्ति की लागत + कर्मचारी से वसूल की गई राशि</td></tr>
<tr><td>अंशतः कार्यालय के प्रयोग में अंशतः व्यक्तिगत प्रयोग के लिए (कुछ राशि कर योग्य)</td><td>1.6 लीटर तक रु. 1800 प्रतिमाह + रु. 900 प्रतिमाह, अगर ड्राइवर नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है।</td><td>1.6 लीटर से अधिक रु. 2400 + रु. 900 प्रतिमाह (यदि ड्राइवर नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है)</td></tr>
</table>

उदाहरण 9

श्री संजीव कांत रोडवेज में मैनेजर हैं उन्हें निम्नलिखित विभिन्न परिस्थितियों में वेतन @रु. 25,000 प्रति माह मिलता है, कार के अनुलाभ का मूल्य :

i) नियोक्ता ने उसे 1.6 लीटर क्षमता की कार प्रदान की है। नियोक्ता द्वारा किए गए कुल खर्च और ड्राइवर का वेतन यानी रु. 18,000, कार कार्यालय एवं निजी उपयोग के उद्देश्य से प्रदान की गई है।

ii) नियोक्ता ने उसे केवल निजी उपयोग के लिए ड्राइवर के साथ कार की 1.4 लीटर क्षमता प्रदान की है। कार के खर्च रु. 18,000 एवं कार की लागत रु. 500,000 है।

iii) नियोक्ता ने बस (50 हॉर्स पॉवर) की एक सुविधा प्रदान की है जो उसे घर से कार्यालय तक और कार्यालय से घर तक अन्य कर्मचारियों के साथ ले जाती है।

हल.

विविरण	रु.
वेतन प्रति माह @ रु. 25,000 (25000 × 12)	3, 00,000
i) कार 1.6 CC लीटर 1800 प्रतिमाह (1800 × 12)	21,600
ड्राइवर का वेतन 900 प्रतिमाह × 12	10,800
	32,400
ii) कार 1.4 लीटर की है, कार स्वयं के लिए इस्तेमाल की गई है = = वास्तविक व्यय + ड्राइवर का वेतन + कार का 10% मूल्य = रु. 18,000 + रु. 900 प्रतिमाह × 12 (रु. 10,800) + रु. 50,000	78,800
iii) कोई अनुलाभ नहीं है।	शून्य

6.4.2 होटल के कर्मचारियों को रहने व खाने की सुविधा

i) **आवास की सुविधा** : यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है और इसका मूल्यांकन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदान की गई किराया मुक्त रहने की सुविधा की भांति किया जाता है।

ii) **खाने की सुविधा** : होटल द्वारा कर्मचारियों को मुफ्त खाने की सुविधा का मूल्य वही होगा जो उस खाने की वास्तविक लागत नियोक्ता बहन करता है इसमें से कर्मचारी से प्राप्त की गई राशि घटा दी जाएगी।

6.4.3 मुफ्त गैस, बिजली और पानी की सुविधा [नियम 3(4)]

यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मुफ्त गैस, बिजली और पानी की सुविधा प्रदान करता है तो इस अनुलाभ का मूल्य कर्मचारी की आय में जोड़ा जाएगा मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित नियम हैं।

तालिका 6.8: मुफ्त गैस बिजली और पानी का मूल्यांकन

परिस्थितियाँ	अनुलाभ का मूल्य
a) यदि नियोक्ता गैस बिजली पानी का उत्पादक है अर्थात अपने संसाधनों से देता है और बाहर की किसी एजेंसी क्रय नहीं करता।	नियोक्ता के वहन की गई प्रति इकाई उत्पादन लागत को कर्मचारी के लिए कर योग्य मूल्य माना जाएगा।
b) अन्य किसी दशा में	इन सुविधाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं को नियोक्ता द्वारा चुकाई गई रकम।

उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों ही दशाओं में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से इस संबंध में प्राप्त की गई रकम को घटा दिया जाएगा शेष रकम अनुलाभ का मूल्य होगा।

नोट :

i) यदि उपरोक्त अनुलाभ का सम्बन्ध नियोक्ता के नाम पर है। तो अनुलाभ की राशि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही करयोग्य होगी।

ii) यदि अनुलाभ का संबंध कर्मचारी के नाम पर है तो अनुलाभ की राशि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों (विशिष्ट और गैर विशिष्ट के लिए कर योग्य होगी।

6.4.4 निशुल्क या रियायती मूल्य पर शिक्षा सुविधा कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए [नियम 3(5)]

तालिका 6.9: निःशुल्क या रियायती मूल्य पर शिक्षा सुविधा कर्मचारी या उसके परिवार के लिए अनुलाभ का मूल्य

परिस्थितियां	अनुलाभ का मूल्य
i) जब शिक्षण संस्था स्वयं नियोक्ता की हो और उसी के द्वारा चलाई जाती है।	उसी स्थान पर समान अवसर की अन्य शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा की लागत यदि शिक्षा सुविधाएं कर्मचारी के बच्चे को दी गई हैं (परिवार का अन्य कोई सदस्य होगा इसमें नहीं आता) तो उसका अनुलाभ शून्य यदि शिक्षा की ऐसी लागत प्रति बच्चा रु. 1000 प्रति माह से अधिक न हो
ii) जब कर्मचारी के परिवार के अन्य किसी भी व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा सुविधा अन्य किसी शिक्षण संस्था। में दी जा रही हो क्योंकि वह नियोक्ता के यहाँ रोजगार पर है।	-do-
iii) नियोक्ता द्वारा शुल्क का भुगतान सीधे शिक्षण संस्थान को या शुल्क की प्रतिपूर्ति	इसी तरह का भुगतान या प्रतिपूर्ति सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है विशिष्ट और अविशिष्ट दोनों के लिए
iv) कर्मचारी के बच्चों के अलावा परिवार के सदस्यों के लिए शैक्षिक सुविधाएं	यदि नियोक्ता द्वारा संचालित संस्था में विशिष्ठ कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को शैक्षिक सुविधा प्रदान की जाती है तो अनुलाभ का मूल्य इस तरह के स्तर के अन्य संस्थान के शुल्क के बराबर राशि होगी। यदि, यह अनुलाभ अन्य संस्थान में प्रदान किया जाता है, तो मूल्य नियोक्ता द्वारा खर्च किया जाने वाला वास्तविक व्यय होगा। गैर विशिष्ठ कर्मचारी के परिवार के सदस्य के मामले में इस तरह के अनुलाभ का मूल्य कर मुक्त होगा।

हालांकि उपरोक्त सभी मामलों में यदि इस खाते पर कर्मचारी से कोई राशि का भुगतान किया जाता है या वसूल किया जाता है तो ऊपर दिए गए लाभ के मूल्य को भुगतान की गई राशि को घटाया जायेगा।

6.4.5 सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माली तथा अन्य घरेलू नौकर की मुफ्त सेवा [नियम 3(3)]

एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को घरेलू नौकरों की सुविधा भी प्रदान की जाती है घरेलू नौकरों में सफाई कर्मचारी चौकीदार, माली तथा अन्य कोई घरेलू नौकर जैसे रसोइया सम्मिलित है इनकी नियुक्ति नियोक्ता द्वारा भी की जा सकती है तथा स्वयं कर्मचारी द्वारा भी इनके मौद्रिक मूल्यांकन के निम्नलिखित नियम हैं।

1) नियोक्ता द्वारा नौकर की नियुक्ति और पारिश्रमिक का भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया जाना

   नियोक्ता ने नौकर किराया मुक्त मकान के साथ दिया है जिसका स्वामी नियोक्ता है अथवा नियोक्ता ने मकान किराए पर लेकर कर्मचारी को दिया है अथवा मकान स्वयं कर्मचारी का है तथा नौकर का पारिश्रमिक नियोक्ता ही चुकाता है इस स्थिति में सुविधा का निम्नलिखित मूल्य धारा 17(2)(iii) के अंतर्गत विशिष्ट कर्मचारी के वेतन में शामिल होगा।

   सफाई कर्मचारी, माली, रसोईया, चौकीदार एवं अन्य घरेलू नौकर : फर्राश को सफाई कर्मचारी भी कहते हैं चौकीदार में दरबान एवं सुरक्षा गार्ड इत्यादि आते हैं। नियोक्ता द्वारा, माली, रसोईया, चौकीदार एवं अन्य किसी नौकर को चुकाई गई वास्तविक रकम अथवा नियोक्ता को इन नौकरों के संबंध में आई कुल लागत कर्मचारी के लिए लाभ का कर योग्य मूल्य माना जाएगा परंतु ऐसा मकान जो नियोक्ता का है उससे लगे बगीचे तरण ताल या अन्य स्थान की रखरखाव के व्यय कर्मचारी के वेतन में नहीं जोड़ेंगे।

2) नौकर की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा तथा पारिश्रमिक का भुगतान नियोक्ता द्वारा अथवा पारिश्रमिक का भुगतान भी कर्मचारी द्वारा तथा उसकी प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा होना चाहिए सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए धारा 17(2)(iv) के अंतर्गत संपूर्ण रकम कर योग्य हागी। इस संबंध में भी मकान स्वयं कर्मचारी का हो या नियोक्ता का या किराए पर ले कर दिया हो।

6.5 सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ

कुछ अन्य अनुलाभ हैं वो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है जो निम्न प्रकार के हैं :

1) चिकित्सा सुविधा

क) अस्पताल में चिकित्सा सुविधा आदि को नियोक्ता द्वारा अनुरक्षण करना

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को उपलब्ध करायी चिकित्सा सुविधा अस्पताल, औषधालय और नर्सिंग होम में करायी जाती है तो पूर्णतः करमुक्त होगी।

ख) भारत में चिकित्सा उपचार

नियोक्ता द्वारा किया गया निम्न व्यय अनुलाभ नहीं होगा :

अ) नियोक्ता द्वारा भुगतान के संबंध में कोई राशि

i) सरकार द्वारा किसी अस्पताल में या किसी स्थानीय प्राधिकारी या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल में कर्मचारी द्वारा करायी गई स्वयं की या परिवार के किसी सदस्य के लिए चिकित्सा उपचार जिसका वास्तविक खर्च कर्मचारी द्वारा किया गया है।

ii) कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार से सम्बन्धित सदस्य के लिए कोई बीमारी जो आयकर नियम के 3A में कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय किया गया हो, इस सम्बन्ध में मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश जारी किया गया हो। हांलाकि इस स्थिति में कर्मचारी को अपने आय की विवरणी के साथ अस्पताल का प्रमाणपत्र जिसमें बीमारी के बारे में दृश्य और जिसका इलाज अस्पताल से चल रहा हो और अस्पताल को भुगतान की गई राशि की रसीद भी लगानी होगी।

ब) एक योजना के तहत कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बीमा के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया बीमा की कोई राशि, जो केन्द्र सरकार या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो।

स) कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी बीमा प्रीमियम के नियोक्ता द्वारा उसके स्वास्थ्य या उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के लिए कोई प्रतिपूर्ति जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा की जाता है, कर मुक्त अनुलाभ है।

ग) भारत के बाहर चिकित्सा उपचार

भारत के बारह कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए किया गया इलाज पर नियोक्ता द्वारा किया गया निम्न व्यय भी कर मुक्त अनुलाभ है :

i) भारत के बाहर कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर किया गया व्यय। हालांकि ऐसे व्यय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक ही कर मुक्त होंगे।

ii) चिकित्सा उपचार के लिए कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए, एक परिचारक के व्यय में रहने पर होने वाला व्यय, जो इस तरह के उपचार के सिलसिले में मरीज के साथ जाता है। ये व्यय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक ही कर मुक्त अनुलाभ होंगे।

iii) मरीज (कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य) और एक परिचारक या सेवक के सम्बन्ध में की गई यात्रा पर व्यय पूर्णतः मुक्त होगा बशर्ते जिनकी सकल कुल आय (यात्रा के सम्बन्ध में हुए कर व्यय की कर योग्य रकम जोड़ने से पूर्व रूप में सहित) रु. 2,00,000 से अधिक नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि यात्रा व्यय के कारण कर योग्य चिकित्सा अनुलाभ सहित कर्मचारी की सकल कुल आय रु. 2,00,000 से अधिक है, तो मरीज के साथ–साथ परिचर या सेवक की यात्रा पर होने वाला व्यय कर योग्य हो जाएगा।

नोट :

1) 'परिवार' का अर्थ, चिकित्सा सुविधा के उद्देश्य के लिए

   i) जीवन साथी और कर्मचारी के आश्रित या स्वतंत्र, विवाहित या अविवाहित बच्चे हो सकते हैं।

   ii) कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन, जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से कर्मचारी पर निर्भर हैं।

2) 'अस्पताल' से आशय औषधालय, क्लिनिक और नर्सिंग होम से है।

तालिका 6.10: चिकित्सा सुविधाएं

क) नियोक्ता द्वारा बनाए गये अस्पताल में चिकित्सा सुविधा	चिकित्सा सुविधा जो कर्मचारी और उसके/उसके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल, औषधालय और नर्सिंग होम में दी जाती है जो नियोक्ता के अंतर्गत आती है, पूरी तरह से कर मुक्त है।
ख) भारत में चिकित्सा उपचार	नियोक्त द्वारा किया गया निम्न व्यय अनुलाभ नहीं होगा: i) नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि: कर्मचारी द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जो कि चिकित्सा के लिए किसी सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाये अस्पताल में किया गया व्यय कर मुक्त होगा। ii) कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य पर किया गया वास्तविक व्यय किसी निहित बीमारी के लिए जो कि आयकर नियम के 3A में निर्धारित हो इस सम्बन्ध में मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा निधारित दिशा निर्देश जारी किया गया हो। iii) एक योजना के तहत कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बीमा के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया बीमा की कोई भी राशि जो केन्द्र सरकार या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो। iv) कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी बीमा प्रीमियम के नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति, उनके स्वास्थ्य के लिए बीमा या उनके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक योजना या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भी कर मुक्त अनुलाभ है।
ग) भारत के बाहर चिकित्सा उपचार	भारत के बाहर कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के इलाज पर नियोक्ता द्वारा किया गया निम्न व्यय भी कर मुक्त अनुलाभ है : i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सीय उपचार पर व्यय। ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक इस तरह के उपचार के संबंध में रोगी के साथ जाने वाले एक परिचारक या सेवक के साथ कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के विदेश में रहने पर व्यय।

	iii) मरीज (कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य) और एक परिचारक या सेवक की यात्रा का व्यय, जो इस तरह के उपचार के सिलसिले में मरीज के साथ जाता है। यह उन कर्मचारियों के मामले में कर मुक्त होगा जिनकी सकल कुल आय (इससे पहले इस तरह के यात्रा व्यय को अनुलाभ सहित रु. 2,00,000 से अधिक नहीं है। यदि यात्रा व्यय के कारण कर योग्य चिकित्सा व्यय अनुलाभ सहित कर्मचारी की सकल कुल आय रु. 200,000 से अधिक है तो मरीज के साथ–साथ परिचारक के ऊपर होने वाला व्यय कर योग्य हो गया।

2) जलपान की सुविधा

यह सुविधा कार्यालय के समय में तथा कार्यालय परिसर दी गई हो। अतः यह करमुक्त सुविधा है।

3) परिवहन सुविधा या वाहन की सुविधा

यह सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगा, अगर कोई नियोक्ता किसी भी वाहन या अन्य परिवहन या कर्मचारी को उसके निवास स्थान से अपने कार्यालय के स्थान पर ले जाने और अपने निवास पर वापस जाने के उद्देश्य से परिवहन सुविधा प्रदान करता है। कर्मचारी को परिवहन सुविधा कर मुक्त होगी, बशर्ते की उद्यम परिवहन के व्यवसाय में लगे हुए हो, जैसे, रेलवे कर्मचारियों को मुफ्त पास की सुविधा।

4) **नियोक्ता का योगदान**

नियोक्ता द्वारा सामूहिक बीमा योजना, अस्थगित वार्षिकी पेशन में दिया गया नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के लिए पूर्णतया कर मुक्त है।

5) नियोक्ता के लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग

कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा (नियोक्ता के स्वयं के कम्प्यूटर अथवा उसके द्वारा किराये पर प्राप्त किये गये कम्प्यूटर) का प्रयोग करने पर उसका मूल्य कर्मचारी के लिए कर मुक्त अनुलाभ होगा।

6) मनोरंजन की सुविधा

यह सुविधा कर्मचारियों को सामूहिक रूप से प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे छूट प्राप्त कर सकें; अन्यथा यह कर मुक्त नहीं होगा।

7) सुदूर क्षेत्र में आवास

किसी ऐसे कर्मचारी को जो खान से सम्बन्धित अथवा तेल निष्कर्षण से सम्बन्धित स्थान में कार्यरत है। दूरस्थ या असमीप इलाके में उपलब्ध कराई गई रहने की सुविधा का मूल्य करमुक्त होगा। ऐसी छूट उन कर्मचारियों को भी प्राप्त होगी जो कोयले की खानों में तेह अन्वेषण में कार्यरत हैं।

8) भारत के बाहर उपलब्ध कराए गए अनुलाभ

ऐसी छूट भारतीय नागरिक और सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की जाती है जो विदेशों में कार्यरत हैं।

9) टेलीफोन की सुविधा

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के निवास पर स्थापित टेलीफोन (मोबाइल फोन सहित) बिलों का भुगतान कर मुक्त है। टेलीफोन का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

10) रिफ्रेशर कोर्स या प्रशिक्षण की सुविधा

इस तरह की अनुलाभ कर मुक्त है बशर्ते कर्मचारी बहुत कौशल के साथ काम करते हैं इस उद्देश्य के लिए रहने और खाने सम्बन्धित व्यय भी शामिल हैं।

11) आकस्मिक बीमा प्रीमियम का भुगतान

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के किसी भी हानि के विरुद्ध, उसके द्वारा करया गया भुगतान करता है तो यह कर्मचारी के लिए पूर्णतया कर मुक्त होगा।

12) कर्मचारी के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधा

किसी नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कर्मचारी के बच्चों को उपलब्ध शिक्षा की सुविधाओं का मूल्य अथवा नियोक्ता द्वारा अन्य संस्था में कर्मचारी के बच्चों को उपलब्ध करायी गई मुफ्त शिक्षा की सुविधा का मूल्य कर्मचारी के लिए कर मुक्त होगा बशर्ते ऐसी सुविधा का मूल्य रु. 1000 प्रति माह प्रति बच्चा से अधिक नहीं हो।

13) गैर मौद्रिक अनुलाभ पर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया कर

यदि कोई नियोक्ता गैर मौद्रिक अनुलाभ प्रदान करता है और इन पर कोई कर का भुगतान करता है, तो यह कर मुक्त होगा और आय की गुणाना करते समय इसको आय के शीर्षक के अन्तर्गत शामिल नहीं करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यवसाय और पेशे के लाभ या लाभ के अन्तर्गत आय की गणना करते समय नियोक्ता को किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14) अवकाश यात्रा रियायत

किसी नियोक्ता (वर्तमान अथवा पूर्व नियोक्ता) द्वारा अपने कर्मचारियों को उसके परविार सहित अवकाश यात्रा रियायत (L.T.C.) की सुविधा अपने निवास गृह या भारत में अन्य स्थानों के भ्रमण हेतु (स्वयं या परिवार सहित) दी जाती है। अवकाश यात्रा की उपर्युक्त छूट 1.10.1998 से अधिकतम 2 बच्चों के सम्बन्ध में मिलेगी। किन्तु यह नियम उन बच्चों पर लागू नहीं होगा, जिनका जन्म 1.10.1998 से पहले हुआ है और एक बच्चे के पश्चात् एक साथ एक से अधिक बच्चों का जन्म होने पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।

कर्मचारी अपने नियोक्ता और पूर्वनियोक्ता से प्राप्त यात्रा छूट या सहायता के मूल्य के संबंध में स्वयं एवं अपने परिवार के लिए धारा 10(5) के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर सकता है।

a) भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर जाने के लिए

b) सेवा से सेवनिवृत्ति के बाद या उनकी सेवा समाप्त होने के बाद भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर जाने पर

निम्नलिखित के अधीन छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है।

i) जहाँ यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है – अधिकतम छूट की राशि उतनी ही होगी जितना कि एक किसी हवाई यात्रा का कम से कम किराया हो जो कि राष्ट्रीय वाहक की सबसे छोटी दूरी से गन्तव्य स्थान पर पहुचाता हो।

ii) यात्रा गंतव्य की स्थान रेल द्वारा जुड़ा हुआ और अतिरिक्त यात्रा किसी अन्य साधन से किया हो। अधिकतम छूट की राशि रेल के वातानुकिलत का किराया जो कि गन्तव्य स्थान पर पहुचने की सबसे कम दूरी हो।

iii) जहाँ यात्रा और गंतव्य के स्थान को उसके भाग को रेल से नहीं जोड़ा जाता है और यात्रा ऐसे स्थानों के बीच की जाती है, तो छूट की राशि मान्य होगी।

   a) जहाँ यात्रा और मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है और याता का मूल्य प्रथम आरक्षण या डीलक्स किराया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा भी स्थिति हो इस तरह की यात्रा सबसे कम दूरी वाली यात्रा जोकि गन्तव्य स्थान तक जाता हो।

   b) जहाँ कोई भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली नहीं हो। सबसे कम मार्ग से यात्रा की दूरी के लिए वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के रेल किराए के बराबर राशि जैसे की यात्रा रेल द्वारा की गई है।

कर मुक्त का लाभ कितनी बार?

एक कर्मचारी को 4 वर्षों के खंड में किन्हीं दो यात्राओं के लिए कर मुक्ति मिलेगी इस उद्देश्य हेतु 4 वर्षों का प्रथम खंड 1986–89 कैलेंडर वर्ष द्वितीय खंड 1990–93 तृतीय खंड 1994–97 चतुर्थ खंड 1998–2001 तथा पंचम खंड 2002–2005, छठ खण्ड 2006–2009 सप्तम खंड 2010–2013, अष्ठम 2014–2017 अष्ठम खंड, नवम् खंड है 2018–2021 है। यदि करदाता ने दोनों यात्राओं अथवा एक यात्रा के संबंध में किसी खंड में इस कर मुक्ति का लाभ नहीं उठाया है, तो इस खंड के तुरंत बाद में आने वाले कैलेंडर वर्ष में एक यात्रा के लिए वह कर मुक्ति का लाभ ले सकता है, अन्य शब्दों में अधिकतम एक यात्रा को आगे ले जाया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः

i) कर्मचारी द्वारा अवकाश यात्रा के संबंध में कर मुक्त का लाभ सेवा अवधि में छुट्टी होने पर या अपने वर्तमान अथवा पूर्व नियोक्ता से अवकाश ग्रहण करने के बाद लिया जा सकता है।

ii) यदि अवकाश यात्रा रियायत लेने के बाद यात्रा संपन्न नहीं की जाती है तो उसकी संपूर्ण रकम कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी।

iii) परिवार में शामिल है जीवन साथी, बच्चे, माता पिता भाई बहन जो कि कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर हैं।

iv) कर्मचारी द्वारा खर्च किया गया वास्तविक व्यय जोकि अनुमोदित व्यय से अधिक है कि करमुक्त नहीं होगा।

v) छूट केवल यात्रा के सम्बन्ध में दी जायेगी। जुलाई सम्बन्धी व्यय, रेवले स्टेशन, हवाई अड्डा में आने जाये से सम्बन्धित व्यय, ठहरने और खाने पीने का खर्च इसमें शामिल नहीं होगा।

vi) छूट केवल सबसे छोटी दूरी के लिए मानी जायेगी जहाँ यात्रा, यात्रा की शुरुआत की जगह विभिन्न स्थानों में होती हुई यात्रा के सुदूर स्थान तक लेकिन सबसे कम दूरी वाली यात्रा से जहाँ से यात्रा की शुरुआत हो।

15) न्यायाधीश को आवास

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदान की गई अधिकारिक मुफ्त आवासीय सुविधा अनुलाभ है।

16) मंत्रियों को मुफ्त आवास

केंद्रीय मंत्री, संसद के एक अधिकारी या संसद में किसी विरोधी नेता को प्रदान किए गए किराए सहित मुफ्त सुसज्जित निवास जिसमें रखरखाव भी शामिल है को कर मुक्त माना जाता है।

17) कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति

एक कर्मचारी के बच्चों को नियोक्ता द्वारा दी गई छात्रवृत्ति कर मुक्त अनुलाभ है।

18) नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्रदान किए गए स्वास्थ्य क्लब, खेल या इसी तरह की सुविधा का उपयोग।

19) शेयर या ऋण पत्र आवंटन

किसी कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारी को शेयर या ऋण पत्र मुक्त या रियायतीदर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्टाक विकल्प योजना के तहत कर्मचारी को लाभ के सन्दर्भ में उपलब्ध करता है जो कि केन्द्र सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार अनुलाभ नहीं माना जायेगा। अतः यह कर से मुक्त है। इस कर की राशि को नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से काट नहीं सकता है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है पेशा और व्यवसाय से आय की गणना करते समय कोई कर की कटौती मान्य नहीं होगी।

20) सम्मेलन

कर्मचारी के लिए किसी सम्मेलन के संबंध में नियोक्ता द्वारा किया गया कोई भी खर्च, जैसाकि यात्रा, टूर एंड ट्रैवल, होटल का खर्च या ठहरने का खर्च आदि को कर्मचारी की आय में अनुलाभ मानकर तो यह अनुलाभ कर्मचारी के लिए कर मुक्त है और वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा।

21) भुगतान या प्रतिपूर्ति यात्रा खर्च

कर्मचारियों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय और प्रतिपूर्ति जोकि कर मुक्त है।

22) ब्याज मुक्त ऋण

नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को ब्याज पर या ब्याज की रियायती दर पर प्रदान किया गया कोई भी ऋण कर मुक्त अनुलाभ है, यदि ऋण की राशि रु. 20,000 से अधिक नहीं है।

6.6 वेतन से कटौतियां (Deductions)

धारा 16 के अंतर्गत वेतन शीर्षक की कुल कर योग्य आय के संबंध में निम्न कटौतियां की जाती हैं।

i) मानक या प्रमाणित कटौती धारा 16(i)

ii) मनोरंजन भत्ते की कटौती धारा 16(ii)

iii) पेशा रोजगार कर की कटौती धारा 16(iii)

6.6.1 मानक या प्रमाणित कटौती

यह कटौती कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से दुबारा अनुमति दे दी गई है। निम्नलिखित में सबसे कम राशि कर्मचारी के सकल कुल आय से घटायी जायेगी

क) रु. 50,000

ख) सकल कुल की वास्तविक राशि

6.6.2 मनोरंजन भत्ता [धारा 16 (ii)]

मनोरंजन भत्ता सामान्यतः उच्च अधिकारियों को ही प्राप्त होता है। नियोक्ता अपने कर्मचारी को यह भत्ता ग्राहकों के स्वागत स्तकार के लिए देता है।

मनोरंजन भत्ता वेतन का एक भाग है अतः इसको पहले वेतन में जोड़ते हैं। इसलिए यह मनोरंजन भत्ता दोनों तरह के कर्मचारियों को प्राप्त होता है, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

i) **सरकारी कर्मचारी** : निम्न में जो सबसे कम होगा वह कटौती मान्य होगी।

   a) रु. 5,000

   b) 1/5 या कर्मचारी के वेतन का 20%

   c) उस वर्ष के दौरान मनोरंजन भत्ता जो प्राप्त हुआ हो।

   वेतन से आशय : मनोरंजन भत्ता की गणना करते समय केवल मूल वेतन को ही लिया या माना जायेगा। अन्य कोई भत्ता यहाँ तक मंहगाई भत्ता जोकि सेवा की शर्तों के अन्तर्गत हो), बिक्री पर निश्चित कमीशन आदि को भी मनोरंजन भत्ता की कटौती में शामिल नहीं करेंगे।

ii) गैर सरकारी कर्मचारी (वैधानिक नियम एवं स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी सहित) करनिर्धारण वर्ष 2002–03 से मनोरंजन भत्ते की कटौती समाप्त कर दी गई है।

6.6.3 रोज़गार पर कर [धारा 16(iii)]

इस कर को पेशेवर कर के रूप में भी जाना जाता है और यह उस वर्ष में काटा जाएगा, जिसमें इसका वास्तविक भुगतान किया जाता है। यदि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के वेतन पर कोई कर वसूला जाता है, तो यह राशि कर्मचाारी के सकल वेतन से काट ली जाएगी। भारत के संविधान के अनुसार, कर्मचारी पर रु. 2,500 से अधिक का पेशेवर कर नहीं लगाया जा सकता है। यदि पेशेवर कर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, तो पहले कर्मचारी की वेतन आय में शामिल किया जाता है और इसे करदाता के सकल वेतन से काट दिए जाने के बाद, इसे सामान्य अनुलाभ धारा 17(iv) के रूप में माना जाता है।

उदाहरण 10

श्री संजय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैनेज़र हैं उन्होंने गत वर्ष 2019–20 के लिए निम्न सूचनाएं दी हैं। उनकी कर निर्धारण वर्ष 2020–21 की सकल व कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

i) मूल वेतन रु. 48,000 प्रतिमाह

ii) मंहगाई भत्ता रु. 18,000 प्रति माह (20% अवकाश प्राप्त के लाभों की गणना हेतु लिया जाता है)

iii) मकान किराया भत्ता रु. 15,000 प्रतिमाह प्राप्त किया जबकि चेन्नई में मकान का किराया रु. 18,000 प्रतिमाह भुगतान किया।

हल

श्री संजय की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए सकल आय की गणना		
	रु.	रु.
मूल वेतन (रु. 48,000 × 12)		5, 76,000
महंगाई वेतन (रु. 18,000 ×12)		2, 16,000
मकान किराया भत्ता		25,920
सकेल वेतन		8, 17,920
घटाये – प्रमाणिक कटौती	50,000	
करयोग्य वेतन		**7, 67,920**
मकान किराया भत्ता की गणना		
निम्न में सबसे कम राशि कर मुक्त होगी।		रु.
i) वास्तविक मकान किराया प्राप्त (15,000×12)		1,80,000
ii) (किराया भुगतान किया – वेतन का 10%) (2, 16,000– 61,920)		1, 54,080
वेतन = (5, 76,000 + 43,200)		6, 19,200
iii) वेतन का 50%		3,09,600
करमुक्त राशि		1, 54,080
करयोग्य राशि = रु. (1, 80,000 – 1, 54,080)		25,920

नोट :

1) वेतन = 48,000 × 12= रु. 5,76,000

2) मंहगाई भत्ता = 2,16,000 × 20%= रु. 43,200

उदाहरण 11

श्री राजीव एक फर्म में कार्यरत हैं जहाँ उन्हें रु. 50,000 प्रतिमाह वेतन रु. 800 प्रतिमाह महंगाई भत्ता तथा नगर क्षति पूरक भक्ता रु. 300 प्रतिमाह प्राप्त होता है वह रु. 800 प्रति माह मनोरंजन भत्ता प्राप्त करते हैं वह पेशे कर के रूप में रु. 2500 कर का भुगतान करते हैं उन्हें 3 माह के वेतन के बराबर बोनस प्राप्त होता है। श्री राजीव आगरा में (25 लाख से अधिक जनसंख्या) फर्म के मकान में रहते हैं जिसका उचित किराया मूल्य रु. 1500 प्रतिमाह है।

वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

हल

करनिर्धारण वर्ष 2020–21 श्री राजीव की करयोग्य वेतन की गणना के लिए

		रु.
वेतन @ रु. 5,000 प्रतिमाह		60,000
महंगाई भत्ता @ रु. 800 प्रतिमाह		9,600
नगर क्षतिपूरक भत्ता @ रु. 300 प्रतिमाह		3,600
मनोरंजन भत्ता @ रु. 800 प्रतिमाह		9,600
बोनस तीन माह के वेतन के बराबर		15,000
अनुलाभ		
किराया मुक्त आवास @ वेतन का 15% (88,200) [60,000 (मूल वेतन) + 3,600 (क्षति पूरक भत्ता) + 9,600 (मनोरंजन भत्ता) + 15,000 (बोनस)]		13,230
सकल वेतन		1,11,030
घटायें– (i) प्रमाणिक कटौती	50,000	
		61,030
घटायें– (ii) रोज़गार कर	2,500	
करयोग्य वेतन		**58,530**

नोट :

i) 88,200 का 15% (60,000 मूल वेतन) + 3,600 (नगर क्षतिपूरक भत्ता + 9,600 (मनोरंजन भत्ता + 15,000 बोनस)] = 88,200

ii) किराया मुक्त मकान में, मंहगाई भत्ता को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यह सेवा की शर्तों में नहीं दिया गया है।

iii) मनोरंजन भत्ता के लिए मि. राजीव को कोई कटौती मान्य नहीं है क्योंकि वह सरकार कर्मचारी नहीं है।

उदाहरण 12

श्री राधेश्याम एक कंपनी में कार्यरत हैं वह कंपनी से निम्नलिखित आय प्राप्त करते हैं–

i) वेतन रु. 20,000 प्रतिमाह

ii) मंहगाई भत्ता रु. 2,000 प्रति माह

iii) चिकित्सा भत्ता रु. 5,000 प्रति माह

iv) बोनस दो माह के वेतन के बराबर राशि

v) कमीशन 20,000 प्रति वर्ष

निम्नलिखित अनुलाभ नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

i) एक फर्राश व रसोइये की सुविधा जिसमें से प्रत्येक का वेतन रु. 1500 प्रतिमाह है।

ii) 1400 CC की एक की सुविधा जो कर्मचारी के निजी प्रयोग में है एवं उसका व्यय नियोक्ता वहन करता है।

iii) इटावा (10 लाख से कम जनसंख्या) में किराए से मुक्त मकान की सुविधा जो कि नियोक्ता के मकान का वार्षिक किराया मूल्य रु. 100,000 है।

iv) माली की सुविधा जिसका वेतन रु. 2000 प्रति माह है।

v) निजी प्रयोग हेतु मुफ्त गैस, बिजली व पानी की सुविधा जिसके लिए नियोक्ता ने गत वर्ष में रु. 20,000 का भुगतान किया है कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्री राधे श्याम के कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

हल

करनिर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्री राधे श्याम का करयोग्य वेतन

विवरण	रु.	रु.
वेतन @ रु. 20,000 प्रति माह		2, 40,000
मंहगाई भत्ता @ रु. 2,000 प्रति माह		24,000
चिकित्सा भत्ता @ रु. 5,000 प्रति माह		60,000
बोनस 2 माह के बराबर वेतन		40,000
कमीशन		20,000
किराया मुक्त मकान (वेतन का 7.5%)		26,250
सफाई कर्मचारी, रसोइया	शून्य	
कार	शून्य	
मुफ्त गैस, बिजली, पानी	शून्य	
सकल वेतन		4, 10,250
घटायें : प्रमाणित कटौती	50,000	
कर योग्य वेतन		**3, 60,250**

नोट :

1) किराया मुक्त मकान वेतन का (3,50,000 का 7.5%) = 26,250 = वेतन रु. 2,40,000 + चिकित्सा भत्ता रु. 50,000 + बोनस रु. 40,000 + कमीशन रु. 20,000 = 350,000

2) मि. राधेश्याम विशिष्ट कर्मचारी नहीं है अतः उनको प्राप्त अनुलाभ सफाई कर्मचारी, रसोइया गैस, बिजली, पानी और कार करयोग्य अनुलाभ नहीं होगा।

3) माली की सुविधा नियोक्ता ने मकान के साथ प्रदान किया है अतः यह अनुलाभ नहीं माना जायेगा।

4) प्रमाणिक कटौती सकल वेतन में अधिकतम कटौती होगी।

बोध प्रश्न ख

1) बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य

i) सरकारी कर्मचारियों को मिले हुए किराया मुक्त सुसजिज्त आवास के मूल्यांकन में फर्नीचर की मूल लागत का 10% शामिल नहीं किया जाता है।

ii) किराया मुक्त आवास के मूल्यांकन के लिए पूरे वर्ष का वेतन लिया जाता है और कर्मचारी के आवास उपयोग की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

iii) विशिष्ट कर्मचारियों को मिली टेलीफोन की सुविधा कर योग्य अनुलाभ है।

iv) यदि नियोक्ता मकान का मालिक नहीं है तो माली का वेतन और उसके रखरखाव के व्यय कर्मचारी के वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा।

v) इंडियन आयल कारपोरेशन की मुफ्त आपूर्ति उसके अपने कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ है।

vi) रियायती दर पर दिया गया भोजन कर मुक्त होता है जबकि मुफ्त भोजन की सुविधा कर योग्य अनुलाभ है।

vii) जब कार नियोक्ता की है और सारे खर्चे कर्मचारी वहन करता है तथा कार्य का प्रयोग केवल कार्यालय के लिए होता है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होता है।

viii) नियोक्ता से प्राप्त कोई भेट और टोकन रु. 10,000 तक कर मुक्त है।

ix) श्री साहिल शिमला गए थे वहां पर वह कंपनी के अतिथि गृह में ठहरे तथा रहने के स्थान के संबंध में रु. 5000 बचाए क्या यह कर योग्य है?

x) अग्रिम वेतन 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य नहीं है।

2) आयकर अधिनियम के आधार पर क्या अवकाश यात्रा रियायत के क्या प्रावधान हैं?

.....

.....

.....

.....

3) कटौतियों से आप क्या समझते हैं? समझायें।

.....

.....

.....

.....

6.7 सारांश

मौद्रिक वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी को अपने नियोक्ता से अनेक प्रकार के लाभ व सुविधाएं मिलती हैं जिनका मौद्रिक मूल्यांकन किया जाता है इन सुविधाओं को अनुलाभ कहते हैं, अनुलाभ तीन प्रकार के होते हैं पहला सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ दूसरा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, तीसरा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य लाभ। अनुलाभ के मूल्य को कर्मचारी के वेतन में शामिल किया जाता है। अनुलाभ का मूल्यांकन करके इसको कर्मचारी की वेतन में शामिल किया जाता है सकल कुल आय में से कुछ कटौतियों को घटाते हैं जो निम्न प्रकार के हैं–

i) प्रमाणिक कटौती

ii) मनोरंजन भत्ता

iii) रोज़गार कर

उपरोक्त कटौती के बाद कुल वेतन सकल वेतन से प्राप्त हो जाती है।

6.8 शब्दावली

आवास (Accommodation) : आवास का तात्पर्य आवासीय मकान से है जो नियोक्ता द्वारा किराया मुक्त या रियायती किराए पर कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है।

मौद्रिक आय (Monetary Income) : इसका तात्पर्य मौद्रिक वेतन से किया है अतः इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में मिले हुए अनुलाभ शामिल नहीं होते हैं।

अनुलाभ (Perquisite) : किसी पद से जुड़ा हुआ आकस्मिक वेतन लाभ या फीस का भुगतान अनुलाभ कहा जाता है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Personal Accident Policy) : यह बीमा पालिसी उन महत्वपूर्ण अधिकारियों के संबंध में की जाती है जिनका कार्य जोखिम पूर्ण होता है तथा जिनका जीवन कंपनी के विकास के लिए अति आवश्यक है। नियोक्ता द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

विशिष्ट कर्मचारी (Specified Employee) : इसमें निम्न प्रकार के कर्मचारी आते हैं।

- कंपनी का निदेशक
- ऐसा व्यक्ति जिसका कंपनी में महत्वपूर्ण हित हो
- ऐसा व्यक्ति जिसका वेतन से कुल मौद्रिक आय रु. 50000 से अधिक हो।

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 1) वेतन

2) नियोक्ता

3) कर मुक्त

4) 10 प्रतिशत

5) 15

ख) (i) असत्य, (ii) असत्य, (iii) असत्य, (iv) सत्य, (v) असत्य, (vi) असत्य, (vii) सत्य, (viii) असत्य, (ix) सत्य, (x) असत्य

6.10 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मिले हुए किराया मुक्त आवास के मूल्यांकन से संबंधित वेतन में क्या शामिल नहीं किया जाता?

2) गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए मनोरंजन भत्ते के प्रावधान धारा 16 (ii) के अनुसार क्या है।

3) श्री 'ए' की मौद्रिक आय की गणना निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कीजिए जिससे ज्ञात हो सके कि वह एक विशिष्ट कर्मचारी है या नही

		रु.
a)	मूल वेतन प्रति माह	18,000
b)	महंगाई वेतन (अवकाश प्राप्ति लाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाता) प्रति माह	5,000
c)	शिक्षा भत्ता प्रति माह	2,000
d)	ए के स्थान पर नियोक्ता के द्वारा प्रति माह का आयकर भुगतान किया है।	1,000

[उत्तर 'ए' एक विशिष्ट कर्मचारी है क्योंकि उनकी मोद्रिक आय रु. 38,000 है जोकि रु. 50,000 से अधिक है]

4) श्री संजय एक निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं वह निम्नलिखित परिलब्धिया प्राप्त करते हैं–

		रु.
a)	मूल वेतन प्रति माह	8,000
b)	मंहगाई वेतन प्रति माह (अवकाश प्राप्त के लाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाता।	800
c)	बोनस पूरे वर्ष के लिए	15,000
d)	पूरे वर्ष का प्राप्त मकान किराया भत्ता	9,000
e)	कर मुक्त मकान किराया भत्ता	5,000
f)	शिक्षा भत्ता प्रति माह उनके दो बच्चे हैं	500

किराए से मुक्त रहने के मकान के मूल्यांकन के लिए वेतन की गणना कीजिए।

[उत्तर : रु. 1, 18,600]

5) श्री राकेश एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं वह कंपनी से निम्नलिखित प्राप्तियाँ प्राप्त करते हैं–

		रु.
a)	वेतन प्रति माह	20,000
b)	मंहगाई वेतन प्रति माह	2,000
c)	चिकित्सा भत्ता प्रति माह	5,000
d)	बोनस दो माह के मूल वेतन के बराबर राशि	
e)	कमीशन प्रति वर्ष	20,000

नियोक्ता द्वारा निम्न अनुलाभ भी श्री राकेश को प्रदान किए जाते हैं।

i) नियोक्ता के स्वामित्व वाला किराए से मुक्त रहने का मकान जो आगरा में स्थित हैं।

ii) सफाई कर्मचारी (फर्राश) व रसोइया जिनमें से प्रत्येक का वेतन रुपये 1500 प्रति माह है।

iii) माली जिसका वेतन रु. 2,000 प्रति माह

iv) निजी प्रयोग के लिए गैस बिजली और पानी की सुविधा जिसके लिए नियोक्ता गत वर्ष में रु. 20,000 का भुगतान करता है श्री राकेश की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 की कर योग्य आय की गणना कीजिए।

[उत्तर : रु. 4,68,000]

6) श्री सहाय ने सूर्या प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी प्रारंभ की उनको मूल वेतन रु. 40,000 प्रति माह, मंहगाई भत्ता रु. 2,000 प्रति माह, शिक्षा भत्ता रु. 500 प्रति माह 1 बच्चे के लिए तथा रुपये 1500 प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता गत वर्ष 2019–20 में प्राप्त हुआ उन्होंने रु. 10,000 पेश करके चुकाए। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्री सहाय के कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

[उत्तर : रु. 4,66,800]

7) श्री राशिद कानपुर में खादी ग्राम उद्योग में रु. 12,000 प्रति माह के वेतन पर कार्यरत हैं। उन्हें दो माह के वेतन के बराबर बोनस एवं रु. 5000 प्रति वर्ष मनोरंजन भत्ता मिलता है नियोक्ता उन्हें निम्न अनुलाभ प्रदान करता है।

a) 1800 c.c. की कार जो कि कार्यालय एवं निजी दोनों प्रयोगों के लिए है सभी व्यय नियोक्ता वहन करता है।

b) उसे 1 जनवरी 2019 को रु. 50,000 का निजी ऋण 5% ब्याज पर दिया गया।

c) विदेश में गए कर्मचारी के पुत्र की शिक्षा पर नियोक्ता ने रु. 10,000 व्यय किए।

d) गत वर्ष नियोक्ता ने रु. 4,000 पेशे के कर के चुकाए।

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्री राशिद की कर योग्य वेतन से आय ज्ञात कीजिए।

[उत्तर : रु. 1,58,663]

नोट : यह माना जाना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने निजी ऋण 11.9% ब्याज पर दिया।

8) मि. रियाज़ एक समिति द्वारा संचालित कालेज में रु. 50,000 मासिक पर रीडर के पद पर है। उन्हें वेतन का 45% मंहगाई भत्ता रु. 1000 प्रति माह मनोरंजन भत्ता तथा रु. 1000 प्रति माह प्राक्टर भत्ता भी प्राप्त होता है। वर्ष में उन्हें रु. 500 प्रति माह अतिरिक्त मंहगाई भत्ता भी प्राप्त होता है। उसे बकाया वेतन रु. 30,000 प्राप्त हुआ।

वह अपने वेतन का 10% भविष्य निधि के अंशदान करते हैं तथा कालेज का भी अंशदान इतना ही है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से उनके भविष्य निधि की संचित राशि पर रु. 40,000 ब्याज जमा हुआ। रियाज़ के तीन बच्चे एक संस्था में पढ़ते हैं जो उसी समिति द्वारा संचालित हैं जो कॉलेज को संचालन करती है। अतः उन्हें कोई व्यय नहीं करना पड़ता है। सामान्यतया ऐसी संस्था में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्च रु. 1,500 मासिक आता है। रियाज़ को शहर में (जिसकी जनसंख्या 13 लाख है)

किराये से मुक्त मकान भी कॉलेज की ओर से मिला है, जिसका स्वामी भी कॉलेज ही है। उसका उचित किराया मूल्य रु. 2500 मासिक है। मकान के पीछे की ओर लगाये गये बाग को ठीक–ठाक रखने के लिए एक माली रखा गया, जिसका वेतन रु. 300 प्रति माह भी कॉलेज वहन करता है। वर्ष के दौरान रियाज़ दो माह की पूर्ण वेतन सहित छुट्टी पर अपने घर, जयपुर गये। इस सम्बंध में कॉलेज ने उन्हें तथा उनकी पत्नी को हवाई जहाज से आने जाने का किराया 6,500 रुपये भी दिया।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष पर मि. रियाज़ की कर योग्य वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कीजिए।

[उत्तर : रु. 9,68,733]

9) श्री जगदीश एक कंपनी के कर्मचारी हैं तथा गत वर्ष 2019–20 के लिए निम्न सूचना प्रेषित करते हैं–

		रु.
a)	मूल वेतन प्रति माह	12,000
b)	मंहगाई भत्ता प्रमि माह (अवकाश प्राप्त के लाभों में शामिल नहीं)	1,200
c)	कर्मचारी का प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान मूल वेतन प्रतिशत	10%
d)	नियोक्ता का अंशदान मूल वेतन का प्रतिशत	15%
e)	31.10.2019 को भविष्य निधि पर ब्याज रु. 5,500 प्रति वर्ष की दर से	11%

f) पेशे कर उनके 110रु. वेतन से आटा गया। उन्हें किराए से मुक्त रहने का मकान दिया गया है जिसके लिए वह रु. 1000 प्रति माह भुगतान करते हैं मकान का उचित किराया रु. 8000 है उन्होंने 1.10.2019 को अवकाश के नगदीकरण के रु.20,000 प्राप्त किए। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्री जगदीश के कर योग्य वेतन की गणना यह मानते हुए कीजिए कि शहर की जनसंख्या 15 लाख है।

[उत्तर : रु. 1,36,550, रियायती कर मुक्त मकान रु. 4,400]

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

इकाई 7 वेतन III

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 भविष्य निधि योजना

- 7.2.1 साविधिक भविष्य निधि
- 7.2.2 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि
- 7.2.3 गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि
- 7.2.4 सार्वजनिक भविष्य निधि
- 7.2.5 अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि

7.3 भविष्य निधि के संबंध में कर व्यवस्था

7.4 कर योग्य वेतन के कुछ अन्य पक्ष

7.5 धारा 80 सी के अंतर्गत कटौतियां

- 7.5.1 सकल कटौती योग्य राशि

7.6 सारांश

7.7 शब्दावली

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.9 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- विविध प्रकार की भविष्य निधि की सूची बना सके और भविष्य निधियों के संबंध में कर व्यवस्था बता सकें;
- धारा 80 C के अंतर्गत उपलब्ध कटौतीयां बता सके और उनकी राशि का परिकलन कर सके; और
- भविष्य निधि और धारा 80 C के अंतर्गत कटौतीओं को ध्यान में रखकर कर योग्य आय की गणना कर सकें।

7.1 प्रस्तावना

आपने इकाई 5 और 6 में एक कर्मचारी के वेतन में प्राप्त आय में शामिल की जाने वाली मदो के बारे में पढा है एक वेतन भोगी कर्मचारी को विभिन भत्तो और अनुलाभों के अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी उपलब्ध है। भविष्य निधि एक ऐसा ही एक लाभ है इस इकाई में हम भविष्य निधि विभिन्न प्रकार की भविष्य निधियों और उनके बारे में कर व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम एक वेतनभोगी व्यक्ति को बचतो के लिए धारा 80 C के अंतर्गत मिलने वाली विभिन्न कटौतीयों का भी अध्ययन करेंगे।

7.2 भविष्य निधि योजना (Provident Fund Scheme)

भविष्य निधि किसी व्यक्ति के भविष्य में काम आने के लिए बनाई गई एक निधि है भविष्य से तात्पर्य है उसके अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु के बाद कर्मचारी अपने वेतन में से प्रतिमाह एक निश्चित राशि का अंशदान करते हैं और नियोक्ता भी उसी के बराबर राशि का अंशदान करते हैं। यह राशि सरकारी प्रतिभूतियो में लगा दी जाती है जिससे ब्याज की एक निश्चित राशि अर्जित होती है कर्मचारी के खाते में शेष राशि पर इस प्रकार अर्जित ब्याज उसके भविष्य निधि खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है यह राशि वर्ष प्रतिवर्ष संचित होती है। यह सारी की सारी संचित राशि कर्मचारी को उसके अवकाश ग्रहण करने या ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने के समय दे दी जाती है या कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस को दे दी जाती है। भविष्य निधिया कई प्रकार की होती हैं कर्मचारी इनमें से किसी भी भविष्य निधि में अपनी राशि जमा करा सकता है विभिन्न प्रकार की भविष्य निधियां नीचे दी गई हैं।

1) सांविधिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund)
2) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Recognised Provident Fund)
3) गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Unrecognised Provident Fund)
4) सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund)
5) अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि (Approved Super Animation Fund)

आइए अब इनमें से प्रत्येक का विवेचन करें,

7.2.1 साविधिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund)

सविंधिक भविष्य निधि, भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत स्थापित की जाती है और इसे सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे, सविंधिक निगमों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्थानीय संस्थाओं आदि द्वारा रखा जाता है।

7.2.2 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Recognised Provident Fund)

यह भविष्य निधि आयकर आयुक्त (Commissioner of Income tax) द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग में दिए गए नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त होती है इसके अंतर्गत वह भविष्य निधि भी आती है जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत बनाई गई योजना में स्थापित की गई हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हम आयकर गणना के लिए बहुत आवश्यक है। यह बहुत आवश्यक है की ऐसी भविष्य निधि आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त हो। उदाहरणार्थ किसी भविष्य निधि को यदि भविष्य निधि आयुक्त ने तो मान्यता दी है लेकिन यह आयकर आयुक्त से मान्यता प्राप्त नहीं है तब ऐसी भविष्य निधि में किए जाने वाले अंशदान पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर छूट नहीं मिलती है।

7.2.3 गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Unrecognised Provident Fund)

यह वह भविष्य निधि है जो आयकर आयुक्त से मान्यता प्राप्त नहीं होती। क्योंकि यह मान्यता प्राप्त नहीं होती, इसलिए निर्धारिती को कर के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाती है दूसरे शब्दों में न तो इसे सावधिक भविष्य निधि कह सकते हैं और न ही मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। ऐसी निधि सामान्यतया निजी नियोक्ताओं द्वारा रखी जाती है।

7.2.4 सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund]

नियमित वेतन भोगी कर्मचारी अपने वेतन में से कटौतीयों के द्वारा भविष्य निधि में पैसा डाल कर बचत करते हैं जनता के हित के लिए खासतौर से स्वनियोजित व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, वकील, लेखपाल, अभिनेताओं, व्यापारियों के लिए केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि योजना शुरू की। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना का प्रारम्भ 1 जुलाई 1968 में हुआ इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत बचतों को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति और व्यक्तियों के संघ अपनी सुविधा के अनुसार सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में पैसा जमा कर सकते हैं वेतन भोगी कर्मचारी भी इस नियमित भविष्य निधि के अतिरिक्त इस निधि के द्वारा बचत कर सकते हैं सार्वजनिक भविष्य निधि खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा या इसके द्वारा नियंत्रित बैंकों में या किसी प्रधान डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशेष रूप से उल्लेखित शाखाओं में खोले जा सकते है।

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में इसे 1 वर्ष में कम से कम रु. 500 एवं अधिक से अधिक रु. 1,50,000 का अंशदान कर सकता है ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में क्रेडिट कर दिया जाता है लेकिन यह देय केवल परिपक्वता पर ही होता है। सार्वजनिक भविष्य निधि में संचित राशि 15 वर्ष बाद देय होती है 15 वर्ष की अवधि पूर्ण मुक्त होती है। यदि व्यक्ति चाहे तो 15 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष के लिए इस खाते को चालू रख सकता है। अनिवासी भारतीय एवं हिन्दु अविभाजित परिवार (PPF) खाता खोलने के लिए योग्य नहीं है।

7.2.5 अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि (Approved Superannuation Fund)

यह आयकर आयुक्त द्वारा आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के B भाग में दिए गए नियमों के अनुसार अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि है यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस निधि का एकमात्र उद्देश्य कर्मचारियों के लिए उनके एक निर्दिष्ट आयु के बाद अवकाश ग्रहण करने पर या ऐसे अवकाश ग्रहण करने से पहले विकलांग हो जाने पर ऐसे कर्मचारीयो की मृत्यु पर उनकी विधवाओं या आश्रितों के लिए वार्षिकी का प्रावधान करना है।

उदाहरण 1

श्री गौरव मोदी, खाद्य समिति लखनऊ में रु. 17,000 प्रतिमाह वेतन तथा रु. 2,000 प्रतिमाह महंगाई भत्ते पर कार्यरत हैं वह अपने वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10% एक प्रोविडेंट फंड में अंशदान करते हैं। खादी समिति का अंशदान 15% है। उन्हें नियोक्ता की ओर से निशुल्क आवासीय सुविधा प्राप्त है उन्हें गत वर्ष में रु. 25,000 बोनस भी प्राप्त हुआ। उन्हें प्रोविडेंट फण्ड में 12% की दर से 1,000 ब्याज जमा हुआ

कर निर्धारण वर्ष 2020 – 21 के लिए श्री गौरव मोदी की कर योग्य आय की गणना कीजिए यदि प्रश्न में भविष्य निधि योजना (1) वैधानिक, (2) प्रमाणित अथवा (3) प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है करदाता की धारा 80 C के अंतर्गत किस राशि पर आयकर की कटौती प्राप्त होगी ?

करनिर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्री गौरव की कर योग्य आय

	सविधिक भविष्य प्राप्त	मान्यता प्राप्त	गैर मान्यता प्राप्त
वेतन @ 17,000 प्रतिमाह	2,04,000	2,04,000	2,04,000
मंहगाई भत्ता @ 2,000 प्रतिमाह	24,000	24,000	24,000
बोनस	25,000	25,300	25,000
कर्मचारी की अंशदान मा. प्राप्त भविष्य निधि में जोकि 12% से अधिक	—	6,840	—
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में ब्याज 9.5%	—	208	—
किराया मुक्त आवास का मूल्य वेतन का 10% रु. 2,53,000 (लखनऊ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से कम)	25,300	25,300	25,300
सकल वेतन	2,78,300	2,85,348	2,78,300
घटाया : प्रमाणित कटौती	50,000	50,000	50,000
करयोग्य वेतन	2,28,300	2,35,348	2,28,300
धारा 80C के अन्तर्गत कटौती	22,800	22,800	Nil

नोट : मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की गणना–

1) मान्यता प्राप्त नियोक्ता का अंशदान = 2, 28,000 (वेतन + मंहगाई भत्ता)
भविष्य निधि

$$= 2,28,000 \times \frac{3}{100} = 6,840$$

ब्याज जमा $= \frac{1000 \times 100}{12} = 8333.33$

9.5% का अधिक्य $= \frac{8,333 \times 2.5}{100} = 208$

2) करदाता धारा 80C तक की कटौती का हकदार है, वैधानिक या मान्यत प्राप्त भविष्य निधि में उनके योगदान के संबंध में अधिकतम रु. 1,50,000 अर्थात् उनके वेतन का 10% और मंहगाई भत्ता भी शामिल है रु. 22,800। वह गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अपने योगदान के संबंध में धारा 80C में कटौती के लिए हकदार नहीं हैं।

3) वेतन = मूल वेतन + मंहगाई भत्ता + बोनस

= 2,04,000+ 24,000+25,000 = रु. 2,53,000

7.3 भविष्य निधि के संबंध में कर व्यवस्था

इस इकाई के भाग 7.2 में आपने विभिन्न प्रकार की भविष्य निधि का अध्ययन किया। आइए अब इन निधियों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करें। आयकर अधिनियम में निम्नलिखित के लिए प्रावधान है :

i) नियोक्ता का अंशदान (Employers contribution) पर कर की मुक्ति।

ii) कर्मचारी का अंशदान (Employees contribution) धारा 80C के अन्तर्गत कटौतियां

iii) संचित शेष पर ब्याज की कर से मुक्ति

चार्ट 7.1 आपको ऊपर दी गई पांच बातों के लिए आयकर के प्रावधानों को समझने में सहायक है।

तालिका 7.1: भविष्य निधि

विवरण	वैधानिक भविष्य निधि	प्रमाणित भविष्य निधि	गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि	सार्वजनिक भविष्य निधि
कर्मचारी / करदाता का अंशदान	भविष्य निधि में कर्मचारी के योगदान में कटौती के बाद कर्मचारी को उसके मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है लेकिन एस,पी, एफ में कर्मचारी के योगदान को वेतन में शामिल किया जाता है। लेकिन पूरा योगदान कटौती धारा 80C के अन्तर्गत मान्य है।	भविष्य निधि में कर्मचारी के योगदान में कटौती के बाद कर्मचारी को उसके मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है लेकिन एस.पी.एफ में कर्मचारी के योगदान को कर वेतन में शामिल किया जाता है। लेकिन पूरा योगदान कटौती धारा 80C के अन्तर्गत मान्य है	भविष्य निधि में उनके योगदान में कटौती के बाद कर्मचारी को उसके मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है लेनिक एस.पी. एफ में कर्मचारी के योगदान को कर वेतन में शामिल किया जाता है। लेकिन पूरा योगदान कटौती धारा 80C के अन्गर्तत मान्य है	व्यक्ति को धारा 80C के अन्तर्गत कटौतियां प्राप्त होगी। परन्तु धिारित नियमो के अन्तर्गत
नियोक्ता का अंशदान	कर मुक्त	वेतन 12% तक कर मुक्त 12% से अधिक वेतन में जुडता है।	कर मुक्त	कर मुक्त
फण्ड में जमा होने वाला ब्याज	कर मुक्त	9.5% की दर तक का व्याज कर मुक्त, 9.5% से अधिक ब्याज वेतन में जुडता है।	कर मुक्त	कर मुक्त
नौकरी से अवकाश ग्रहण या नौकरी समापन पर प्राप्त एकमुश्त राशि	धारा (10) के अन्तर्गत कर मुक्त	धारा 10(2) के अन्तर्गत करमुक्त बशर्ते कि (i) कर्मचारी ने कम से 5 वर्ष सेवा कर ली है या लगातार (ii) यदि 5 वर्ष लगातार सेवा नहीं की है तो उसे छटनी, बीमारी या करोबार बंदी के कारण हटाया गया है।	कर्मचारी के अंशदान की प्राप्त राशि कर मुक्त है नियोक्ता का अंशदान तथा उस पर प्राप्त व्याज वेतन में जुड़ेगा। कर्मचारी के अंशदान पर प्राप्त व्याज 'अन्य स्रोतों से आय 'शीर्षक में कर योग्य	कर मुक्त

7.4 कर योग्य वेतन के कुछ अन्य पक्ष

वेतन से कर योग्य आय की गणना करते समय हमें वेतन के निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान देना चाहिए।

1) **वेतन का अधित्याग (Waiver of Salary):** कर्मचारी का उपार्जित वेतन धारा 15 के अंतर्गत कर योग्य बन जाता है यदि कर्मचारी उसे प्राप्त करने के अपने अधिकार को त्याग दें, तो इससे उसकी आय का एक उपयोग मात्र समझा जाएगा और उसके कर दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2) **वेतन का त्याग (Surrender of Salary)**: यदि कर्मचारी अपने वेतन को त्याग धारा 2 के वेतन के त्याग के अंतर्गत अपना वेतन केंद्रीय सरकार को समर्पित कर देता है तो इस प्रकार समर्पित वेतन की राशि उसकी वेतन आय की गणना करते समय अलग कर दी जाएगी।

3) **कर मुक्त वेतन (Tax free salaries):** एक नियोक्ता यह कर सकता है कि कर्मचारी को दिए गए वेतन में से कर न काटे और उसकी ओर से स्वयं कर देना पसंद करें ऐसी स्थिति में कर्मचारी की आय की गणना करते समय नियोक्ता द्वारा इस प्रकार दिया गया कर कर्मचारी की वेतन में जोड़ा जाएगा।

7.5 धारा 80C के अंतर्गत कटौतियां

धारा 80C निशिचित निवेश और व्यय को कर मुक्त करने की अनुमति देता है। इस धारा के अन्तर्गत केवल करदाता या हिन्दु अविभाजित परिवार द्वारा भुगतान या जमा की गई निर्दिष्ट योग्यता राशि के संबंध में कटौती की अनुमति है।

7.5.1 सकल कटौती योग्य राशि

धारा 80C के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम, अस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि में योगदान के संबंध में कटौती और कुछ शेयरों और डिबेंचरों के लिए सदस्यता, आदि। यह कटौती गत वर्ष के दौरान करदाता द्वारा किए गए निर्दिष्ट योग्य निवेश/योगदान/जमा/भुगतान (सकल योग्यता राशि) के आधार पर उपलब्ध है।

धारा 80C में कटौती प्राप्त करने वाले करदाता – धारा 80C के अन्तर्गत करदाताओं को ही इसकी निम्न कटौती मान्य होगी

1) कोई भी व्यक्ति या

2) एक हिंदू अविभाजित परिवार

उपर्युक्त करदाताओं को निम्न प्रकार की बचत के लिए उनकी कुल आय से अधिकतम 1,50,000 रु तक की पूर्ण राशि की कटौती प्राप्त होती है।

A) व्यक्ति करदाता की दशा में

i) **जीवन बीमा (Life Insurance Premium)**: एक व्यक्ति करदाता द्वारा अपने जीवन साथी (यदि करदाता स्त्री है तो पति तथा यदि करदाता पति है तो पत्नी) एवं अपने बच्चों के जीवन पर कराए गए जीवन बीमा के संबंध में भुगतान किए गए प्रीमियम की रकम बीमा योजना में सरकारी कर्मचारी का अंशदान तथा सामूहिक बीमा योजना (Group Insurance) करनिधारण वर्ष 2019–20 से प्रभावी जोकि बीमाकृत राशि की

अधिकतम 20% में किए गए अंशदान की रकम पर धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्रदान की जाएगी।

a) करदाता द्वारा अपनी इच्छानुसार राशि से बीमा पोलिसी ली जाती परन्तु सिर्फ बीमीत राशि का 20% या वास्तविक प्रीमियम जो भी भुगतान किया है– (जो भी कम हो) उसको कटौती के लिए धारा 80 C के कुल सीमा में शामिल करेंगे। यदि जीवन बीमा पालिसी 01.04.2012 से पूर्व ली गई है परंतु यदि पालिसी 31.03. 2012 के पश्चात ली गई है तो प्रीमियम व अन्य भुगतान राशि वास्तविक पूंजी राशि की 10% से अधिक नहीं होगी।

b) करदाता द्वारा अपने माता–पिता के जीवन का बीमा करने पर चुकाये गये प्रीमियम पर कटौती प्रदान नहीं की जायेगी धारा 80C।

c) जिन बच्चों का बीमा कराया गया है वे विवाहित, अविवाहित, करदाता पर आश्रित तथा आत्मनिर्भर, वयस्क एवं अवयस्क हो सकते हैं। सभी के सम्बन्ध में चुकाये गये प्रीमियम की रकम को धारा 80C की कटौती की रकम में शामिल किया जायेगा।

d) जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न प्रकार के बीमा प्रपत्र जारी किये जाते हैं, जैसे, उनकी बीमा पालिसी बीमा गोल्ड, एंडोमेंट इन्शोरेंस पालिसी जीवन मित्र पालिसी आदि। करदाता कोई भी एक या अधिक बीमा योजना ले सकता है।

ii) **स्थगित वार्षिकी** : एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवनसाथी पति या पत्नी एवं अपने बच्चों के जीवन पर 'स्थगित वार्षिकी' के अनुबंध को चालू रखने के लिए भुगतान।

iii) **वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund)**: में कर्मचारी का अंशदान

iv) **प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund)** में कर्मचारी का अंशदान

v) **सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund)** में अंशदान अधिकतम रु. 1,50,000 तक ।

vi) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 के अंतर्गत भुगतान

vii) सरकारी कर्मचारी के वेतन में से स्थगित वार्षिकी (Deferred Annuity) के लिए अथवा उसकी पत्नी या बच्चों के लिए प्रावधान करने हेतु काटी गई राशि उसके वेतन के 1/5 भाग तक

viii) अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में अंशदान

ix) अधिसूचित केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (National Central Government Securities) में अथवा किसी अधिसूचित जमा योजना Notified Deposit Scheme में अंशदान। इस संदर्भ में 6 वर्षीय राष्ट्रीयकृत बचत पत्र viii निर्गम में विनियोग एवं राष्ट्रीय बचत योजना 1992 National savings scheme 1992 में जमा इस धारा के लिए मान्य होंगे।

x) राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम एवं IX निर्गम पर अर्जित ब्याज (Accrued interest) का पुनः विनियोग।

xi) राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) की अधिसूचित जमा योजना अथवा इसके द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड के अंतर्गत अंशदान, जैसे ग्रह ऋण योजना।

xii) निम्नलिखित की किसी 'जमा योजना में अंशदान'

a) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो भारत में आवासीय मकानों के क्रय निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है अथवा

b) भारत में किसी अधिनियम द्वारा प्रवर्तित कोई सत्ता (authority) जिसकी स्थापना या तो आवासीय समस्या की पूर्ति के लिए की गई हो अथवा शहरों कस्बों या गांवों के नियोजन विकास या सुधार के लिए की गई हो अथवा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई हो।

xiii) **नए आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण हेतु लिए गए ऋण की वापसी** (मूलधन का भुगतान)

इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण है

a) किसी स्वयं वित्त पोषित या विकास प्राधिकरण, आवास परिषद अथवा अन्य सत्ता की मकानों के निर्माण एवं उनके विक्रय की योजना के अंतर्गत किसी किश्त या उसके किसी भाग का भुगतान

b) किसी कंपनी या सहकारी समिति जिसका करदाता सदस्य है उसको आवंटित किए गए मकान के संबंध में चुकाई गई किस्त या उसका कोई भाग

xiv) धारा 10 (23D) के अंतर्गत स्थापित एक सहयोगी फंड के यूनिट्स अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अधिसूचित इक्विटी लिंक्ड सेविंग योजना के यूनिट्स में अंशदान।

xv) किसी पेंशन फंड में अंशदान जो धारा 10(23D) के अंतर्गत अधिसूचित किसी सहयोगी फण्ड अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित है।

xvi) **बच्चों की शिक्षा हेतु फीस** – करदाता द्वारा अपने बच्चों के शैक्षणिक शुल्क (Tuition Fee) का भुगतान इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है–

a) इस शुल्क का भुगतान बच्चों की भारत में स्थित स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय एवं ऐसी संस्था जो शिक्षा के कार्य में संलग्न है, को किया जाना चाहिए।

b) इस शुल्क का भुगतान पूर्णकालीन शिक्षा के संबंध में किया जाना चाहिए।

c) इस शुल्क का भुगतान अधिकतम दो बच्चों के संबंध में किया जाना चाहिए। यदि भुगतान दो से अधिक बच्चों के लिए किया जाता है तो कटौती हेतु रकम मैं अधिकतम दो बच्चों की ही फीस शामिल होगी।

d) शैक्षणिक शुल्क में स्कूल व कॉलेज के विकास शुल्क, क्रीडा, पुस्तकालय शुल्क, दान आदि को शामिल नहीं किया जाएगा

xvii) सुकन्या समृद्धि खाता योजना करनिर्धारण वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत बालिका के नाम पर जमा की गई कोई जमा राशि।

xviii) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की अधिसूचित वार्षिक योजना के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान। न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन-I और न्यू जीवन अक्षय और न्यू जीवन अक्षय-I न्यू जीवन अक्ष्या-II अधिसूचित योजनाएं है।

B) एक हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा गत वर्ष में निम्नलिखित भुगतान किए जा सकते हैं।

i) परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर कराए गए वीमा जीवन बीमा पर देय रहे प्रीमियम की रकम बीमित रकम के 20% या प्रीमियम की रकम (दोनों में कम) तक ही शामिल करेंगे (यदि (पॉलिसी 01.04.2012 के पूर्व ली गई है परंतु यदि पालिसी 31.03.2012 के पश्चात ली गई है तो कटौती 10% होगी।

ii) परिवार के किसी भी सदस्य के नाम सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा किया अंशदान।

iii) अधिसूचित केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों अथवा किसी अधिसूचित जमा योजना में अंशदान इस संदर्भ में 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम एवं राष्ट्रीय बचत योजना 1992 National Saving Scheme 1992 अधिसूचित है

iv) धारा 10(23D) के अंतर्गत स्थापित एक सहयोगी फंड के यूनिट्स में अंशदान

v) राष्ट्रीय बचत पत्र VII निर्गम

vi) राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम पर अर्जित ब्याज

vii) अस्थगिम वार्षिकी, स्वयं पति/पतनी, बच्चों या अस्थगित वार्षिकी समझौते के तहत एक करदाता द्वारा भुगतान की गई वार्षिकी।

viii) निम्नलिखित की किसी जमा योजना में अंशदान

a) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी जो भारत में आवासीय मकानों के क्रय या निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है अथवा

b) भारत में किसी अधिनियम द्वारा प्रवर्तित कोई सत्ता जिसकी स्थापना या तो आवासीय समस्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए की गई हो अथवा शहरों कस्बों या गाँव का नियोजन, विकास या सुधार के लिए की गई हो अथवा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई हो।

ix) नए आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण पर व्यय की गई आवासीय मकान सपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य से भुगतान की गई कोई भी राशि, जिसकी आय, मकान शीर्षक के आय के अन्तर्गत कर योग्य है। इस तरह से भुगतान किया जाता है।

a) किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या मकान की संपत्ति के निर्माण और बिक्री में लगे किसी अन्य प्राधिकरण की किसी स्वतःपोषण या अन्य योजना के अन्तर्गत राशि का एक किस्त या आंशिक भुगतान या

b) किसी भी कंपनी या सहकारी समिति को किसी भी किस्त या उसके हिस्से का भुगतान जो करदाता के मकान आवंटन के लिए एक सदस्य है।

c) निम्नलिखित में से लिए गए करदाता द्वारा उधार लिए गए धन का पुनर्भुतान

i) केन्द्र या राज्य सरकार या

ii) बैंक (सहकारी बैंक सहित)

iii) जीवन बीमा निगम, या

iv) नेशनल हाउसिंग बैंक या

v) ऐसी सार्वजनिक कंपनी

जिसका मुख्य उद्देश्य आवसीय उद्देश्यों के लिए मकानों की खरीद/निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना है।

vi) करदाता नियोक्ता को, यदि ऐसा नियोक्ता प्राधिकारी या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किसी अन्य निकाय के रूप में।

d) मकान स्वमित्व रखने के लिए के स्थनान्तरण से स्टाप डयूटी और पंजीकरण शुल्क (मरम्मत का खर्च और नवीनीकरण शामिल नहीं किया जायेगा)।

x) राष्ट्रीय आवास योजना की अधिसूचित जमा योजना अथवा इसके द्वारा स्थापित किसी पेंशन फण्ड के अंतर्गत अंशदान जैसे ग्रह ऋण योजना।

xi) धारा 10(23D) के अंतर्गत स्थापित एक सहयोगी फण्ड की अधिसूचित इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अथवा भारतीय इकाई की ऐसी ही किसी योजना में अंशदान।

xii) सविधिक जमा में विनियोग

a) अनुसूचित बैंक में विनियोग जो कि 5 वर्ष से कम न हो।

b) यह विनियोग सरकारी राज्य पत्र में वर्णित योजना के अनुसार होना चाहिए।

xiii) सुकन्या समृद्धि खाता योजना कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया गया हो।

xiv) जीवन बीमा निगम या किसी किसी अन्य बीमाकर्ता की अधिसूचित वार्षिकी योजना में हिन्दु अविभाजित परिवार द्वारा किया गया भुगतान, न्यू जीवन धारा, ल्न्यू जीवन धारा-I और न्यू जीवन अक्षय-ii, न्यूजीवन अक्षय-i और न्यूजीवन अक्षय-ii अधिसूचित योजनाएं हैं।

नोट :

a) धारा 80C की दृष्टि से उपयुक्त राशियां भुगतान के आधार पर कटौती योग्य है इस प्रकार गत वर्ष या पिछले वर्षों या आगे आने वाले वर्षों से संबंधित क्यों न हो। अतः यदि गत वर्ष में भुगतान देय हो, किन्तु गतवर्ष की अन्तिम दिन वह अदत्त (out standing) हो तो इस राशि पर कटौती नहीं दी जायेगी।

b) जीवन बीमा प्रीमियम यदि करदाता ने स्वयं का अथवा अपने जीवन साथी का अथवा अपने बच्चे का संयुक्त जीवन बीमा करवाया है तब भी प्रीमियम के भुगतान के लिए कटौती दी जाएगी परंतु यदि संयुक्त बीमा किसी अन्य व्यक्ति के साथ ली गई है तो भुगतान पर कटौती नहीं दी जाएगी।

राष्ट्रीय बचत – पत्र अष्टम निर्गम में रु. 100 के विनियोग पर अर्जित ब्याज एवं परिपक्वता मूल्य की तालिका निम्नलिखित है–

ब्याज अर्जित होने वाले वर्ष	**01/03/03 से 30/11/11**	**01/12/11 से 31/03/12**	**01/04/12 से 31/03/13**	**01/04/2013 से 31/03/2016**
रेट %	08.00	-	8.60	8.50
प्रथम वर्ष	08.16	8.58	8.78	8.68
द्वितीय वर्ष	08.83	9.31	9.56	9.43
तृतीय वर्ष	09.55	10.11	10.40	10.25
चतुर्थ वर्ष	10.33	10.98	11.31	11.24
पंचम वर्ष	11.17	11.92	12.30	12.11
छटा वर्ष	12.08	NA	NA	NA

Interest accruing on a certificate of Rs. 100

	01/04/2016 से 30/09/2016	01/10/2016 से 31/03/2017	01/04/2017 से 31/06/2017	01/07/2017 से 31/12/2017	01/01/2018 से 31/03/2019
प्रथम वर्ष	8.10	8.00	7.90	7.80	7.60
द्वितीय वर्ष	8.76	8.64	8.52	8.41	8.18
तृतीय वर्ष	9.46	9.33	9.20	9.06	8.80
चतुर्थ वर्ष	10.23	10.08	9.92	9.77	9.47
पंचम वर्ष	11.06	10.88	10.71	10.53	10.19

राष्ट्रीय बचत पत्र IX निर्गम

निम्न तालिका प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज को स्पष्ट करती है।

	100रु. के विनियोग पर अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज के वर्ष	1.12.2011 से 31.3.2012 तक	4.1.2012 से 31.3.2013 तक	4.1.2013 के बाद
प्रथम वर्ष	8.89	9.10	8.99
द्वितीय वर्ष	9.68	9.93	9.80
तृतीय वर्ष	10.54	10.83	10.68
चतुर्थ वर्ष	11.48	11.81	11.64
पंचम वर्ष	12.50	12.89	12.69
षष्ठं वर्ष	13.61	14.06	13.83
सप्तम वर्ष	14.82	15.34	15.08
अष्टम वर्ष	16.13	16.74	16.43
नवं वर्ष	17.57	18.26	17.91
दसं वर्ष	19.13	19.92	19.52

नोट : नेशनल सेविंग संर्टिफिकेट-viii, 6 साल के बाद परिपक्व हो जाता है जोकि 6 वर्ष के उपार्जित ब्याज का पुनः निवेश नहीं किया जाता है। अतः धारा 80C के अन्तर्गत 6वें वर्ष में कोई कटौती प्राप्त नहीं होगी।

धारा 80C के अंतर्गत प्राप्त कटौती का रद्द होना– निम्नलिखित दशाओं में प्रदान की गई कटौती को रद्द किया जाएगा।

1) यदि करदाता 2 वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के पूर्व ही बीमा प्रपत्र को पूर्व सूचना देकर समाप्त कर देता है अथवा प्रीमियम का भुगतान नहीं होने के कारण 2 वर्ष पहले ही पालिसी समाप्त हो जाती है तो उस वर्ष के प्रीमियम को धारा 80C के अंतर्गत कटौती नहीं मिलेगी और इस पालिसी पर पहले जितनी कटौती मिल चुकी है उतनी रकम को करदाता की गत वर्ष की कर योग्य आय में जोड़ दिया जाएगा

2) यदि इस योगदान की 5 वर्ष से पहले रोक दिया जाता है तो समापन के वर्ष में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह के योगदान पर पहले वर्ष में कटौती की अनुमति उसके समापन के वर्ष में आय से शामिल की जाएगी।

3) यदि करदाता ने रिहायशी मकान बनवाने या क्रय के लिए ऋण की किस्त के संबंध में धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त कर ली है और उस मकान को वह 5 वर्ष के अंदर हस्तांतरित कर देता है तो प्राप्त की गई कटौती रद्द कर दी जाएगी।

4) यदि करदाता ने आधारभूत संरचना के अंशो या ऋण पत्रों को क्रय करके धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त की है और वह उन्हें क्रय करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर बेच देता है तो यह कटौती रद्द हो जाएगी और यह उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष यह कटौती रद्द हुई है।

बोध प्रश्न क

1) एक सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित बचत करता है

   1) रु. 2,000 जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में
   2) रु. 3,000 सर्वाधिक भविष्य निधि के अंशदान के रूप में
   3) रु. 4,000 यूनिट जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में
   4) रु. 12,000 मकान के लिए ऋण की अदायगी में
   5) रु. 4,000 जीवन मित्रा में।

   सकल कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए

2) रिक्त स्थानो को भरिए

   1) वैधानिक भविष्य निधि के क्रेडिट किया गया ब्याज वेतन आय में.....
   2) एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि में 1 वर्ष में रु. 500 से ..... तक जमा करा सकता है
   3) जीवन धारा और जीवन अक्षय में अंशदान धारा ..... के अंतर्गत कटौती योग्य है।

Computation of Taxable Salaries

Specimen of computation of taxable salaries of Mr……

For the assessment year…….

Salary @ Rs ……p.m.	……
Annuity of Pension	……
Bonus, Fees, Commission etc	……
Dearness Allowance or Dearness Pay	……
Taxable salary of Gratuity	……
Taxable part of encashment of earned leave	
Allowances	
Entertainment allowance	……
Education allowance (Taxable portion)	……
Any other taxable cash allowance	……
House rent allowance (taxable portion)	……

Special allowance (Actual- spent for employment purpose)	.....
Travelling allowance (Actual amount spent for business purpose)	.....
Employer's contribution to RPF in excess of 12% of salary	.....
Interest credited to RPF in excess of 9.5% rate	.....
Perquisites	
Valuation of rent free/concessional rent free accommodation	.....
Actual payment of employee's obligation paid by the employer	.....
Life or annuity premium paid by employer	.....
Valuation of perquisites, if any, to specific assessee	
Director or employee having substantial interest or having monetary salaries income in excess of Rs 50,000, if the assessee is not a specific assessee, these perquisites shall not be valued as these perquisites shall be deemed free or exempt	
Profit in Lieu of salary	
Compensation for modification in terms of or termination of services	.....
Taxable portion in transferred balance of unrecognized PF	.....
Gross Salaries	.....
Less: i. Standard Deduction	.....
ii. Entertainment Allowance	.....
iii. Professional or Employment Tax	.....
Taxable Salaries	.....

आपने विभिन्न प्रकार के भविष्य निधियों के बारे में आयकर अधिनियम पढ़े अब हम भविष्य निधि अंशदान के बारे में कर व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं

उदाहरण 2

श्री मुरारी जी जो भारतीय हैं और भारत के ही निवासी हैं निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। कर निर्धारण 2020–21 के लिए श्री मुरारी की कर योग्य आय की गणना कीजिए।

		रु.	रु
a)	मूल वेतन		86,000
b)	मकान किराया भत्ता (मकान कोलार में है और उसका किराया 60,000 रु. दिया गया	42,000	
c)	स्वयं के लिए दिया गया जीवन जीवन बीमा प्रीमियम	5,000	
d)	नियोक्ता द्वारा (Unit Linked Insurance Plan) में अंशदान	1,000	
e)	पत्नी के लिए दिया गया जीवन बीमा प्रीमियम	2,500	
f)	डाकघर में 10 वर्षीय जमा सावधि जमा योजना CTD	2,000	

हल

श्री मुरारी की करनिर्धारण वर्ष 2020-21 में करयोग्य वेतन की गणना कीजिए।

विवरण	रु.	रु.
1) मूल वेतन		86,000
2) मकान किराया भत्त		
a) वास्तविका राशि प्राप्त	42,000	
b) वेतन के 10 प्रतिशत अधिक किराया रु. 60,000 – रु. 8,600	51,400	
c) वेतन का 40%	34,400	
करयोग्य मकान किराया भत्ता (रु. 42,000 – 34,400)		7,600
सकल वेतन		93,600
घटायें : प्रमाणिक कटौती	50,000	
		43,600
कटौती धारा 80 C		
स्वयं का प्रीमियम	5,000	
पत्नी का प्रीमियम	2,500	
यूनिट लिंक इन्शोरेंस के अनतर्गत प्लान	1,000	8,500
करयोग्य आय		**35,100**

उदाहरण 3

चेन्नई के एस राजन द्वारा 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी वार्षिक आय के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए –

1) कुल वेतन 1,70,000 रु वार्षिक
2) मकान किराया भत्ता वेतन का 20%
3) वास्तव में मकान का प्रदत्त किराया प्रति माह वह लखनऊ में रहता है 1,200 रु
4) स्वयं के द्वारा प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 20,000 रु
5) स्वयं के लिए जीवन बीमा प्रीमियम (बीमीत राशि रु. 20,000) 6,000 रु
6) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा 15,000 रु

मि. राजन की करयोग्य आय की गणना वर्ष 2020-21

विवरण	रु.	रु.
वेतन		1,70,000
मकान किराया भत्ता		
i) वास्तविक प्राप्त किराया	34,000	
ii) किराया भुगतान वेतन के 10 प्रतिशत अधिक (17,000-14,400)	2,600	
iii) वेतन का 50%	85,000	
करयोग्य मकान किराया भत्ता (34,000 – 2,600)		31,400
सकल वेतन		2,01,400
घटाये – प्रमाणिक कटौती	50,000	
कुल वेतन		**1,51,400**
कटौती धारा 80 C के अन्तर्गत		
स्वयं के जीवन की एल आई सी	6,000	
(बीमीत राशि का अधिकतम 20%)		
प्रमाणित भविष्यनिधि में अंशदान	20,000	
सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान	15,000	41,000
करयोग्य आय		**1,10,400**

उदाहरण 4

श्री अनुराग ने केंद्रीय सरकार के कानून मंत्रालय में 1 मार्च 2017 को नौकरी प्रारंभ की जहां उन्हें मूल वेतन रु. 50,000 महंगाई भत्ता मूल वेतन का 63% (जो की सेवा शर्तों के अधीन है) मिलता था। वह अपने वेतन का 10% नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अंशदान देता है केंद्रीय सरकार भी समान राशि जमा करती है वह सार्वजनिक भविष्य निधि में रु. 60,000 जमा करते हैं और रु. 25,000 अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान करते हैं श्री अनुराग की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

करनिर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्री अनुराग कर योग्य आय

विवरण	रु.	रु.
मूल वेतन @ 50,000 प्रतिमाह		6,00,000
मंहगाई भत्ता		3,78,000
पेंशन स्कीम में अंशदान, 9,78,000 कर 10%		97,800
सकल वेतन		10,75,800
घटाये : प्रमाणिक कटौती	50,000	
कुल आय		**10,25,800**

घटायें : कटौती धारा 80 C के अन्तर्गत		
धारा 80 C के लिए जीवन वीमा सार्वजनिक विनिमय निधि (Rs. 25,000 + Rs. 60,000)	85,000	
धारा 80 CCD (1) नेशनल पेंशन स्कीम में अंशदान के अन्तर्गत (85,000 + 47,800)	47,800	
(राशि के अंशदान में – धारा 80CCD(1B) के अन्तर्गत मान्य 10% वेतन से ज्यादा निहित कटौती जो कि (97,800 – 50,000)	1,32,800	
राशि धारा 80 C, 80 CCC और 80 CCD (1) एक सीमा है जोकि रु. 1,50,000 अतः धारा 80 CCD(1B) नेशनल पेंशन स्कीम में जमा किया गया या रु. 50,000 (जो भी दोनों में कम हो) अतः रु. 97,800 या रु. 50,000)	50,000	
धारा 80CCD (2) के अनतर्गत नियोक्ता के अंशदान पेंशन स्कीम में वेतन का 10% मि. अनुराग के वेतन में	97,800	2,80,600
करयोग्य आय		**7,45,200**

उदाहरण 5

श्रीमती नेहा की सकल कुल आय रुपए 6,75,000 है उसने प्रमाणित भविष्य निधि में रुपए 50,000 जमा किए। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को रुपए 10,000 चेक द्वारा दान किया तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में रु. 15,000 भी चेक द्वारा दान किया अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य बीमा पर रु. 27,000 का प्रीमियम चेक द्वारा चुकाया कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उनकी कुल कर योग्य आय की गणना कीजिए।

हल

श्रीमती नेहा के कुल करयोग्य आय कर निर्धारण 2020–21

विवरण	रु.	रु.
सकल कुल आय		6,75,000
घटायें : मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कटौती धारा 80 C के अन्तर्गत	50,000	
धारा 80 D के अन्तर्गत कटौती		
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम		
(रु. 25,000 अधिकतम कटौती मान्य)	25,000	
PMNRF में दान	15,000	
धारा 80 GGC के अन्तर्गत कटौती		
राजनीतिक पार्टी को दान	10,000	
		1,00,000
रु. 6,75,000 – रु. 1,00,000		
कर योग्य		**5,75,000**

उदाहरण 6

एक भारतीय नागरिक व असाधारण निवासी मि. राहुल एक भारतीय कम्पनी में कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में उसने 4 माह भारत में सेवा की तथा शेष 8 माह उसने कम्पनी की सिंगापुर शाखा में सेवा की इस वर्ष के कर निर्धारण के सम्बन्ध में उनके विवरण निम्नलिखित थे–

a) भारत में 4 माह सेवा करने का वेतन 15,000 प्रतिमाह (अप्रैल से जुलाई तक)

b) सिंगापुर में 8 माह सेवा करने का वेतन रु. 20,000 प्रतिमाह (अगस्त से मार्च तक)

c) भारत में सेवा के 4 माह में वेतन का 12 प्रतिशत प्रमाणिक प्रावीडेण्ट फण्ड में अंशदान किया तथा नियोक्ता ने सम्पूर्ण वर्ष के लिए इसी दर से अंशदान किया और उसे भारत में जमा कर दिया।

d) भारत के बाहर मि. राहुल को मुफ्त प्रयोग के लिए 1.4 लीटर क्षमता की कार दी है। कार के समस्त व्यय, ड्राइवर के वेतन सहित, नियोक्ता ने वहन किया।

e) सम्पूर्ण अवधि में मि. राहुल को किराये के मुफ्त रहने का सुसज्जित मकान मिला हुआ है। नियोक्ता ने मकान किराया भारत में रु. 4,000 प्रति माह चुकाया तथा सिंगापुर में रु.4,500 प्रति माह चुकाया। दोनों स्थानों पर मि. राहुल के प्रयोग के लिए दिए गए फर्नीचर की लागत रु.15,000 है। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए मि. राहुल की वेतन से आय की गणना कीजिए।

हल

मि. राहुल की करयोग्य वेतन की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020–21

विवरण	रु.	रु.
4 माह का वेतन @ 15,000 प्रति माह		60,000
नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्यनिधि में अंशदान (रु. 2,20,000 का 12%)	26,400	
घटाये – वेतन के रु. 60,000 का 12%	7,200	19,200
भारत में किराया मुक्त आवास का मूल्यांकन	9,400	
कुल वेतन		**88,600**
घटाये : धारा 16 के अन्तर्गत कटौतियां		
प्रमाणित कटौती	50,000	
करयोग्य वेतन से आय		**38,600**

नोट :

1) सिंगापुर में प्राप्त वेतन तथा अन्य भत्ते तथा अनुलाभ न भारत में प्राप्त हुए हैं और न भारत में अर्जित हुए हैं, अतः वे करयोग्य नहीं हैं क्योंकि मि. राहुल भारत में असाधारण निवासी है तथा सरकारी कर्मचारी नहीं है।

2) नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि में दिये गय अंशदान की गणना हेतु वेतन की गणना निम्न प्रकार की गई है–

4 माह का भारत में वेतन (4 × रु. 15,000)	60,000
8 माह का सिंगापुर में वेतन (8 × रु. 20,000)	1,60,000
अंशदान हेतु कुल वेतन	2,20,000

3) मकान के मूल्य की गणना निम्न प्रकार की गई

भारत में वेतन 15% तथा चुकाया गया किराया दोनों में कम राशि (रु. 9,000 या रु. 16,000)	9,000
जोड़ाः फर्नीचर लागत का 10% (4 माह) 12,000×10% × 4/12	400

4) मान्यता प्राप्त मविष्यनिधि में नियोक्ता का अंशदान वेतन का 12% है, परन्तु 8 माह का वेतन जो सिंगापुर में अर्जित तथा प्राप्त हुआ है, कर योग्य नहीं होग। अतः नियोक्ता द्वारा अंशदान की सम्पूर्ण रकम 4 माह की मानी जायेगी। भारत में 4 माह के वेतन का 12% भाग कर मुक्त होगा। शेष रकम कर योग्य होगी।

7.6 सारांश

भविष्य निधि एक आमुख निधि है जिसमें एक व्यक्ति कुछ राशि का अंशदान करता है और भविष्य के लाभों के लिए पैसा बचाता है भविष्य निधि योजना अधिकांश संस्थाओं में चालू है जिसके अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कुछ राशि का प्रतिमाह अंशदान करते हैं यह राशि वर्ष प्रतिवर्ष संचित होती रहती है और इस पर ब्याज मिलता है अवकाश प्राप्ति इस्तीफा देने पर भविष्य निधि खाते का कोई शेष कर्मचारी को दे दिया जाता है।

भविष्य निधिया पांच प्रकार की होती हैं

i) साविधिक भविष्य निधि

ii) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

iii) गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

iv) सार्वजनिक भविष्य निधि

v) अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि

आयकर अधिनियम 1961 में भविष्य निधि से संबंधित निम्नलिखित के बारे में प्रावधान किए गए हैं :

i) कर्मचारी का अंशदान

ii) नियोक्ता का अंशदान

iii) शेष पर ब्याज

iv) अंतिम भुगतान

धारा 80C में सकल कुल आय से बचतो के संबंध में कटौतियों के लिए प्रावधान किया गया है। बचतो में जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि अंशदान, ULIP में अंशदान, CTD में जमाए आवासीय मकान का ऋण की अदायगी, राष्ट्रीय आवास बैंक में जमाए। इन सब बचतो का योग संकल कटौती योग्य राशि कहलाता हैं। सकल कटौती योग्य राशि में कटौती की राशि का परिकलन किया जाता है निर्धारित की कर योग्य आय की गणना करने के लिए यह राशि उसकी सकल कुल आय में से घटाई जाती है।

7.7 शब्दावली

भविष्य निधि : एक व्यक्ति की भविष्य में सहायता करने के लिए बनाई गई निधि।

सांविधिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund) एक भविष्य निधि जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, R.B.I., S.B.I. सविंधिक निगमों, विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों द्वारा रखी जाती है

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Recognised Provident Fund) वह भविष्य निधि जो आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होती है

गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Un-Recognised Provident Fund) निजी नियोक्ताओं द्वारा रखी गई भविष्य निधि जो आयकर आयुक्त या उच्चायुक्त द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है।

सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund) वह भविष्य निधि जो प्रायः नियमित भविष्य निधि के अतिरिक्त डाकघर में या SBI की शाखा में प्रायः सुनियोजित व्यक्तियों द्वारा खोली जाती है।

सकल कटौती योग्य राशि (Gross Qualifying Amount) बचतो की राशि जो धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य है।

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) (1) 25,000 रु

2) i) शामिल नहीं किया जाता, ii) रु. 1,50,000 iii) 80C

7.9 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के बारे में आयकर अधिनियम 1961 के क्या प्रावधान है।

2) मकान बनाने के लिए, लिए गए ऋण की अदायगी की स्थिति में कौन से भुगतान कटौती योग्य नहीं है

3) श्री सुरेश ने राजकीय सेवा से अवकाश प्राप्त किया है गत वर्ष में उसे निम्न प्राप्त हुआ।

	रु.
1) सरकार से वेतन	2,00,000
2) महंगाई भत्ता	2,00,000
3) ग्रेच्युटी	10,00,000
4) पेंशन की एकमुश्त राशि	12,00,000
5) अर्जित अवकाश वेतन	6,00,000
6) पेंशन	4,32,000
7) प्रोविडेण्ट फण्ड	4,00,000

उसने धारा 80CCC के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन फण्ड में 1,20,000 रु. जमा कराएं तथा सार्वजनिक प्रोविडेण्ट फण्ड में 60,000 रु. जमा कराए कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर 6,32,000

नोटः प्रश्न में दी गई 3,4,5,7, मदे कर मुक्त है

4) श्री वासु जो भोपाल में रहते हैं कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए निम्नलिखित सूचना प्रेषित करते हैं

1)	प्रमाणित प्रोविडेंट फण्ड में अंशदान एवं उद्‌गम स्थान पर काटने के पश्चात शुद्ध वेतन	2,40,000
2)	उद्‌गम स्थान पर वेतन से काटा गया कर	8,000
3)	प्रोविडेंट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान	12,000
4)	प्रोविडेंट फण्ड में कर्मचारी का अंशदान	12,000
5)	भारतीय कंपनी से सकल लाभांश	8,000

श्री बासु की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

उत्तर 1,98,0000

नोटः भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश कर मुक्त है।

5) मि. अमित XYZ Ltd कम्पनी में कार्यरत हैं। उनका मूल वेतन रु. 15,000 प्रति माह और मंहगाई भत्ता रु. 5,500 प्रति माह (जो वेतन का भाग) मिलता है। उनका अंशदान मान्यता प्राप्त भविष्यनिधि में रु.3000 प्रति माह और नियोक्ता का अंशदान बराबर है। उस दौरान उनको मिलने वाला ब्याज 8.5% प्रति माह उनके खाते में जमा हुआ। नियोक्ता ने किराया मुक्त आवास जिसका किराया नियोक्ता द्वारा देय रु. 6000 प्रति माह है। कर्मचारी की एक माह का अर्जित अवकाश मान्य है जिसका मूल्य रु.17,000 देय है। मि. अमित की करनिर्धारण वर्ष 2020–21 की गणना कीजिए।

उत्तर : रु. 3,13,970

नोटः शहर की जनसंख्या 25,00,000 से अधिक है।

नोटः ये प्रश्न और दृष्टांत इस इकाई को समझने में सहायक हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए प्रयास करें लेकिन अपना उत्तर विश्वविद्यालय को न भजें। यह केवल अपके अभ्यास के लिए है।